



भारतीय स्टेट बैंक का 31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र
BALANCE SHEET OF STATE BANK OF INDIA AS ON 31ST MARCH 2008

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

पूंजी और देयताएँ	अनुसूची सं.	31.3.2008 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31.3.2007 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
CAPITAL AND LIABILITIES	Schedule No.	As on 31.3.2008 (current year)	As on 31.3.2007 (previous year)
		₹. Rs.	₹. Rs.
पूंजी Capital	1	631.47,04	526,29,89
आरक्षितियाँ और अधिशेष Reserves & Surplus	2	48401,19,11	30772,25,75
जमाराशियाँ Deposits	3	537403,94,09	435521,08,94
उधार Borrowings	4	51727,41,13	39703,33,52
अन्य देयताएँ और प्रावधान Other liabilities & provisions	5	83362,29,84	60042,25,78
	योग TOTAL	721526,31,21	566565,23,88
आस्तियाँ	अनुसूची सं.	31.3.2008 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष)	31.3.2007 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष)
ASSETS	Schedule No.	As on 31.3.2008 (current year)	As on 31.3.2007 (previous year)
		₹. Rs.	₹. Rs.
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और जमाराशियाँ Cash & balances with Reserve Bank of India	6	51534,61,58	29076,42,50
बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि Balances with banks & money at call & short notice	7	15931,71,92	22892,26,50
विनिधान Investments	8	189501,27,09	149148,88,25
अग्रिम Advances	9	416768,19,62	337336,49,35
अचल आस्तियाँ Fixed Assets	10	3373,48,09	2818,86,67
अन्य आस्तियाँ Other Assets	11	44417,02,91	25292,30,61
	योग TOTAL	721526,31,21	566565,23,88
समाश्रित देयताएँ / Contingent liabilities	12	₹. Rs. 810796,48,07	₹. Rs. 526954,65,55
संग्रहण के लिए बिल / Bills for collection	—	₹. Rs. 18946,79,95	₹. Rs. 23367,51,09
प्रमुख लेखा नीतियाँ / Principal Accounting Policies	17		
लेखा-टिप्पणियाँ / Notes on Accounts	18		





अनुसूची 1 — पूंजी
SCHEDULE 1 — CAPITAL

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2008 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2008 (current year)	31.3.2007 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2007 (previous year)
	रु. Rs.	रु. Rs.
प्राधिकृत पूंजी - 10/- रुपए प्रति शेयर वाले 100,00,00,000 शेयर Authorised Capital - 100,00,00,000 shares of Rs.10/- each	1000,00,00	1000,00,00
निर्गमित - 63,15,58,654 (पिछले वर्ष 52,62,98,878) प्रत्येक ईक्विटी शेयर रु. 10/- का Issued - 63,15,58,654 (Previous Year 52,62,98,878) Equity Shares of Rs. 10/- each	631,55,87	526,29,89
अभिदत्त और संदत्त पूंजी - 63,14,70,376 शेयर (पिछले वर्ष 52,62,98,878) प्रत्येक शेयर रु. 10/- का [इसमें 4,24,81,772 (31.03.2007 को 4,14,54,618) शेयर सम्मिलित हैं जो 2,12,40,886 (31.03.2007 को 2,07,27,309) वैश्विक जमा रसीदों के रूप में हैं] Subscribed and Paid-up Capital-63,14,70,376 (Previous Year 52,62,98,878) shares of Rs 10/- each [includes 4,24,81,772 (4,14,54,618 as on 31.03.2007) shares represented by 2,12,40,886 (2,07,27,309 as on 31.03.2007) Global Depository Receipts].	631,47,04	526,29,89
योग TOTAL	631,47,04	526,29,89





अनुसूची 2 — आरक्षितियाँ और अधिशेष
SCHEDULE 2 — RESERVES & SURPLUS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2008 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2008 (current year)		31.3.2007 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2007 (previous year)	
	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.	रु. Rs.
I. कानूनी आरक्षितियाँ Statutory Reserves				
अथशेष Opening Balance	...	20379,03,68	17020,92,36	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	...	4839,07,23	3358,11,32	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	...	—	—	
		25218,10,91		20379,03,68
II. पूंजी आरक्षितियाँ Capital Reserves				
अथशेष Opening Balance	...	418,14,39	418,10,48	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	...	4,43,98	3,91	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	...	—	—	
		422,58,37		418,14,39
III. शेयर प्रीमियम Share Premium				
अथशेष Opening Balance	...	3510,57,33	3510,57,33	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	...	16617,09,67	—	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	...	28,70,25	—	
		20098,96,75		3510,57,33
IV. निवेश आरक्षितियाँ Investment Reserve				
अथशेष Opening Balance	...	—	—	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	...	62,17,87	—	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	...	—	—	
		62,17,87		—
V. राजस्व और अन्य आरक्षितियाँ* Revenue and Other Reserves*				
अथशेष Opening Balance	...	6195,56,07	5874,44,64	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	...	300,00,00	324,00,00	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	...	4075,72,93	2,88,57	
		2419,83,14		6195,56,07
VI. विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित Foreign currency Translation Reserve				
अथशेष Opening Balance	...	268,60,35	293,39,98	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	...	—	—	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	...	89,42,21	24,79,63	
		179,18,14		268,60,35
VII. लाभ और हानि खाते का अतिशेष Balance of Profit and Loss Account	...	33,93		33,93
* इसमें (भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 36 के अंतर्गत रखे गए) एकीकरण और विकास निधि के रु. 5,00,00,000 (पिछले वर्ष 5,00,00,000) शामिल हैं। * Includes Rs. 5,00,00,000 (previous year Rs. 5,00,00,000) of Integration and Development Fund (maintained under Section 36 of the State Bank of India Act, 1955)				
योग TOTAL		48401,19,11		30772,25,75





अनुसूची 3 — जमाशियाँ
SCHEDULE 3 — DEPOSITS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

					31.3.2008 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2008 (current year)	31.3.2007 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2007 (previous year)
					रु. Rs.	रु. Rs.
क. I. माँग जमाशियाँ						
A. I. Demand Deposits						
(i) बैंकों से	12313,40,67	10974,81,01
From banks						
(ii) अन्य से	85820,12,34	71023,16,37
From others						
II. बचत बैंक जमाशियाँ	154229,28,65	129136,49,61
Savings Bank Deposits						
III. सावधि जमाशियाँ						
Term Deposits						
(i) बैंकों से	7065,47,74	4613,48,62
From banks						
(ii) अन्य से	277975,64,69	219773,13,33
From others						
				योग TOTAL	537403,94,09	435521,08,94
ख. B.						
(i) भारत में शाखाओं की जमाशियाँ	514676,06,76	419936,76,49
Deposits of branches in India						
(ii) भारत के बाहर स्थित शाखाओं की जमाशियाँ	22727,87,33	15584,32,45
Deposits of branches outside India						
				योग TOTAL	537403,94,09	435521,08,94

अनुसूची 4 — उधार
SCHEDULE 4 — BORROWINGS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

					31.3.2008 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2008 (current year)	31.3.2007 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2007 (previous year)
					रु. Rs.	रु. Rs.
I. भारत में उधार						
Borrowings in India						
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक	1300,00,00	1000,00,00
Reserve Bank of India						
(ii) अन्य बैंक	7853,58,39	1254,80,59
Other banks						
(iii) अन्य संस्थाएँ और अभिकरण	3648,95,57	3564,96,73
Other institutions and agencies						
II. भारत के बाहर से उधार	38924,87,17	33883,56,20
Borrowings outside India						
				योग TOTAL	51727,41,13	39703,33,52
ऊपर I और II में सम्मिलित प्रतिभूत उधार	रु. Rs. 4367,87,76	रु. Rs. 4650,53,97
Secured borrowings included in I & II above						



**अनुसूची 5 — अन्य देयताएँ और प्रावधान****SCHEDULE 5 — OTHER LIABILITIES & PROVISIONS**(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2008 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2008 (current year)	31.3.2007 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2007 (previous year)
	रु. Rs.	रु. Rs.
I. संदेय बिल Bills payable	19159,90,43	20276,79,80
II. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)	—	—
III. प्रोद्भूत - ब्याज Interest accrued	5092,21,85	3948,06,93
IV. आस्थगित कर देयताएँ (निवल) Deferred Tax Liabilities (net)	—	483,67,44
V. अन्य (इसमें प्रावधान सम्मिलित हैं) Others (including provisions)	59110,17,56	35333,71,61
18781.84 करोड़ रुपये का गौण ऋण (14430.69 करोड़ रुपए दि. 31.3.2007 को) और 2507.50 करोड़ रुपए का बेमियादी बाँड (दि. 31.3.2007 को 1738.80 करोड़ रुपए) (Includes sub-ordinated debt of Rs.18781.84 crores (Rs.14430.69 crores as on 31.03.2007) and perpetual bonds of Rs.2507.50 crores (Rs.1738.80 as on 31.03.2007)		
योग TOTAL	83362,29,84	60042,25,78

अनुसूची 6 — भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी और जमाराशियाँ**SCHEDULE 6 — CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA**(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2008 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2008 (current year)	31.3.2007 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2007 (previous year)
	रु. Rs.	रु. Rs.
I. हाथ नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा स्वर्ण सम्मिलित हैं) Cash in hand (including foreign currency notes and gold)	3220,31,11	2530,11,93
II. भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ Balance with Reserve Bank of India		
(i) चालू खाते में In Current Account	20900,60,36	26546,30,57
(ii) अन्य खातों में In Other Accounts	27413,70,11	—
योग TOTAL	51534,61,58	29076,42,50





अनुसूची 7 — बैंकों में जमाराशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि
SCHEDULE 7 — BALANCES WITH BANKS & MONEY AT CALL & SHORT NOTICE

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

					31.3.2008 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2008 (current year)	31.3.2007 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2007 (previous year)
					रु. Rs.	रु. Rs.
I. भारत में						
In India						
(i) बैंकों में जमाराशियाँ						
Balances with banks						
(क) चालू खातों में						
(a) In Current Accounts	1105,19,38	996,68,04
(ख) अन्य जमा खातों में						
(b) In Other Deposit Accounts	2608,31,90	—
(ii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि						
Money at call and short notice						
(क) बैंकों में						
(a) With banks	6759,00,00	6503,29,34
(ख) अन्य संस्थाओं में						
(b) With other institutions	—	—
	योग TOTAL				10472,51,28	7499,97,38
II. भारत के बाहर						
Outside India						
(i) चालू खातों में						
In Current Accounts	1252,31,93	1835,75,03
(ii) अन्य जमा खातों में						
In Other Deposit Accounts	749,15,34	2410,91,56
(iii) माँग और अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि						
Money at call and short notice	3457,73,37	11145,62,53
	योग TOTAL				5459,20,64	15392,29,12
	कुल योग GRAND TOTAL				15931,71,92	22892,26,50





अनुसूची 8 — विनिधान

SCHEDULE 8 — INVESTMENTS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2008 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2008 (current year)	31.3.2007 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2007 (previous year)
	₹. Rs.	₹. Rs.
I. भारत में विनिधान Investments in India in:		
(i) सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities	140734,03,68	117703,11,14
(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other approved securities	2738,25,17	3343,05,89
(iii) शेयर Shares	4502,53,72	2304,65,19
(iv) डिबेंचर और बांड Debentures and Bonds	17628,77,57	8690,71,27
(v) अनुषंगियाँ और/अथवा सह-उद्यम (सहयोगियों सहित) Subsidiaries and/or joint ventures (including Associates)	3766,46,03	2220,87,43
(vi) अन्य (म्यूच्युअल फंडों की यूनिटें, वाणिज्यिक पत्र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों की जमा राशियाँ आदि) Others (Units of Mutual Funds, Commercial Papers, Priority sector deposits etc.)	14960,04,07	9073,91,24
योग TOTAL	184330,10,24	143336,32,16
II. भारत के बाहर विनिधान Investments outside India in		
(i) सरकारी प्रतिभूतियों में (इसमें स्थानीय प्राधिकरण सम्मिलित हैं) Government securities (including local authorities)	394,23,41	567,71,60
(ii) विदेशों में समनुषंगी और/अथवा सह-उद्यम Subsidiaries and/or joint ventures abroad	613,80,25	352,49,77
(iii) अन्य विनिधान (शेयर, डिबेंचर आदि) Other investments (Shares, Debentures etc.)	4163,13,19	4892,34,72
योग TOTAL	5171,16,85	5812,56,09
कुल योग GRAND TOTAL	189501,27,09	149148,88,25
III. भारत में विनिधान Investments in India		
(i) विनिधानों का सकल मान Gross Value of Investments	185278,42,52	144580,01,14
(ii) घटाएँ : कुल प्रावधान/मूल्यह्रास Less : Aggregate of Provisions/Depreciation	948,32,28	1243,68,98
(iii) निवल विनिधान (ऊपर I से) Net Investments (vide I above)	184330,10,24	143336,32,16
योग TOTAL	184330,10,24	143336,32,16
IV. भारत के बाहर विनिधान Investments outside India		
(i) विनिधानों का सकल मान Gross Value of Investments	5204,26,52	5823,31,53
(ii) घटाएँ : कुल प्रावधान/मूल्यह्रास Less : Aggregate of Provisions/Depreciation	33,09,67	10,75,44
(iii) निवल विनिधान (ऊपर II से) Net Investments (vide II above)	5171,16,85	5812,56,09
योग TOTAL	5171,16,85	5812,56,09
कुल योग GRAND TOTAL	189501,27,09	149148,88,25





अनुसूची 9 — अग्रिम
SCHEDULE 9 — ADVANCES

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2008 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2008 (current year)	31.3.2007 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2007 (previous year)
	₹. Rs.	₹. Rs.
क. (i) क्रय किए गए और मितिकाटे पर भुगतान किए गए विनिमय पत्र A. Bills purchased and discounted	36733,49,02	30787,10,14
(ii) कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट और माँग पर प्रतिसदेय उधार Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	151999,99,96	125476,17,29
(iii) सावधि उधार Term loans	228034,70,64	181073,21,92
योग TOTAL	416768,19,62	337336,49,35
ख. (i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋणों पर अग्रिम सम्मिलित है) B. Secured by tangible assets (includes advances against Book Debt)	284231,06,15	233336,81,03
(ii) बैंक/सरकारी प्रत्याभूतियों द्वारा संरक्षित Covered by Bank/Government Guarantees	20244,75,74	21719,09,18
(iii) अप्रतिभूत Unsecured	112292,37,73	82280,59,14
योग TOTAL	416768,19,62	337336,49,35
ग. (I) भारत में अग्रिम C. Advances in India		
(i) प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र Priority Sector	119230,51,18	102015,85,14
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	23025,00,32	27164,92,08
(iii) बैंक Banks	77,66,24	2696,31,70
(iv) अन्य Others	218295,16,99	167406,35,94
योग TOTAL	360628,34,73	299283,44,86
(II) भारत के बाहर अग्रिम Advances outside India		
(i) बैंकों से शोध्य Due from banks	2135,16,19	2834,34,43
(ii) अन्यो से शोध्य Due from others		
(क) क्रय किए गए और मितिकाटे पर भुगतान किए गए विनिमय पत्र (a) Bills purchased and discounted	15543,40,45	10448,94,17
(ख) अभिषद उधार (b) Syndicated loans	19856,62,20	12605,50,09
(ग) अन्य (c) Others	18604,66,05	12164,25,80
योग TOTAL	56139,84,89	38053,04,49
कुल योग GRAND TOTAL	416768,19,62	337336,49,35





अनुसूची 10 — अचल आस्तियाँ
SCHEDULE 10 — FIXED ASSETS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2008 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2008 (current year)		31.3.2007 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2007 (previous year)	
	रु. Rs.		रु. Rs.	
I. क. परिसर				
A. Premises				
पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	1448,62,77		1346,45,99	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	40,20,10		105,30,36	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	38,29		3,13,58	
अद्यतन मूल्यहास Depreciation to date	557,30,25	931,14,33	498,92,88	949,69,89
ख. निर्माणाधीन परिसर				
B. Premises under Construction	234,25,82			141,95,26
II. अन्य अचल आस्तियाँ (इसमें फर्नीचर और फिक्सचर सम्मिलित हैं) Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)				
पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	5493,19,27		4981,56,51	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	1145,34,90		635,08,49	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	76,80,88		123,45,73	
अद्यतन मूल्यहास Depreciation to date	4397,99,28	2163,74,01	3855,37,21	1637,82,06
III. पट्टाकृत आस्तियाँ				
Leased Assets				
पूर्ववर्ती वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	1120,10,41		1190,93,80	
वर्ष के दौरान परिवर्धन Additions during the year	—		—	
वर्ष के दौरान कटौतियाँ Deductions during the year	181,93,50		70,83,39	
अद्यतन मूल्यहास प्रावधानों सहित Depreciation to date including provision	888,54,10		960,87,48	
	49,62,81		159,22,93	
घटाएँ : पट्टा समायोजन और प्रावधान Less : Lease Adjustment and Provisions	5,28,88	44,33,93	69,83,47	89,39,46
योग TOTAL	3373,48,09		2818,86,67	





अनुसूची 11 — अन्य आस्तियाँ
SCHEDULE 11 — OTHER ASSETS

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2008 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2008 (current year)	31.3.2007 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2007 (previous year)
	रु. Rs.	रु. Rs.
(i) अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)	11340,53,28	216,96,15
(ii) प्रोद्भूत ब्याज Interest accrued	6298,14,48	5020,30,82
(iii) अग्रिम रूप से संदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/tax deducted at source	2477,86,74	2152,43,61
(iv) लेखन सामग्री और स्टॉप Stationery and stamps	95,60,12	78,61,32
(v) दावों की संतुष्टि में प्राप्त की गई गैर-बैंककारी आस्तियाँ Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	34,91	34,91
(vi) आस्थगित कर आस्तियाँ (निवल) Deferred Tax Assets (Net)	42,04,56	—
(vii) अन्य Others	24162,48,82	17823,63,80
योग TOTAL	44417,02,91	25292,30,61

अनुसूची 12 — समाश्रित देयताएँ
SCHEDULE 12 — CONTINGENT LIABILITIES

(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2008 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31.3.2008 (current year)	31.3.2007 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31.3.2007 (previous year)
	रु. Rs.	रु. Rs.
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims against the bank not acknowledged as debts	799,73,02	3808,98,78
II. अंशतः संदत्त विनिधानों के लिए देयता Liability for partly paid investments	2,80,00	2,80,00
III. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं की बाबत देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	310457,51,74	197285,30,50
IV. संघटकों की ओर से दी गई प्रत्याभूतियाँ Guarantees given on behalf of constituents		
(क) भारत में		
(a) In India	35159,13,45	23715,63,18
(ख) भारत के बाहर		
(b) Outside India	14503,88,10	13905,56,57
V. प्रतिग्रहण, पृष्ठांकन और अन्य बाध्यताएँ Acceptances, endorsements and other obligations	74706,09,41	47050,64,26
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक समाश्रित रूप से उत्तरदायी है (डिरेक्टिव सौदों की आनुमानिक मूल सहित) Other items for which the bank is contingently liable (Including notional principal of Derivative transactions)	375167,32,35	241185,72,26
योग TOTAL	810796,48,07	526954,65,55





भारतीय स्टेट बैंक का 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि खाता

(000 को छोड़ दिया गया है)

PROFIT AND LOSS ACCOUNT OF STATE BANK OF INDIA FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2008

(000s omitted)

	अनुसूची सं. Schedule No.	31.3.2008 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31.3.2008 (current year)	31.3.2007 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) Year ended 31.3.2007 (previous year)
		₹. Rs.	₹. Rs.
I. आय INCOME			
अर्जित ब्याज Interest earned	13	48950,30,71	37242,32,60
अन्य आय Other Income	14	8694,92,84	6765,26,18
योग TOTAL		57645,23,55	44007,58,78
II. व्यय EXPENDITURE			
व्यय किया गया ब्याज Interest expended	15	31929,07,69	22184,13,48
परिचालन व्यय Operating expenses	16	12608,60,60	11823,51,66
प्रावधान और आकस्मिक व्यय Provisions and contingencies		6378,42,79	5458,62,91
योग TOTAL		50916,11,08	39466,28,05
III. लाभ PROFIT			
वर्ष के लिए निवल लाभ Net Profit for the year		6729,12,47	4541,30,73
अग्रानीत लाभ Profit brought forward		33,93	33,93
सामान्य आरक्षितियों से अंतरण Transfer from General Reserve		937	2,88,57
योग TOTAL		6729,55,77	4544,53,23
विनियोजन APPROPRIATIONS			
कानूनी आरक्षितियों को अंतरण Transfer to statutory reserves		4839,07,23	3358,11,32
विनिधान आरक्षितियों में अंतरण Transfer to Investment reserves		62,17,87	—
पूंजी आरक्षित में अंतरण Transfer to Capital Reserve		443,98	3,91
राजस्व एवं अन्य आरक्षितियों में अंतरण Transfer to Revenue and other reserves		300,00,00	324,00,00
लाभांश Dividend		1357,66,13	736,81,84
लाभांश पर कर Tax on dividend		165,86,63	125,22,23
शेष राशि जो आगे तुलन-पत्र में ले जाई गई है Balance carried over to Balance Sheet		33,93	33,93
योग TOTAL		6729,55,77	4544,53,23
प्रति शेयर मूल करने योग्य आय Basic Earnings per Share		₹. Rs. 126.62	₹. Rs. 86.10
प्रति शेयर न्यूनीकृत आय Diluted Earnings per Share		₹. Rs. 126.50	₹. Rs. 86.10
प्रमुख लेखा नीतियाँ / Principal Accounting Policies...	17		
लेखा-टिप्पणियाँ / Notes on Accounts	18		



**अनुसूची 13 — अर्जित ब्याज****SCHEDULE 13 — INTEREST EARNED**(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2008 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31.3.2008 (current year)	31.3.2007 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) Year ended 31.3.2007 (previous year)
	रु. Rs.	रु. Rs.
I. अग्रिमों/विनिमय पत्रों पर ब्याज/मितीकाटा Interest/discount on advances/bills	35228,11,19	24839,17,66
II. विनिधानों पर आय Income on investments	11944,16,36	10456,19,75
III. भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा राशियों और अन्य अंतर-बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with Reserve Bank of India and other inter-bank funds	1200,07,40	1729,01,78
IV. अन्य Others	577,95,76	217,93,41
योग TOTAL	48950,30,71	37242,32,60

अनुसूची 14 — अन्य आय**SCHEDULE 14 — OTHER INCOME**(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2008 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31.3.2008 (current year)	31.3.2007 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) Year ended 31.3.2007 (previous year)
	रु. Rs.	रु. Rs.
I. कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange and brokerage	5914,25,45	4804,50,30
II. विनिधानों के विक्रय पर लाभ (हानि) (निवल) Profit / (Loss) on sale of investments (Net)	1649,83,91	567,78,12
III. विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ (हानि) Profit / (Loss) on revaluation of investments	(703,50,07)	(640,71,90)
IV. पट्टाकृत आस्तियों सहित भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ (निवल) Profit on sale of land, buildings and other assets including leased assets (Net)	11,04,09	7,47,20
V. विनिमय लेनदेन पर लाभ Profit on exchange transactions	692,69,81	331,46,97
VI. विदेश/भारत में स्थापित समनुषंगियों/कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांशों आदि के रूप में अर्जित आय Income earned by way of dividends, etc., from subsidiaries/ companies and/or joint ventures abroad/in India	197,40,55	598,12,03
VII. वित्तीय - पट्टा आय Income from financial lease	31,86,36	88,28,86
VIII. प्रकीर्ण आय Miscellaneous Income	901,32,74	1008,34,60
योग TOTAL	8694,92,84	6765,26,18



**अनुसूची 15 — व्यय किया गया ब्याज****SCHEDULE 15 — INTEREST EXPENDED**(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2008 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31.3.2008 (current year)	31.3.2007 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) Year ended 31.3.2007 (previous year)
	रु. Rs	रु. Rs.
I. जमा राशियों पर ब्याज Interest on deposits	27072,58,10	18704,71,59
II. भारतीय रिज़र्व बैंक/अंतर-बैंक उधारों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India/Inter-bank borrowings	2938,43,98	1450,53,15
III. अन्य Others	1918,05,61	2028,88,74
योग TOTAL	31929,07,69	22184,13,48

अनुसूची 16 — परिचालन व्यय**SCHEDULE 16 — OPERATING EXPENSES**(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2008 को समाप्त वर्ष (चालू वर्ष) Year ended 31.3.2008 (current year)	31.3.2007 को समाप्त वर्ष (पिछला वर्ष) Year ended 31.3.2007 (previous year)
	रु. Rs.	रु. Rs.
I. कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	7785,86,94	7932,59,36
II. भाटक, कर और रोशनी Rent, taxes and lighting	993,41,81	896,50,11
III. मुद्रण और लेखन-सामग्री Printing and stationery	188,87,76	173,87,31
IV. विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity	173,23,16	88,42,66
V. (क) बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास (पट्टाकृत आस्तियों के अतिरिक्त) (a) Depreciation on bank's property (Other than Leased Assets)	651,04,24	527,74,82
(ख) पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यह्रास (b) Depreciation on Leased Assets	28,93,67	74,64,41
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	1,23,20	107,83
VII. लेखा-परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा-परीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित) Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fees and expenses)	97,34,58	62,28,29
VIII. विधि प्रभार Law charges	60,45,14	57,35,98
IX. डाक महसूल, तार और टेलीफोन आदि Postage, Telegrams, Telephones etc.	216,57,72	118,16,92
X. मरम्मत और अनुरक्षण Repairs and maintenance	235,82,73	189,14,95
XI. बीमा Insurance	415,84,36	355,28,60
XII. अन्य व्यय Other expenditure	1759,95,29	1346,40,42
योग TOTAL	12608,60,60	11823,51,66





अनुसूची 17

प्रमुख लेखा नीतियाँ

क. तैयार करने का आधार

सलग वित्तीय विवरण अवधिगत लागत आधार पर, डेरीवेटिव्स और विदेशी मुद्रा लेन-देनों के लिए यथा आशोधित, जैसा कि नीचे भाग 'ग' में वर्णित है, तैयार किए गए हैं। वे भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा-सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुरूप हैं एवं जिनमें सांविधिक प्रावधान, नियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा-मानक/मार्गदर्शी टिप्पणियाँ और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाएँ शामिल होती हैं।

ख. प्राक्कलनों का प्रयोग

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन को, वित्तीय विवरणों की तिथि को - आस्तियों और देयताओं, (इसमें आकस्मिक देयताएँ सम्मिलित हैं) की सूचित राशि तथा सूचना अवधि के दौरान सूचित आय एवं व्यय में प्रतिफलित प्राक्कलन और पूर्वानुमान करने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन यथोचित एवं पर्याप्त हैं। भावी परिणाम इन प्राक्कलनों से अलग हो सकते हैं। लेखा प्राक्कलनों में किसी संशोधन का वर्तमान और भविष्यगत अवधि के लिए भविष्यलक्षी प्रभाव से अभिज्ञान किया गया है।

ग. प्रमुख लेखा नीतियाँ

1. राजस्व निर्धारण

- 1.1 निम्नांकित को छोड़कर आय और व्यय को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है। बैंक के विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में आय का अभिज्ञान उस देश के स्थानीय कानून के अनुसार किया गया है जिस देश में वह कार्यालय स्थित है।
- 1.2 ब्याज आय का लाभ और हानि खाते में प्रोद्भूत आधार पर निर्धारण (i) अग्रिमों, पट्टों और विनिधानों से समाविष्ट अनर्जक आस्तियों से आय, जिसका निर्धारण भारतीय रिज़र्व बैंक / संबंधित देश के विनियामकों (इसके पश्चात् सामूहिक रूप से विनियामक प्राधिकारी कहलाए जाएंगे) द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली आधार पर किया जाता है, (ii) विनिधानों की आवेदन-राशि पर ब्याज, (iii) विनिधानों तथा बट्टाकृत बिलों पर अतिदेय ब्याज के अलावा किया गया है। (iv) रुपया डेरीवेटिव्स पर आय को "ट्रेडिंग" नाम से नामित किया गया है।
- 1.3 विनिधानों की बिक्री पर होने वाले लाभ / हानि को "विनिधान की बिक्री पर लाभ/हानि" खाते में जमा/नामे किया गया है और उसके पश्चात् "परिपक्वता के लिए रखे गए" श्रेणी के विनिधानों की बिक्री पर होने वाले लाभ को (प्रयोज्य करों और सांविधिक आरक्षित अपेक्षाओं को घटाने के बाद) पूँजी आरक्षित में विनियोग किया गया है।
- 1.4 वित्त पट्टों से हुई आय का परिकलन प्राथमिक पट्टा अवधि से अधिक अवधि के पट्टे पर बकाया निवल विनिधान के पट्टे में अन्तर्निहित ब्याज दर का उपयोग करके किया गया है। 01 अप्रैल, 2001 से प्रभावी पट्टों को पट्टे में निवल विनिधान के समान राशि के अग्रिम के रूप में लेखे में लिया गया है। पट्टा किरायों का मूल राशि और वित्त आय में प्रभाजन वित्त पट्टों से सम्बद्ध बकाया निवल प्रावधानों के नियत आवधिक प्रतिफल के परावर्ती स्वरूप के आधार पर किया गया है। मूल राशि का उपयोग पट्टे में निवल विनिधान राशि को घटाने के लिए किया गया है और वित्त आय को ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया गया है।
- 1.5 "परिपक्वता के लिए रखे गए" श्रेणी में विनिधान पर आय (ब्याज को

SCHEDULE 17

PRINCIPAL ACCOUNTING POLICIES :

A. Basis of Preparation

The accompanying financial statements have been prepared under the historical cost convention **as modified for derivatives and foreign currency transactions, as enumerated in Part C below**. They conform to Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, which comprise the statutory provisions, guidelines of regulatory authorities, Reserve Bank of India (RBI), accounting standards/guidance notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), and the practices prevalent in the banking industry in India.

B. Use of Estimates

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amounts of assets and liabilities (including contingent liabilities) as of the date of the financial statements and the reported income and expenses during the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Any revision to the accounting estimates is recognised prospectively in the current and future periods.

C. PRINCIPAL ACCOUNTING POLICIES

1. Revenue recognition

- 1.1 Income and expenditure are accounted on accrual basis, except otherwise stated below. In respect of banks' foreign offices, income is recognised as per the local laws of the country in which the respective foreign office is located.
- 1.2 Interest income is recognised in the Profit and Loss Account as it accrues except (i) income from non-performing assets (NPAs), comprising of advances, leases and investments, which is recognised upon realisation, as per the prudential norms prescribed by the RBI/ respective country regulators (hereafter collectively referred to as Regulatory Authorities), (ii) interest on application money on investments (iii) overdue interest on investments and bills discounted, (iv) Income on Rupee Derivatives designated as "Trading".
- 1.3 Profit / Loss on sale of investments is credited / debited to "Profit / Loss on Sale of Investments" and thereafter in respect of profit on sale of investments in the Held to Maturity category is appropriated (net of applicable taxes and statutory reserve requirements) to Capital Reserve.
- 1.4 Income from finance leases is calculated by applying the interest rate implicit in the lease to the net investment outstanding on the lease, over the primary lease period. Leases effective from April 1, 2001 are accounted as advances at an amount equal to the net investment in the lease. The lease rentals are apportioned between principal and finance income based on a pattern reflecting a constant periodic return on the net investment outstanding in respect of finance leases. The principal amount is utilized for reduction in balance of net investment in lease and finance income is reported as interest income.
- 1.5 Income (other than interest) on investments in "Held





छोड़कर) को अंकित मूल्य की तुलना में बट्टाकृत मूल्य पर निम्नवत अभिज्ञान में लिया गया है :

- क) ब्याज-प्राप्त करने वाली प्रतिभूतियों के संदर्भ, में इसे बिक्री / शोधन के समय अभिज्ञान में लिया गया है.
 - ख) शून्य-कूपन प्रतिभूतियों पर, इसे प्रतिभूति की शेष अवधि के लिए नियत आय आधार पर लेखे में लिया गया है.
- 1.6 जहाँ लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध होता है वहाँ लाभांश को प्रोद्भवन आधार पर लेखे में लिया गया है.
- 1.7 (i) आस्थगित भुगतान गारंटियों पर गारंटी कमीशन का आकलन गारंटी की पूरी अवधि के लिए किया गया है और (ii) सरकारी व्यवसाय पर कमीशन का निर्धारण प्रोद्भवन आधार पर किया गया है. इन दोनों को छोड़कर अन्य सभी कमीशन और शुल्क - आय का निर्धारण वसूली के बाद किया गया है.

2. विनिधान

विनिधानों को वर्तमान विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखे में लिया गया है. बैंक अपने विनिधानों को लेखे में लेने के लिए व्यवसाय-तिथि पद्धति अपनाता है.

2.1 वर्गीकरण

विनिधानों का 03 श्रेणियों अर्थात् “परिपक्वता के लिए रखे गए”, “विक्रय के लिए उपलब्ध” और “व्यवसाय के लिए रखे गए” श्रेणियों (इसके पश्चात् इन्हें श्रेणियाँ कहा गया है) में वर्गीकरण किया गया है. इन श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत विनिधानों को पुनः निम्नानुसार छह समूहों में वर्गीकृत किया गया है.

- i. सरकारी प्रतिभूतियाँ,
- ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ,
- iii. शेयर,
- iv. डिबेंचर और बांड,
- v. अनुषंगी/संयुक्त उद्यम तथा
- vi. अन्य

2.2 वर्गीकरण का आधार :

- i. उन विनिधानों को “परिपक्वता के लिए रखे गए” श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें बैंक द्वारा परिपक्वता तक रखा जाता है.
- ii. उन विनिधानों को “व्यवसाय के लिए रखे गए” श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें क्रय तिथि से 90 दिनों के भीतर सिद्धांततः पुनर्विक्रय हेतु रखा जाता है.
- iii. जिन विनिधानों को उपर्युक्त दो श्रेणियों में वर्गीकृत नहीं किया गया है, उन्हें “विक्रय के लिए उपलब्ध” श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है.
- iv. किसी विनिधान को इसके क्रय के समय “परिपक्वता के लिए रखे गए”, “विक्रय के लिए उपलब्ध” या “व्यवसाय के लिए रखे गए” श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है और उसके पश्चात् श्रेणियों में परस्पर परिवर्तन विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया गया है.
- v. अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों में किए गए विनिधानों को “परिपक्वता के लिए रखे गए” श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है.

2.3 मूल्यन :

- i. किसी विनिधान की अभिग्रहण-लागत का निर्धारण करने में;
 - (क) अभिदानो पर प्राप्त दलाली/कमीशन को लागत में से घटा दिया गया है.
 - (ख) विनिधानों के अभिग्रहण के संबंध में प्रदत्त दलाली, कमीशन आदि का उसी समय व्यय कर दिया गया है और इन्हें लागत में शामिल नहीं किया गया है.

to Maturity” (HTM) category acquired at a discount to the face value, is recognised as follows :

- a) On Interest bearing securities, it is recognised only at the time of sale/ redemption.
- b) On zero-coupon securities, it is accounted for over the balance tenor of the security on a constant yield basis.

1.6 Dividend is accounted on an accrual basis where the right to receive the dividend is established.

1.7 All other commission and fee incomes are recognised on their realisation except for (i) Guarantee commission on deferred payment guarantees, which is spread over the period of the guarantee and (ii) Commission on Government Business, which is recognised as it accrues.

2. Investments

Investments are accounted for in accordance with the extant regulatory guidelines. The bank follows trade date method for accounting of its investments.

2.1 Classification

Investments are classified into 3 categories, viz. Held to Maturity, Available for Sale and Held for Trading categories (hereafter called categories). Under each of these categories, investments are further classified into the following six groups:

- i. Government Securities,
- ii. Other Approved Securities,
- iii. Shares,
- iv. Debentures and Bonds,
- v. Subsidiaries/Joint ventures and
- vi. Others.

2.2 Basis of classification:

- i. Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as Held to Maturity.
- ii. Investments that are held principally for resale within 90 days from the date of purchase are classified as Held for Trading.
- iii. Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as Available for Sale.
- iv. An investment is classified as Held to Maturity, Available for Sale or Held for Trading at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories is done in conformity with regulatory guidelines.
- v. Investments in subsidiaries, joint ventures and associates are classified under as Held to Maturity.

2.3 Valuation :

- i. In determining the acquisition cost of an investment :
 - (a) Brokerage/commission received on subscriptions is reduced from the cost.
 - (b) Brokerage, commission etc. paid in connection with acquisition of investments are expensed upfront and excluded from cost.





- (ग) ऋण लिखतों पर खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/प्राप्त ब्याज को ब्याज व्यय/आय के रूप में माना गया है और इन्हें लागत / विक्रय के प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया है.
- (घ) लागत का निर्धारण भारत औसत लागत प्रणाली के अनुसार किया गया है.
- (ङ) उपरोक्त तीन श्रेणियों में प्रतिभूति के अंतरण को अंतरण की तिथि पर न्यूनतम अभिग्रहण लागत/बही मूल्य/बाजार मूल्य के अनुसार लेखे में लिया गया है, और ऐसे अंतरण पर हुए मूल्यह्रास, यदि हो तो, का पूर्णतया प्रावधान किया गया है.
- ii. राजस्व बिलों और वाणिज्यिक पत्रों का मूल्यन अग्रानीत व्यय आधार पर किया गया है.
- iii. **परिपक्वता के लिए रखे गए श्रेणी :** परिपक्वता के लिए रखे गए प्रत्येक स्क्रिप को अभिग्रहण लागत पर लिया गया है और यदि उसे अंकित मूल्य पर अभिगृहीत किया गया है तो उसे परिशोधित लागत पर लिया गया है. किसी अभिगृहीत प्रीमियम को नियत आय आधार पर प्रतिभूति की बची हुई परिपक्वता अवधि में परिशोधित किया गया है. ऐसे प्रीमियम के परिशोधन को “विनिधानों पर ब्याज” शीर्ष के अन्तर्गत आय के सापेक्ष समायोजित किया गया है. अस्थायी के अतिरिक्त ह्रास के लिए प्रावधान किया गया है. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों (देश और विदेश दोनों में ही) में विनिधान को अवधिगत लागत आधार पर मूल्यांकित किया गया है. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में विनिधान को अग्रानीत लागत (अर्थात् बही मूल्य) पर मूल्यांकित किया गया है.
- iv. **विक्रय के लिए उपलब्ध तथा व्यवसाय के लिए रखे गए श्रेणियाँ :** उपरोक्त दोनों श्रेणियों के प्रत्येक स्क्रिप का पुनर्मूल्यन विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित बाजार मूल्य या उचित मूल्य के अनुसार किया गया है और प्रत्येक श्रेणी से सम्बद्ध प्रत्येक समूह के निवल मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है और निवल मूल्यवृद्धि को लेखे में नहीं लिया गया है. मूल्यह्रास का प्रावधान होने पर प्रत्येक प्रतिभूति का बही मूल्य बाजार के बही - मूल्य के अनुसार अंकन के पश्चात् अपरिवर्तित रहा है.
- v. आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यन गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन-सएलआर) लिखतो पर लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया है. तदनुसार, जिन मामलों में आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का परिशोधन तत्सम्बद्ध योजना के लिखतों के लिए आबंटित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली के अनुसार किया गया है, उन मामलों में निवल आस्ति मूल्य, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी से प्राप्त, की गणना ऐसे विनिधानों के मूल्यन के लिए की गई है.
- vi. देशी कार्यालयों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के तथा विदेश स्थित कार्यालयों के संबंध में उस देश के विनियामकों के दिशा-निर्देशों के आधार पर विनिधानों को अर्जक और अनर्जक श्रेणियों में विभाजित किया गया है. देशी कार्यालयों के विनिधान निम्नलिखित स्थितियों में अनर्जक हो जाते हैं :
- क) ब्याज/किस्त (परिपक्वता राशि सहित) देय है और 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया हैं.
- ख) इक्विटी शेयरों के संबंध में, जहाँ अद्यतन तुलनपत्र की अनुपलब्धता के कारण शेयरों को रु. 1/- प्रति कंपनी मूल्य प्रदान किया गया है - ऐसे इक्विटी शेयरों को अनर्जक विनिधान माना जाएगा.
- (c) Broken period interest paid / received on debt instruments is treated as interest expense/income and is excluded from cost/sale consideration.
- (d) Cost is determined on the weighted average cost method.
- (e) The transfer of a security amongst the above three categories is accounted for at the least of acquisition cost/book value/market value on the date of transfer, and the depreciation, if any, on such transfer is fully provided for.
- ii. Treasury Bills and Commercial Papers are valued at **carrying cost**.
- iii. **Held to Maturity category:** Each scrip under Held to Maturity category is carried at its acquisition cost or at amortised cost, if acquired at a premium over the face value. Any premium on acquisition is amortised over the remaining maturity period of the security on constant yield basis. Such amortisation of premium is adjusted against income under the head “interest on investments”. A provision is made for diminution, other than temporary. Investments in subsidiaries, joint ventures and associates (both in India and abroad) are valued at historical cost except for investments in Regional Rural Banks, which are valued at carrying cost (i.e book value).
- iv. **Available for Sale and Held for Trading categories:** Each scrip in the above two categories is revalued at the market price or fair value **determined as per Regulatory guidelines**, and only the net depreciation of each group for each category is provided for and net appreciation, is ignored. On provision for depreciation, the book value of the individual securities remains unchanged after marking to market.
- v. Security receipts issued by an asset reconstruction company (ARC) are valued in accordance with the guidelines applicable to non-SLR instruments. Accordingly, in cases where the security receipts issued by the ARC are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Net Asset Value, obtained from the ARC, is reckoned for valuation of such investments.
- vi. Investments are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI in case of domestic offices and respective regulators in case of foreign offices. Investments of domestic offices become non performing where :
- a) Interest/installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
- b) In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at Re. 1 per company on account of the non availability of the latest balance sheet, those equity shares would be reckoned as NPL.





- ग) यदि जारीकर्ता द्वारा ली गई कोई ऋण-सुविधा बैंक - बही में अनर्जक आस्ति हो गई है - ऐसी स्थिति में उसी जारीकर्ता द्वारा जारी किसी भी प्रतिभूति में विनिधान को और जारीकर्ता द्वारा विनिधान को अनर्जक विनिधान माना जाएगा।
- घ) उपर्युक्त, आवश्यक परिवर्तनों के साथ उन प्रिफरेंस शेयरों पर भी लागू होगा जहाँ निर्धारित लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है।
- ङ) ऐसे डिबेंचरों / बांडों में विनिधान जो अग्रिम की प्रकृति के हैं उन पर अनर्जक विनिधान के वही मानदंड लागू होंगे जो विनिधानों पर लागू होते हैं।
- च) विदेश स्थित कार्यालयों के अनर्जक विनिधानों के संबंध में प्रावधान-स्थानीय विनियामकों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों में जो अधिक था उसके अनुसार किया गया है।
- vii. रिपो तथा प्रत्यावर्तित रिपो लेन-देन (भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन लेनदेन के अलावा) को लेखे में लेने के लिए बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित “समान लेखा प्रक्रिया” को अपनाया है। तदनुसार, रिपो/प्रत्यावर्तित रिपो के अधीन विक्रय/क्रय की गई प्रतिभूतियों को एकमुश्त विक्रय / क्रय माना गया है और उन्हें रिपो/प्रत्यावर्तित रिपो खातों के लेखे में लिया गया है तथा इन प्रविष्टियों का परिपक्वता तिथि को प्रत्यावर्तन किया गया है। लागत एवं राजस्व को यथास्थिति ब्याज व्यय/आय के रूप में लेखे में लिया गया है। रिपो/प्रत्यावर्तित रिपो खाते की शेष राशि का समायोजन विनिधान खाते की शेष राशि के सापेक्ष किया गया है।
- viii. भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अधीन क्रय / बिक्री की गई प्रतिभूतियों को विनिधान खाते में नामे/जमा किया गया है और उनको लेनदेन की परिपक्वता की तिथि पर प्रत्यावर्तित किया गया है। उन पर व्यय / अर्जित ब्याज को व्यय/ राजस्व के रूप में लेखे में लिया गया है।
- c) If any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities issued by the same issuer would also be treated as NPI and vice versa.
- d) The above would apply mutatis-mutandis to preference shares where the fixed dividend is not paid.
- e) The investments in debentures/bonds, which are deemed to be in the nature of advance, are also subjected to NPI norms as applicable to investments.
- f) In respect of foreign offices, provisions for non performing investments are made as per the local regulations or as per the norms of RBI, whichever is higher.
- vii. The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of Repo and Reverse Repo transactions [other than transactions under the Liquidity Adjustment Facility (LAF) with the RBI]. Accordingly, the securities sold/purchased under Repo/Reverse repo are treated as outright sales/purchases and accounted for in the Repo/Reverse Repo Accounts, and the entries are reversed on the date of maturity. Costs and revenues are accounted as interest expenditure/income, as the case may be. Balance in Repo/Reverse Repo Account is adjusted against the balance in the Investment Account.
- viii. Securities purchased / sold under LAF with RBI are debited / credited to Investment Account and reversed on maturity of the transaction. Interest expended / earned thereon is accounted for as expenditure / revenue.

3 ऋण/अग्रिम और उन पर प्रावधान

- 3.1 ऋणों और अग्रिमों का वर्गीकरण भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा - निर्देशों के आधार पर अर्जक और अनर्जक ऋणों और अग्रिमों के रूप में किया गया है। ऋण आस्तियाँ उन मामलों में अनर्जक बन गई हैं, जहाँ:
- सावधि ऋण के संबंध में, ब्याज और/अथवा मूलधन की किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए अतिदेय रहती है;
 - ओवरड्राफ्ट या नकद-ऋण अग्रिम के संबंध में खाता “असंगत” (“आउट ऑफ ऑर्डर”) रहता है, अर्थात् यदि बकाया शेषराशि निरन्तर 90 दिनों की अवधि के लिए संस्वीकृत सीमा /आहरण प्राधिकार से अधिक हो जाती है, या कोई भी राशि तुलनपत्र की तिथि को निरन्तर 90 दिनों के लिए जमा नहीं है अथवा ये जमा राशियाँ उसी अवधि के दौरान देय ब्याज का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त हैं;
 - क्रय किए गए/बट्टाकृत बिलों के संबंध में, बिल 90 दिनों की अवधि से अधिक अतिदेय रहते हैं;
 - अल्पावधि फसलों के लिए कृषि अग्रिमों के संबंध में, जहाँ मूलधन की किस्त या ब्याज 02 फसल-ऋतुओं के लिए अतिदेय रहते हैं;
 - दीर्घावधि फसलों के लिए कृषि अग्रिमों के संबंध में, जहाँ मूलधन या ब्याज एक फसल -ऋतु के लिए अतिदेय रहते हैं।
- 3.2 अनर्जक अग्रिमों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर अव-मानक, संदिग्ध और हानिप्रद आस्तियों में वर्गीकृत किया गया है:

3. Loans /Advances and Provisions thereon

- 3.1 Loans and Advances are classified as performing and non-performing, based on the guidelines issued by the RBI. Loan assets become non-performing where:
- In respect of term loan, interest and/or instalment of principal remains overdue for a period of more than 90 days;
 - In respect of an Overdraft or Cash Credit advance, the account remains “out of order”, i.e. if the outstanding balance exceeds the sanctioned limit/drawing power continuously for a period of 90 days, or if there are no credits continuously for 90 days as on the date of balance-sheet, or if the credits are not adequate to cover the interest due during the same period;
 - In respect of bills purchased/discounted, the bill remains overdue for a period of more than 90 days;
 - In respect of agricultural advances for short duration crops, where the instalment of principal or interest remains overdue for 2 crop seasons;
 - In respect of agricultural advances for long duration crops, where the principal or interest remains overdue for one crop season.
- 3.2 Non-Performing advances are classified into sub-standard, doubtful and loss assets, based on the following criteria stipulated by RBI :





- i. अव-मानक : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों या उससे कम अवधि के लिए अनर्जक रह गई है.
- ii. संदिग्ध : कोई ऋण आस्ति, जो 12 महीनों की अवधि के लिए अव-मानक वर्ग में रह गई है.
- iii. हानिप्रद : कोई ऋण आस्ति, जिसमें हानि का अभिज्ञान हो गया है किन्तु उस राशि को पूर्णतया बट्टे खाते में नहीं डाला गया है.
- 3.3 अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार किए गए हैं और ये भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित निम्नलिखित न्यूनतम प्रावधान मानदंड के अधीन किए गए हैं:
- अव-मानक आस्तियाँ :
- i. 10% का सामान्य प्रावधान
- ii. ऋण जोखिमों, जो प्रारंभ से ही अप्रतिभूत हैं, के लिए 10% का अतिरिक्त प्रावधान (जहाँ प्रतिभूति का वसूली - मूल्य प्रारंभ से ही 10% से अधिक नहीं है)
- संदिग्ध आस्तियाँ :
- प्रतिभूत भाग :
- i. एक वर्ष तक - 20%
- ii. एक से तीन वर्ष तक - 30%
- iii. तीन वर्ष से अधिक - 100%
- अप्रतिभूत भाग 100%
- हानिप्रद आस्तियाँ : 100%
- 3.4 विदेश स्थित कार्यालयों के अनर्जक अग्रिमों के संबंध में प्रावधान -स्थानीय विनियामकों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के मानदंडों में जो अधिक था उसके अनुसार किया गया है.
- 3.5 अनर्जक आस्तियों के विक्रय को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दिशा - निर्देशों के अनुसार लेखे में लिया गया है, जिसमें किसी घाटे (जहाँ विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से कम है) के लिए प्रावधान किया जाना आवश्यक है, जबकि अधिशेष को (जहाँ विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से ज्यादा है) को शामिल नहीं किया गया है. निवल बही मूल्य रखे गए विशिष्ट प्रावधान तथा भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (इसीजीसी) के प्राप्त दावों से घटाने पर बकाया है.
- 3.6 अग्रिमों में से विशिष्ट ऋण पर किए गए हानिप्रद प्रावधानों, अप्राप्त ब्याज, भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (इसीजीसी) के प्राप्त दावों और बट्टाकृत बिलों को घटा दिया गया है.
- 3.7 पुनर्संरचनागत / पुनः निर्धारित आस्तियों के लिए प्रावधान भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा -निर्देशों के अनुसार किए गए हैं, जिसके अनुरूप मूल - ऋण करार के अनुसार भविष्यगत बकाया ब्याज के वर्तमान मूल्य की पुनर्संचित पैकेज के अंतर्गत सम्भावित ब्याज - आय से तुलना करने के बाद उक्त राशि की अनर्जक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान के अतिरिक्त प्रावधान किया जाएगा. उत्सर्जित ब्याज के प्रावधान को अग्रिम से घटाया नहीं गया है और इसे तुलनपत्र के “अन्य देयताएँ - अन्य” शीर्ष के अंतर्गत शामिल किया गया है.
- 3.8 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के मामले में, विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप होने पर ही किसी खाते को अर्जक खाते के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है.
- 3.9 पूर्ववर्ती वर्षों में बट्टे खाते में डाले गए ऋणों के सापेक्ष वसूली गई राशि का निर्धारण राजस्व के रूप में किया गया है.
- 3.10 पिछले वर्ष अग्रिमों के संदर्भ में रेखांकित किए गए ऐसे गैर-वसूलीकृत ब्याज जो चालू वर्ष के दौरान अनर्जक हो गए हैं, उनके लिए प्रावधान किया गया है.
- i. Sub-standard: A loan asset that has remained non-performing for a period less than or equal to 12 months.
- ii. Doubtful: A loan asset that has remained in the sub-standard category for a period of 12 months.
- iii. Loss: A loan asset where loss has been identified but the amount has not been fully written off.
- 3.3 Provisions are made for NPAs as per the extant guidelines prescribed by the regulatory authorities, subject to minimum provisions as prescribed below by the RBI :
- Substandard Assets :
- i. A general provision of 10%
- ii. Additional provision of 10% for exposures which are unsecured ab-initio (where realisable value of security is not more than 10 percent ab-initio)
- Doubtful Assets :
- Secured portion :
- i. Upto one year – 20%
- ii. One to three years – 30%
- iii. More than three years – 100%
- Unsecured portion 100%
- Loss Assets : 100%
- 3.4 In respect of foreign offices, provisions for non performing advances are made as per the local regulations or as per the norms of RBI, whichever is higher.
- 3.5 The sale of NPAs is accounted as per guidelines prescribed by the RBI, which requires provisions to be made for any deficit (where sale price is lower than the net book value), while surplus (where sale price is higher than the net book value) is ignored. Net book value is outstandings as reduced by specific provisions held and ECGC claims received.
- 3.6 Advances are net of specific loan loss provisions, unrealised interest, ECGC claims received and bills rediscounted.
- 3.7 For restructured/rescheduled assets, provisions are made in accordance with the guidelines issued by RBI, which requires that the present value of future interest due as per the original loan agreement, compared with the present value of the interest expected to be earned under the restructuring package, be provided in addition to provision for NPAs. The provision for interest sacrifice is not reduced from advances and is included in the balance sheet under the head “Other Liabilities-Others”.
- 3.8 In the case of loan accounts classified as NPAs, an account may be reclassified as a performing account if it conforms to the guidelines prescribed by the regulators.
- 3.9 Amounts recovered against debts written off in earlier years are recognised as revenue.
- 3.10 Unrealised Interest recognised in the previous year on advances which have become non-performing during the current year, is provided for.





3.11 अनर्जक आस्तियों पर विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान भी किए गए हैं। निवल अनर्जक आस्तियों की स्थिति की जानकारी के लिए मानक आस्तियों पर प्रावधानों को गणना में शामिल नहीं किया गया है। ये प्रावधान तुलनपत्र की अनुसूची 5 के “अन्य देयताएँ और प्रावधान - अन्य” शीर्ष के अन्तर्गत प्रदर्शित हैं।

4. देशवार ऋण-जोखिम के लिए प्रावधान

आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के अनुरूप किए गए विशिष्ट प्रावधान के अतिरिक्त पृथक् देशवार ऋण जोखिम (निजी देश के अलावा) के लिए प्रावधान किए गए हैं। इन देशों का वर्गीकरण सात जोखिम यथा नगण्य, कम, सामान्य, अधिक, अत्यधिक, प्रतिबंधित एवं ऋण में शामिल न होने वाले वर्गों में किया गया है, तथा यह प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशा - निर्देशों के अनुसार किया गया है। यदि प्रत्येक देश से संबंधित बैंक का देशवार ऋण जोखिम (निवल) कुल निधिक आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है तो ऐसे देशवार ऋण जोखिम पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

5. डेरीवेटिव्स :

5.1 बैंक डेरीवेटिव्स संविदाएँ जैसे विदेशी विनिमय विकल्प, ब्याज दर विनिमय, मुद्रा विनिमय, परस्पर मुद्रा ब्याज दर विनिमय, वायदा दर करार निष्पादित करता है ताकि तुलन पत्र की / तुलन पत्र इतर आस्तियों और देयताओं से बचाव किया जा सके या इनका क्रय-विक्रय किया जा सके। तुलन पत्र की आस्तियों और देयताओं से बचाव के लिए निष्पादित विनिमय संविदाएँ इस प्रकार तैयार की जाती हैं कि तुलनपत्र की अंतर्निहित मद्दों का प्रभाव प्रतिकूल और प्रति संतुलनकारी हो। इन डेरीवेटिव लिखतों का प्रभाव अंतर्निहित आस्तियों के क्रय-विक्रय पर निर्भर करता है और इसे प्रतिरक्षा लेखाकरण सिध्दांतों के अनुसार लेखे में लिया जाता है।

5.2 सभी डेरीवेटिव लिखतों को तुलनपत्र में आस्तियों या देयताओं के रूप में शामिल किया गया है और इनकी बाजार के बही मूल्य के अनुसार गणना की गई है।

5.3 प्रतिरक्षा संविदाओं के रूप में वर्गीकृत डेरीवेटिव संविदाओं को प्रोद्भवन आधार पर अंकित किया गया है। प्रतिरक्षा संविदाओं की गणना तब तक बाजार के बही मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जबतक कि अंतर्निहित आस्तियाँ/देयताएँ बाजार के बही मूल्य के अनुसार चिह्नित न किया गया है।

5.4 सिवा उपर्युक्त के, सभी अन्य डेरीवेटिव संविदाएँ उद्योग में प्रचलित सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिध्दांतों के अनुसार बाजार के बही मूल्य के अनुसार अंकित की गई हैं। बाजार के बही मूल्य के अनुसार चिह्नित डेरीवेटिव संविदाओं के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तन, परिवर्तन की अवधि में लाभ और हानि खाते में शामिल किए गए हैं।

5.5 संदत्त या प्राप्त ऑप्शन प्रीमियम ऑप्शन की अवधि की समाप्ति पर लाभ और हानि खाते में अंकित किया गया है।

6. अचल आस्तियाँ और मूल्यह्रास :

6.1 अचल आस्तियों का संचित मूल्यह्रास से कम लागत पर अंकन किया गया है।

6.2 लागत में क्रय लागत तथा समस्त व्यय, जैसे कि स्थान की तैयारी, संस्थापन लागत और आस्ति पर उसका उपयोग करने से पूर्व बहन की गई फीस शामिल हैं। उपयोग की गई आस्तियों पर बहन किए गए अनुवर्ती व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया गया है, जब ये व्यय इन आस्तियों से होने वाले भावी लाभ को/इन आस्तियों की व्यावहारिक क्षमता को बढ़ाते हैं।

6.3 आयकर नियम 1962 के अंतर्गत निर्धारित दरों की ह्रासित मूल्य पद्धति पर प्रबंधन द्वारा उचित समझे गए मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है।

3.11 In addition to the specific provision on NPAs, general provisions are also made for standard assets as per the extant guidelines prescribed by the RBI. The provisions on standard assets are not reckoned for arriving at net NPAs. These provisions are reflected in Schedule 5 of the balance sheet under the head “Other Liabilities & Provisions – Others.”

4. Provision for Country Exposure

In addition to the specific provisions held according to the asset classification status, provisions are held for individual country exposures (other than the home country). Countries are categorised into seven risk categories, namely, insignificant, low, moderate, high, very high, restricted and off-credit, and provisioning made as per extant RBI guidelines. If the country exposure (net) of the bank in respect of each country does not exceed 1% of the total funded assets, no provision is maintained on such country exposures.

5. Derivatives :

5.1 The Bank enters into derivative contracts, such as foreign currency options, interest rate swaps, currency swaps, and cross currency interest rate swaps and forward rate agreements in order to hedge on-balance sheet/off-balance sheet assets and liabilities or for trading purposes. The swap contracts entered to hedge on-balance sheet assets and liabilities are structured in such a way that they bear an opposite and offsetting impact with the underlying on-balance sheet items. The impact of such derivative instruments is correlated with the movement of the underlying assets and accounted in accordance with the principles of hedge accounting.

5.2 All derivative instruments are recognised as assets or liabilities in the balance sheet and measured at marked to market.

5.3 Derivative contracts classified as hedge are recorded on accrual basis. Hedge contracts are not marked to market unless the underlying Assets / Liabilities are also marked to market.

5.4 Except as mentioned above, all other derivative contracts are marked to market as per the generally accepted practices prevalent in the industry. In respect of derivative contracts that are marked to market, changes in the market value are recognised in the profit and loss account in the period of change.

5.5 Option premium paid or received is recorded in profit and loss account at the expiry of the option.

6. Fixed Assets and Depreciation

6.1 Fixed assets are carried at cost less accumulated depreciation.

6.2 Cost includes cost of purchase and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset before it is put to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

6.3 Depreciation is provided on the written down value method at the rates prescribed under the Income Tax Rules 1962, which are considered appropriate by the management. The rates of depreciation and method





इस देशी परिचालन के संबंध में मूल्यहरास की दरें और मूल्यहरास प्रभारित करने की पद्धति का विवरण निम्नानुसार है :

क्रम सं.	अचल आस्तियों का विवरण	मूल्यहरास प्रभारित करने की पद्धति	मूल्यहरास/ परिशोधन दर
1	कंप्यूटर	सीधी कटौती प्रणाली	33.33% प्रति वर्ष
2	हार्डवेयर के अभिन्न अंग के रूप में शामिल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	हरासित मूल्य पद्धति	60%
3	हार्डवेयर के अभिन्न अंग के रूप में न शामिल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	सीधी कटौती प्रणाली	अभिग्रहण वर्ष में 100%
4	31 मार्च 2001 तक वित्तीय पट्टे पर दी गई आस्तियाँ	सीधी कटौती प्रणाली	कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन निर्धारित दर पर
5	अन्य अचल आस्तियाँ	हरासित मूल्य पद्धति	आयकर नियम 1962 के अधीन निर्धारित दर पर

6.4 वर्ष के दौरान देशी परिचालनों से प्राप्त आस्तियों के संबंध में मूल्यहरास 182 दिनों तक प्रयुक्त आस्तियों पर अर्द्धवर्ष के लिए तथा 182 दिनों से अधिक प्रयुक्त आस्तियों पर पूरे वर्ष के लिए प्रभारित किया गया है, जबकि कंप्यूटरों और साफ्टवेयर पर मूल्यहरास - इस आस्ति का उपयोग करने की अवधि से निरपेक्ष पूरे वर्ष के लिए प्रभारित किया गया है.

6.5 ऐसी मदें जिनमें से प्रत्येक का मूल्य रु. 1000/- से कम हो उन्हें क्रय वर्ष में ही बट्टे खाते में डाल दिया गया है.

6.6 पट्टाकृत परिसरों से सम्बद्ध पट्टा प्रीमियम, यदि हो तो, को पट्टा अवधि पर परिशोधित किया गया है और पट्टा किराये को उसी वर्ष प्रभारित किया गया है.

6.7 बैंक द्वारा 31 मार्च 2001, को या उससे पूर्व पट्टे पर दी गई आस्तियों के संबंध में पट्टे पर दी गई आस्तियों के मूल्य को पट्टाकृत आस्तियों के रूप में अचल आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है और वार्षिक पट्टा शुल्क (पूँजी-वसूली) एवं मूल्यहरास के अंतर को पट्टा समानीकरण लेखे में लिया गया है.

6.8 विदेश स्थित कार्यालयों में धारित अचल आस्तियों पर मूल्यहरास का प्रावधान संबंधित देशों के स्थानीय विनियमों/मानदंडों के अनुसार किया गया है.

7. पट्टे

7.1 बैंक द्वारा 01 अप्रैल 2001 को या उसके पश्चात् वित्तीय पट्टे पर दी गई आस्तियाँ लेखा मानक 19 के अनुसार लेखे में ली गई हैं. ये आस्तियाँ अन्य आस्तियों के अन्तर्गत शामिल की गई हैं.

7.2 आस्ति वर्गीकरण और अग्रिमों के लिए लागू प्रावधानीकरण मानदंडों का उपरोक्त अनुच्छेद 3 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार इन वित्तीय पट्टों में प्रयोग किया गया है.

8. आस्तियों की अपसामान्यता

जब कभी घटनाएँ अथवा स्थितियों में परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की अग्रानीत राशि की वसूली संदिग्ध है तो ऐसी स्थिति में अचल आस्तियों की अपसामान्यता हेतु समीक्षा की जाती है. धारित और प्रयोग की जाने वाली आस्ति की वसूली हो पाएगी या नहीं इसे मापने के लिए आस्ति के अग्रानीत मूल्य की तुलना आस्ति द्वारा अपेक्षित भविष्यगत निवल बट्टाकृत नकदी प्रवाह से तुलना

of charging depreciation in respect of domestic operations are as under :

Sr. No.	Description of fixed assets	Method of charging depreciation	Depreciation/ amortisation rate
1	Computers	Straight Line Method	33.33% every year
2	Computer software forming an integral part of hardware	Written Down Value Method	60%
3	Computer Software which does not form an integral part of hardware	Straight Line Method	100%, in the year of acquisition
4	Assets given on financial lease upto 31 st March 2001	Straight Line Method	At the rate prescribed under Companies Act 1956
5	Other fixed assets	Written down value method	At the rate prescribed under Income-tax Rules 1962

6.4 In respect of assets acquired for domestic operations during the year, depreciation is charged for half an year in respect of assets used for upto 182 days and for the full year in respect of assets used for more than 182 days, except depreciation on computers and software, which is charged for the full year irrespective of the period for which the asset was put to use.

6.5 Items costing less than Rs. 1,000 each are charged off in the year of purchase.

6.6 In respect of leasehold premises, the lease premium, if any, is amortised over the period of lease and the lease rent is charged in the respective year.

6.7 In respect of assets given on lease by the Bank on or before 31st March 2001, the value of the assets given on lease is disclosed as Leased Assets under fixed assets, and the difference between the annual lease charge (capital recovery) and the depreciation is taken to Lease Equalisation Account.

6.8 In respect of fixed assets held at foreign offices, depreciation is provided as per the regulations / norms of the respective countries.

7. Leases

7.1 Assets given on financial lease by the Bank on or after 1st April 2001 are accounted as per Accounting Standard 19. Such assets are included under Other Assets.

7.2 The asset classification and provisioning norms applicable to advances, as laid down in Para 3 above, are applied to such financial leases.

8. Impairment of Assets

Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to





करके ज्ञात की जाती है। यदि ऐसी आस्तियों को अपसामान्यता के योग्य पाया जाता है तो अपसामान्यता का माप-अभिज्ञान उस अधिक राशि के आधार पर किया जाता है जो आस्ति के अग्रणीत मूल्य और उसके उचित मूल्य के बीच का अंतर है।

9. विदेशी मुद्रा विनिमय दर में उतार-चढ़ाव का प्रभाव

9.1 विदेशी मुद्रा लेन-देन

- विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन की तिथि को सूचित मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के बीच विनिमय दर की विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में प्रारंभिक निर्धारण पर दर्ज किया गया है।
- विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की सूचना भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडई) की अंतिम तत्काल दरों के प्रयोग से की गई है।
- विदेशी मुद्रा गैर मौद्रिक मदों, जो अवधिगत लागत के आधार पर ली गई हैं, की सूचना लेन-देन की तिथि को प्रचलित मुद्रा विनिमय दर के प्रयोग से की गई है।
- विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित आकस्मिक देयताओं की सूचना फेडई की अंतिम तत्काल दर के प्रयोग से की गई है।
- व्यवसाय के लिए रखी गई बकाया तत्काल विदेशी मुद्रा विनिमय तथा वायदा संविदाओं को इनकी निर्धारित परिपक्वता के लिए फेडई द्वारा अधिसूचित मुद्रा विनिमय दरों पर पुनर्मूल्यांकित किया गया है और परिणामी लाभ या हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है।
- विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं, जो व्यवसाय के लिए अपेक्षित नहीं हैं और तुलनपत्र की तिथि को बकाया हैं, का अंतिम तत्काल दर पर मूल्यांकन किया गया है। ऐसी वायदा विनिमय संविदा के प्रारंभ से उद्भूत प्रीमियम या बट्टे को संविदा की परिपक्वता अवधि के व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया गया है।
- मौद्रिक मदों के निर्धारण से उद्भूत विनिमय अंतर राशियों को उन दरों, जो दरें आरंभ से दर्ज की गई थीं, से भिन्न दरों पर उस अवधि, जिसमें ये दरें उद्भूत हुई हैं, के आय या व्यय के रूप में निर्धारित किया गया है।

9.2 विदेशी परिचालन

बैंक की विदेश स्थित शाखाओं और समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयों को असमाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और प्रतिनिधि कार्यालयों को समाकलित परिचालनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

क. असमाकलित परिचालन :

- असमाकलित विदेशी परिचालनों की दोनों मौद्रिक और गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों एवं देयताओं तथा आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र तिथि को फेडई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है।
- असमाकलित विदेशी परिचालनों के आय एवं व्यय को तिमाही औसत की अंतिम दर पर रूपांतरित किया गया है।
- निवल विनिधान के निपटान होने तक असमाकलित विदेशी परिचालनों से उद्भूत विनिमय अंतर-राशियों का संचयन विदेशी मुद्रा रूपांतरण आरक्षित में किया गया है।

ख. समाकलित परिचालन :

- विदेशी मुद्रा लेन-देन को लेन-देन की तिथि की सूचित मुद्रा और विदेशी मुद्रा में विनिमय दर पर विदेशी मुद्रा राशि के प्रयोग द्वारा सूचित मुद्रा में आरंभिक अभिज्ञान पर दर्ज किया गया है।

future net discounted cash flows expected to be generated by the asset. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognised is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds the fair value of the asset.

9. Effect of changes in the foreign exchange rate

9.1 Foreign Currency Transactions

- Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.
- Foreign currency monetary items are reported using the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) closing spot rates.
- Foreign currency non-monetary items, which are carried in terms at historical cost, are reported using the exchange rate at the date of the transaction.
- Contingent liabilities denominated in foreign currency are reported using the FEDAI closing spot rates.
- Outstanding foreign exchange spot and forward contracts held for trading are revalued at the exchange rates notified by FEDAI for specified maturities, and the resulting profit or loss is included in the Profit or Loss account.
- Foreign exchange forward contracts which are not intended for trading and are outstanding at the balance sheet date, are valued at the closing spot rate. The premium or discount arising at the inception of such a forward exchange contract is amortised as expense or income over the life of the contract.
- Exchange differences arising on the settlement of monetary items at rates different from those at which they were initially recorded are recognised as income or as expense in the period in which they arise.

9.2 Foreign Operations

Foreign Branches of the Bank and Offshore Banking Units have been classified as Non-integral Operations and Representative Offices have been classified as Integral Operations.

a. Non-integral Operations:

- Both monetary and non-monetary foreign currency assets and liabilities including contingent liabilities of non-integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the balance sheet date.
- Income and expenditure of non-integral foreign operations are translated at quarterly average closing rates.
- Exchange differences arising on net investment in non-integral foreign operations are accumulated in Foreign Currency Translation Reserve until the disposal of the net investment.

b. Integral Operations:

- Foreign currency transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the





- ii. समाकलित विदेशी परिचालनों की मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को तुलनपत्र की तिथि को फेडई द्वारा अधिसूचित अंतिम विनिमय दरों पर रूपांतरित किया गया है और परिणामी लाभ/हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया गया है.
- iii. अवधिगत लागत के अनुरूप अग्रानीत विदेशी मुद्रा गैर-मौद्रिक मदों की सूचना लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर के प्रयोग से की गई है.

10. कर्मचारी हितलाभ :

10.1 अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ :

अल्पावधि कर्मचारी हितलाभ यथा चिकित्सा हितलाभ, आकस्मिक अवकाश आदि की बट्टारहित राशि को, जिसको कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा के विनिमय में प्रदान किया जाना अपेक्षित है, कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा अवधि के दौरान शामिल किया गया है.

10.2 नौकरी उपरांत हितलाभ :

i. नियत हितलाभ योजना

- क. बैंक एक भविष्य निधि योजना का परिचालन करता है, बैंक की भविष्य निधि योजना के अंतर्गत सभी पात्र कर्मचारी यह हितलाभ प्राप्त करने के हकदार हैं. बैंक निर्धारित दर पर (वर्तमान समय में कर्मचारियों के मूल वेतन एवं पात्र-भत्ते का 10%) मासिक अंशदान करता है. इन अंशदान को, इस उद्देश्य के लिए स्थापित न्यास में विप्रेषित कर दिया गया है तथा लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया है. न्यास-निधियों को बैंक में जमा राशि के रूप में धारित किया गया है. बैंक, वार्षिक अंशदान और बैंक द्वारा धारित जमा राशियों पर ब्याज देने के लिए विधिक रूप से उत्तरदायी होता है. यह ब्याज - दर सरकारी कर्मचारियों की भविष्य निधि की बकाया राशियों पर देय निर्दिष्ट न्यूनतम ब्याज दर के बराबर होती है. बैंक - इस प्रकार के वार्षिक अंशदानों और उस पर ब्याज को संबंधित वर्ष के संदर्भ में व्यय मानता है.
- ख. बैंक, ग्रेच्युटी, पेंशन जैसी नियत हितलाभ योजनाएँ परिचालित करता है.
- ग. बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करता है. यह हितलाभ कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाने अथवा नौकरी की समाप्ति पर एकमुश्त राशि के भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है. यह राशि बैंक की सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए देय 15 दिनों के मूलवेतन के समतुल्य राशि या 3,50,000 - की अधिकतम राशि होती है. यह हितलाभ सेवा के पांच वर्ष पूरे होने पर ही प्राप्त होता है. बैंक इस राशि का वार्षिक अंशदान स्वतंत्र बाह्य वास्तविक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करता है.
- घ. बैंक सभी पात्र कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करता है. यह हितलाभ नियमानुसार मासिक भुगतान के रूप में प्रदान किया जाता है और पेंशन का यह नियमित भुगतान कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति, नौकरी के दौरान मृत्यु होने या नौकरी की समाप्ति पर किया जाता है. यह हितलाभ नियमानुसार

exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.

- ii. Monetary foreign currency assets and liabilities of integral foreign operations are translated at closing exchange rates notified by FEDAI at the balance sheet date and the resulting profit/loss is included in the profit and loss account.
- iii. Foreign currency non-monetary items which are carried in terms of historical cost are reported using the exchange rate at the date of the transaction.

10. Employee Benefits:

10.1 Short Term Employee Benefits:

The undiscounted amount of short-term employee benefits, such as medical benefits, casual leave etc. which are expected to be paid in exchange for the services rendered by employees are recognised during the period when the employee renders the service.

10.2 Post Employment Benefits:

i. Defined Benefit Plan

- a. The Bank operates a Provident Fund scheme. All eligible employees are entitled to receive benefits under the Bank's Provident Fund scheme. The Bank contributes monthly at a determined rate (currently 10% of employee's basic pay plus eligible allowance). These contributions are remitted to a trust established for this purpose and are charged to Profit and Loss Account. The trust funds are retained as deposits in the bank. The bank is liable for annual contributions and interest on deposits held by the bank, which is payable at Government specified minimum rate of interest on provident fund balances of Government Employees. The bank recognises such annual contributions and interest as an expense in the year to which they relate.
- b. The bank operates gratuity and pension schemes which are defined benefit plans.
- c. The Bank provides for gratuity to all eligible employees. The benefit is in the form of lump sum payments to vested employees on retirement, on death while in employment, or on termination of employment, for an amount equivalent to 15 days basic salary payable for each completed year of service, subject to a maximum amount of Rs. 350,000. Vesting occurs upon completion of five years of service. The Bank makes annual contributions to a fund administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out annually.
- d. The Bank provides for pension to all eligible employees. The benefit is in the form of monthly payments as per rules and regular payments to vested employees on





विभिन्न चरणों में प्राप्त होता है. बैंक इस राशि का वार्षिक अंशदान स्वतंत्र बाह्य वास्तविक मूल्यन के आधार पर न्यासियों द्वारा नियंत्रित निधि में करता है.

- ड नियत हितलाभ-प्रावधान - लागत को प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि पर अग्रानीत वास्तविक मूल्यन के आधार पर अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से निर्धारित किया गया है. वास्तविक लाभ/हानि को लाभ और हानि विवरण में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें आस्थगित नहीं किया गया है.

ii. कर्मचारियों के अन्य दीर्घावधि हितलाभ :

- क. बैंक का प्रत्येक कर्मचारी प्रतिपूरित अनुपस्थिति, रजत जयंती सम्मान और अवकाश यात्रा - रियायत, सेवानिवृत्ति लाभ और पुनर्वासन भत्ते का पात्र होता है. इस प्रकार की दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ की लागत का वित्तपोषण बैंक द्वारा आंतरिक स्तर पर किया गया है.
- ख. अन्य दीर्घावधि के हितलाभ के प्रावधान की लागत का निर्धारण प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि को वास्तविक मूल्यन की अनुमानित यूनिट ऋण पद्धति के प्रयोग से किया गया है. पूर्ववर्ती सेवा लागत को लाभ और हानि विवरण में तुरन्त शामिल कर दिया गया है और उन्हें आस्थगित नहीं किया गया है.

11. कर निर्धारण के लिए प्रावधान :

- 11.1 वर्तमान कर, आस्थगित कर तथा अनुषंगी लाभ-कर प्रभार की कुल राशि आय कर व्यय है. चालू वर्ष के करों का निर्धारण लेखा मानक 22 और भारत में प्रचलित कर नियमों के अनुसार विदेश स्थित कार्यालयों के संबंधित देशों के कर नियमों का समायोजन करके किया गया है. आस्थगित कर आस्तियों या देयताओं में उस अवधि के दौरान हुए उतार-चढ़ाव आस्थगित कर समायोजन में समाविष्ट हैं.
- 11.2 आस्थगित कर - आस्तियों और देयताओं का आकलन अधिनियमित कर - दरों और कर - कानूनों अथवा तुलनपत्र - तिथि के काफी पूर्व अधिनियमित दरों और कानून के आधार पर किया गया है. आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं का अभिज्ञान विवेकपूर्ण आधार पर-आस्तियों और देयताओं के अग्रानीत मूल्य और उनके क्रमशः कर-आधार और अग्रानीत क्षतियों के बीच अवधिगत विभेद को ध्यान में रखकर किया गया है. आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं में हुए परिवर्तन का प्रभाव लाभ और हानि खाते में प्रकट किया गया है.
- 11.3 आस्थगित कर आस्तियों को, वसूली की निश्चितता होने के प्रबंधन के निर्णय के आधार पर, प्रत्येक सूचित तिथि को रेखांकित और पुनर्निर्धारित किया गया है. जब यह पूर्ण रूप से सुनिश्चित हो गया है कि ऐसी आस्थगित - कर - आस्तियों की वसूली भावी लाभ से की जा सकती है, तब आस्थगित-कर - आस्तियों का अभिज्ञान अनवशोषित मूल्यहरास और कर हानियों के अग्रेषण पर किया गया है.

12. प्रति शेयर आय

- 12.1 बैंक आईसीएआइ द्वारा जारी लेखा मानक 20 -: प्रति शेयर आय के अनुसार प्रति शेयर मूल और कम हुई आय की रिपोर्ट करता है. प्रति शेयर मूल आय की गणना करोपरंत निवल लाभ को उस वर्ष के लिए शेष इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है.

retirement, on death while in employment, or on termination of employment. Vesting occurs at different stages as per rules. The Bank makes annual contributions to funds administered by trustees based on an independent external actuarial valuation carried out annually.

- e. The cost of providing defined benefits is determined using the projected unit credit method, with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Actuarial gains/losses are immediately recognised in the statement of profit and loss and are not deferred.

ii. Other Long Term Employee benefits:

- a. All eligible employees of the bank are eligible for compensated absences, silver jubilee award, leave travel concession, retirement award and resettlement allowance. The costs of such long term employee benefits are internally funded by the Bank.
- b. The cost of providing other long term benefits is determined using the projected unit credit method with actuarial valuations being carried out at each balance sheet date. Past service cost is immediately recognised in the statement of profit and loss and is not deferred.

11. Provision for Taxation

- 11.1 Income tax expense is the aggregate amount of current tax, deferred tax and fringe benefit tax charge. Current year taxes are determined in accordance with the provisions of Accounting Standard 22 and tax laws prevailing in India after taking into account taxes of foreign offices, which are based on the tax laws of respective jurisdiction. Deferred tax adjustments comprise of changes in the deferred tax assets or liabilities during the period.
- 11.2 Deferred tax assets and liabilities are measured using tax rates and tax laws that have been enacted or substantially enacted prior to the balance sheet date. Deferred tax assets and liabilities are recognised on a prudent basis for the future tax consequences of timing differences arising between the carrying values of assets and liabilities and their respective tax basis, and carry forward losses. The impact of changes in the deferred tax assets and liabilities is recognised in the profit and loss account.
- 11.3 Deferred tax assets are recognised and reassessed at each reporting date, based upon management's judgement as to whether realisation is considered certain. Deferred tax assets are recognised on carry forward of unabsorbed depreciation and tax losses only if there is virtual certainty that such deferred tax assets can be realised against future profits.

12. Earning per Share

- 12.1 The Bank reports basic and diluted earnings per share in accordance with AS 20 - 'Earnings per Share' issued by the ICAI. Basic earnings per share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding for the year.





12.2 कम की हुई प्रति शेयर आय यह प्रदर्शित करती है कि यदि प्रतिभूतियों अथवा अन्य संविदाओं को वर्ष के दौरान जारी करने या संपरिवर्तित करने का विकल्प लिया गया तो शेयर मूल्यों में कितनी कमी आएगी. कम की हुई प्रति शेयर आय की गणना इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और कम संभावना इक्विटी शेयरों के बीच तुलना करके की जाती है.

13. प्रावधान, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों का लेखाकरण

13.1 भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक 29 के अनुसार जारी प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियों में बैंक पिछले परिणाम से उद्भूत वर्तमान दायित्व होने पर ही प्रावधान शामिल करता है, यह संभव है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभ को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के वहिर्गमन की आवश्यकता पड़ेगी और तभी इस दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन किया जा सकता है.

13.2 निम्नलिखित के लिए किसी प्रावधान का अभिज्ञान नहीं किया गया है

- पिछले परिणाम से उद्भूत किसी सम्भावित दायित्व के लिए और बैंक के नियंत्रण से बाहर होने वाले एक या अधिक अनिश्चित भावी परिणामों की प्राप्ति या अप्राप्ति से जिसकी पुष्टि की जा सकेगी, अथवा
- किसी वर्तमान दायित्व के लिए, जो पिछले परिणामों से उद्भूत है, किन्तु उसे अभिज्ञान में नहीं लिया गया है, क्योंकि
 - यह संभव नहीं है कि दायित्व के निर्धारण में आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों का वहिर्गमन आवश्यक होगा, अथवा
 - दायित्व राशि का विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता.

ऐसे दायित्वों को आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है. इन दायित्वों का नियमित अंतरालों पर मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे दायित्व के केवल उस अंश का, जिसके आर्थिक लाभों को समाविष्ट करने वाले संसाधनों के वहिर्गमन की संभावना है, नितान्त दुर्लभ परिस्थितियों, जिनमें कोई विश्वस्त प्राक्कलन नहीं किया जा सकता है, के अलावा प्रावधान किया गया है.

13.3 आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि आय के निर्धारण पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, जबकि इसकी वसूली नहीं की जा सकती.

14. नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी और नकदी समतुल्य में हाथ नकदी एवं एटीएम मे नकदी तथा धारित स्वर्ण, भारतीय रिज़र्व बैंक की जमाराशियाँ, अन्य बैंकों में जमाराशियाँ तथा माँग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि शामिल हैं.

15. कर्मचारी शेयर क्रय योजना

भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टॉक क्रय योजना दिशा - निर्देश, 1999 के अनुसार जिस मूल्य पर शेयर जारी किए जाते हैं उसकी तुलना में शेयर जारी किए जाने के एक दिन पूर्व के मूल्य में अंतर को कर्मचारी प्रतिपूर्ति लागत माना गया है.

16. शेयर जारी करने का व्यय

शेयर जारी करने के व्यय को शेयर प्रीमियम खाते में प्रभारित किया गया है.

12.2 Diluted earnings per share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the year. Diluted earnings per share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at year end.

13. Accounting for Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

13.1 In conformity with AS 29, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets", issued by the Institute of Chartered Accountants of India, the Bank recognises provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

13.2 No provision is recognised for

- any possible obligation that arises from past events and the existence of which will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of the Bank; or
- any present obligation that arises from past events but is not recognised because
 - it is not probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation; or
 - a reliable estimate of the amount of obligation cannot be made.

Such obligations are recorded as Contingent Liabilities. These are assessed at regular intervals and only that part of the obligation for which an outflow of resources embodying economic benefits is probable, is provided for, except in the extremely rare circumstances where no reliable estimate can be made.

13.3 Contingent Assets are not recognised in the financial statements as this may result in the recognition of income that may never be realised.

14. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents include cash on hand and in ATM's, and gold in hand, balances with RBI, balances with other banks, and money at call and short notice.

15. Employee Share Purchase Scheme:

In accordance with the Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme Guidelines, 1999 issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI), the excess of market price one day prior to the date of issue of the shares over the price at which they are issued is recognised as employee compensation cost.

16. Share Issue Expenses

Share issue expenses are charged to the Share Premium Account.





अनुसूची - 18

लेखा-टिप्पणियाँ

राशि करोड़ रुपयों में

18.1. पूंजी :

1. पूंजी पर्याप्तता अनुपात :

बैंक द्वारा जोखिम भारत आस्ति अनुपात (सीएआर) की पूंजी का मूल्यांकन वित्तीय विवरण और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा - निर्देशों के आधार पर निम्नानुसार किया गया है :

क) बेसल -1 के अनुसार

मदें	31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार
जोखिम भारत आस्ति अनुपात की पूंजी - कुल	13.47%	12.34%
जोखिम भारत आस्ति अनुपात की पूंजी - श्रेणी - I	9.14%	8.01%
जोखिम भारत आस्ति अनुपात की पूंजी - श्रेणी - II	4.33%	4.33%

ख) नई पूंजी पर्याप्तता रूपरेखा (बेसल - II) के कार्यान्वयन के लिए संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार :

मदें	31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार
जोखिम भारत आस्ति अनुपात की पूंजी - कुल	12.64	8.48
जोखिम भारत आस्ति अनुपात की पूंजी - श्रेणी - I	8.48	4.16
जोखिम भारत आस्ति अनुपात की पूंजी - श्रेणी - II	4.16	

ग) बेसल-II के अनुसार सीएआर की परिगणना की संवीक्षा - समग्र आंकड़ों के अभाव में नहीं की जा सकी और तदनुसार इसे प्रबंधन द्वारा समेकित मान लिया गया.

2. शेयर - पूंजी :

क) वर्ष के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक ने, बैंक में अपनी 31,43,39,200 शेयरों की कुल शेयरधारिता को भारत सरकार को अंतरित कर दिया. उक्त शेयर बैंक की निर्गत पूंजी का 59.73% प्रतिनिधित्व करते हैं.

ख) वर्ष के दौरान, बैंक ने ₹.10/- नकदी मूल्य के 10,52,59,776 इक्विटी शेयर ₹.1580/- प्रति इक्विटी शेयर प्रीमियम पर, ₹.1590/- प्रति शेयर की दर से, ₹. 16736.30 करोड़ की कुल राशि पर राइट्स के रूप में बिक्री किए. उपर्युक्त में से, बैंक ने 10,51,71,498 पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों का आवंटन पात्र आवेदकों को किया जबकि ₹.10/- मूल्य के 88,278 इक्विटी शेयरों को रोके रखा - क्योंकि या तो वे विवादग्रस्त थे अथवा न्यायिक - प्रक्रिया के अधीन थे.

ग) भारत सरकार ने ₹.10/- प्रति शेयर और ₹.1580/- प्रीमियम के 6,28,68,000 इक्विटी शेयर - बैंक के राइट्स प्रस्ताव के अंतर्गत अंशस्वरूप ग्रहण किए. भारत सरकार ने कुल ₹.9996.01 करोड़ की राशि के भुगतान के लिए "8.35% एसबीआई राइट्स इश्यू - भारत सरकार स्पेशल बांड 2024" को जारी किया. इन बांडों की बिक्री पर सरकार द्वारा कतिपय प्रतिबंध लगाये हैं.

घ) शेयरों को जारी करने पर हुए ₹.28.70 करोड़ के व्यय को बैंक ने शेयर प्रीमियम एकाउन्ट के नामे किया है.

च) भारत सरकार की शेयर धारिता

शेयरों की संख्या		धारिता %	
चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
37,72,07,200	निरंक	59.73%	निरंक

3. कर्मचारी स्टाक क्रय योजना

क) केंद्रीय बोर्ड ने - कर्मचारी शेयर क्रय योजना (योजना) को अंगीकार किया है. यह योजना केंद्र सरकार द्वारा यथाविधि अनुमोदित है. तदनुसार बैंक ने, ₹.10/- प्रति इक्विटी शेयर मूल्य तथा ₹.1580/- प्रीमियम के 86,17,500 इक्विटी शेयरों को, अपनी राइट्स योजना के अंतर्गत, बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों सहित अपने कर्मचारियों के लिए अनुमोदित किया है. यह योजना, भारतीय प्रतिभूति और एक्सचेंज बोर्ड के दिशा-निर्देश, 1999 (कर्मचारी स्टाक विकल्प योजना और कर्मचारी स्टाक क्रय योजना) के प्रावधानों के अनुरूप है. यह योजना दिनांक 30 अप्रैल 2008 से बंद हो गई है.

ख) अभी तक, इस योजना के अंतर्गत कोई इक्विटी शेयर नहीं जारी किया जा सका है क्योंकि बैंक अभी स्टॉफ सदस्यों द्वारा अधिकार-उपयोग के परिणामस्वरूप आवेदित शेयरों की संख्या का समेकन करने की प्रक्रिया में है बैंक ने कर्मचारी प्रतिपूर्ति - व्यय के लिए ₹. 11.00 करोड़ का प्रावधान अनुमान आधार पर किया है.

18.2. संमिश्र बांड :

वर्ष के दौरान, बैंक ने "एसबीआई परपेटुअल नॉन-कॉल 10 वर्षीय + 1 दिन बांड - जून 2007 इश्यू" जारी करके 225 मिलियन अमेरिकी डालर (31 मार्च 2008 को जिसका मूल्य ₹.902.70 करोड़ के समतुल्य था) की उगाही की - जो संमिश्र श्रेणी-1 पूंजी के अंतर्गत आता है. इन बांडों पर 10 वर्ष 01 दिन वर्ष तक की अवधि के लिए नियत ब्याज दर एक ही होगी. यदि 27 जून 2017 तक बैंक काल आप्रेशन का प्रयोग नहीं करता है तो ब्याज दरें बढ़ेंगी और नियत दर - अस्थायी दर में परिवर्तित हो जाएगी. इन बांडों को सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कराया गया है.

Schedule - 18

NOTES ON ACCOUNTS

Amount in Rupees in crores

18.1 Capital:

1. Capital Adequacy Ratio:

The Capital to Risk-weighted Assets Ratio (CAR) as assessed by the Bank on the basis of the financial statements and guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI) has been computed as below:

a) As per BASEL-I:

Items	As at 31-Mar-2008	As at 31-Mar-2007
Capital to Risk-weighted Assets Ratio - Overall	13.47%	12.34%
Capital to Risk-weighted Assets Ratio - Tier I	9.14%	8.01%
Capital to Risk-weighted Assets Ratio - Tier II	4.33%	4.33%

b) As per the Revised Guidelines for implementation of the New Capital Adequacy Framework (BASEL-II):

Items	As at 31-Mar-2008
Capital to Risk-weighted Assets Ratio - Overall	12.64%
Capital to Risk-weighted Assets Ratio - Tier I	8.48%
Capital to Risk-weighted Assets Ratio - Tier II	4.16%

c) The computation of the CAR as per BASEL II is as compiled by the management and could not be verified by the auditors in the absence of complete details.

2. Share capital:

a) During the year, the RBI had transferred their entire shareholding of 31,43,39,200 shares in the Bank representing 59.73% of the issued capital of the Bank to the Government of India.

b) During the year, the Bank has issued 10,52,59,776 equity shares of Rs. 10 each for cash at a premium of Rs. 1580 per equity share i.e. at Rs. 1590 per equity share aggregating to Rs. 16736.30 crore on right basis. Of the above, the Bank has allotted 10,51,71,498 fully paid equity shares to the eligible applicants, keeping in abeyance the allotment of 88,278 equity shares of Rs. 10 each which are subject matter of title disputes or are subjudice.

c) The Government of India has subscribed to 6,28,68,000 equity shares of Rs.10 each at a premium of Rs. 1580 per share as part of rights offer of the Bank. The Government has discharged the total consideration of Rs. 9996.01 crore by issue of "8.35% SBI Rights Issue GOI Special Bonds 2024". Certain restrictions have been placed by the Government on the sale of these bonds.

d) Expenses in relation to the issue of shares amounting to Rs. 28.70 crore have been debited to the Share Premium Account.

e) Shareholding of Government of India

No. of shares		% Holding	
Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year
37,72,07,200	Nil	59.73%	Nil

3. Employee Stock Purchase Scheme

a) The Central Board of the Bank has adopted the Employees Share Purchase Scheme (the Scheme), duly approved by the Central Government, and accordingly has approved the offer of 86,17,500 equity shares of Rs. 10 each at a premium of Rs. 1580 as part of its rights issue to the employees of the Bank including the Chairman and Managing Directors. The Scheme is in accordance with the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999. The said scheme has since closed on 30th April 2008.

b) As on date, no equity shares have been allotted, under the Scheme, since the Bank is in the process of compiling the data on the number of shares to be issued pursuant to the exercise of the rights by the employees. The Bank has made provision of Rs. 11.00 crore towards employee compensation expenses on an estimated basis.

18.2 Hybrid Bonds:

During the year, the Bank has raised USD 225 million (equivalent to Rs. 902.70 crore as of 31st March 2008) by issuing "SBI Perpetual Non Call 10 Years + 1 day Bonds-June 2007 issue", which qualifies for Hybrid Tier I Capital. These bonds carry fixed interest rate for a period of 10 years 1 day. In case the Bank does not exercise call option by 27th June 2017, the interest rate will be raised and fixed rate would be converted into floating rate. These bonds have been listed on Singapore Stock Exchange.





विदेशी मुद्रा में जारी तथा संमिश्र श्रेणी I पूंजी के अंतर्गत आने वाले और 31 मार्च 2008 को बकाया ऐसे बांडों का विवरण निम्नवत है :

विवरण	निर्गम तिथि	अवधि	राशि	31.03.08 को समतुल्य	31.03.07 को समतुल्य
एमटीएन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी बांड - 12वीं शृंखला	15.02.2007	बेमियादी नॉन कॉल - 10.25 वर्ष-	अमेरिकी डालर - 400 मिलियन	₹.1604.80	₹.1738.80
एमटीएन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी बांड - 14वीं शृंखला	26.06.2007	बेमियादी नॉन कॉल - 10 वर्ष 01 दिन	अमेरिकी डालर - 225 मिलियन	₹.902.70	—
योग			अमेरिकी डालर - 625 मिलियन	₹.2507.50	₹.1738.80

The details of bonds issued in foreign currency, which qualify for Hybrid Tier I Capital and outstanding as on 31st March 2008 are as under:

Particulars	Date of Issue	Tenor	Amount	Equivalent as on 31-3-08	Equivalent as on 31-3-07
Bond issued under the MTN Programme - 12 th Series	15.02.2007	Perpetual Non call 10.25 years	USD 400 million	Rs. 1604.80	Rs. 1738.80
Bond issued under the MTN Programme - 14 th Series	26.06.2007	Perpetual Non call 10 years 1 day	USD 225 million	Rs. 902.70	—
Total			USD 625 million	Rs. 2507.50	Rs. 1738.80

18.3 गौण ऋण :

मदें	31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार
वर्ष के दौरान श्रेणी-II के रूप में उगाही गई गौण ऋणों की राशि	₹.6023.50	₹.9442.90

i) गौण ऋण - बांडों के निजी नियोजन से उगाही किए गए अप्रतिभूत, दीर्घावधि, अपरिवर्तनीय तथा सममूल्य पर प्रतिबंध हैं. इस ऋण को बैंक के वर्तमान एवं भावी प्रवर ऋणप्रस्तता से कम वरीयता प्राप्त है और यह श्रेणी II पूंजी के अंतर्गत आता है.

ii) ऐसे बकाया गौण ऋणों का विवरण निम्नवत है :

विवरण	निर्गम दिनांक	वार्षिक ब्याज दर	अवधि	31.03.08 को समतुल्य राशि	31.03.07 को समतुल्य राशि
निजी स्थापन बांड 2001	01.01.2001	11.90%	87 माह	-	1675.20
निजी स्थापन बांड 2005	05.12.2005	7.45%	113 माह	3283.00	3283.00
निजी स्थापन बांड 2006	05.06.2006	8.80%	180 माह	2327.90	2327.90
निजी स्थापन बांड 2006 (II)	06.07.2006	9.00%	180 माह	500.00	500.00
निजी स्थापन बांड 2006 (III)	12.09.2006	8.96%	180 माह	600.00	600.00
निजी स्थापन बांड 2006 (IV)	13.09.2006	8.97%	180 माह	615.00	615.00
निजी स्थापन बांड 2006 (V)	15.09.2006	8.98%	180 माह	1500.00	1500.00
निजी स्थापन बांड 2006 (VI)	04.10.2006	8.85%	180 माह	400.00	400.00
निजी स्थापन बांड 2006 (VII)	16.10.2006	8.88%	180 माह	1000.00	1000.00
निजी स्थापन बांड 2006 (VIII)	17.02.2007	9.37%	180 माह	1000.00	1000.00
निजी स्थापन बांड 2006 (IX)	21.03.2007	9.85%	111 माह	1500.00	1500.00
निजी स्थापन बांड 2007-08 (I)	07.06.2007	10.20%	180 माह	2523.50	-
निजी स्थापन बांड 2007-08 (II)	12.09.2007	10.10%	180 माह	3500.00	-
विदेशी मुद्रा में अप्रतिभूत ऋण	12.04.2000	6.50%	108 माह	32.44	29.59
योग				18781.84	14430.69

18.4 विनिधान :

1. बैंक के विनिधानों तथा विनिधानों पर हुए मूल्यहास के लिए रखे गए प्रावधानों के उतार-चढ़ाव का ब्योग निम्नानुसार है:

विवरण	31मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार
I. विनिधानों का मूल्य		
i) विनिधानों का सकल मूल्य		
(क) भारत में	185278.42	144580.01
(ख) भारत से बाहर	5204.27	5823.31
ii) मूल्यहास के लिए प्रावधान		
(क) भारत में	948.32	1243.69
(ख) भारत से बाहर	33.10	10.75
iii) विनिधानों का निवल मूल्य		
(क) भारत में	184330.10	143336.32
(ख) भारत से बाहर	5171.17	5812.56
2. विनिधानों के मूल्यहास के लिए रखे गए प्रावधानों का उतार-चढ़ाव		
i) अवशेष	1254.44	6156.76
ii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	242.83	477.20
iii) घटाएँ : अतिरिक्त प्रावधान / पुनर्वर्गीकरण का अपलेखन/प्रतिलेखन	515.85	5379.52
iv) इति शेष	981.42	1254.44

18.3 Subordinated Debt:

Items	As at 31-Mar-2008	As at 31-Mar-2007
Amount of Subordinated Debt raised as Tier-II capital during the year	Rs. 6023.50	Rs. 9442.90

i) The subordinated debts raised through private placement of Bonds are unsecured, long term, non-convertible and are redeemable at par. The debt is subordinated to present and future senior indebtedness of the Bank and qualifies for Tier II capital.

ii) The details of such outstanding subordinated debt are given below:

Particulars	Date of issue	Rate of Interest: P.A.	Tenor	Equivalent Amount as on 31.03.08	Equivalent Amount as on 31.03.07
Private Placement Bonds 2001	01.01.2001	11.90%	87 months	—	1675.20
Private Placement Bonds 2005	05.12.2005	7.45%	113 months	3283.00	3283.00
Private Placement Bonds 2006	05.06.2006	8.80%	180 months	2327.90	2327.90
Private Placement Bonds 2006(II)	06.07.2006	9.00%	180 months	500.00	500.00
Private Placement Bonds 2006(III)	12.09.2006	8.96%	180 months	600.00	600.00
Private Placement Bonds 2006(IV)	13.09.2006	8.97%	180 months	615.00	615.00
Private Placement Bonds 2006(V)	15.09.2006	8.98%	180 months	1500.00	1500.00
Private Placement Bonds 2006(VI)	04.10.2006	8.85%	180 months	400.00	400.00
Private Placement Bonds 2006(VII)	16.10.2006	8.88%	180 months	1000.00	1000.00
Private Placement Bonds 2006(VIII)	17.02.2007	9.37%	180 months	1000.00	1000.00
Private Placement Bonds 2006(IX)	21.03.2007	9.85%	111 months	1500.00	1500.00
Private Placement Bonds 2007-08(I)	07.06.2007	10.20%	180 months	2523.50	—
Private Placement Bonds 2007-08(II)	12.09.2007	10.10%	180 months	3500.00	—
Unsecured Loan in Foreign Currency	12.04.2000	6.50%	108 months	32.44	29.59
Total				18781.84	14430.69

18.4 Investments

1. The Details of investments and the movement of provisions held towards depreciation on investments of the Bank are given below:

Particulars	As at 31-Mar-2008	As at 31-Mar-2007
I. Value of Investments		
i) Gross value of Investments		
(a) In India	185278.42	144580.01
(b) Outside India	5204.27	5823.31
ii) Provisions for Depreciation		
(a) In India	948.32	1243.69
(b) Outside India	33.10	10.75
iii) Net value of Investments		
(a) In India	184330.10	143336.32
(b) Outside India	5171.17	5812.56
2. Movement of provisions held towards depreciation on investments		
i) Opening Balance	1254.44	6156.76
ii) Add: Provisions made during the year	242.83	477.20
iii) Less: Write off/write back of excess provision during the year.	515.85	5379.52
iv) Closing balance	981.42	1254.44





टिप्पणी :

- क) विनिधानों के अंतर्गत - भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ रखी गई चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत उपयोग की गई प्रतिभूतियाँ शामिल हैं - रु. 17000 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 5000 करोड़) तथा मार्केट रिपो के अंतर्गत रु. 515 करोड़. (पिछले वर्ष रु. निरंक)
- ख) रु. 20055 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 22755.00 करोड़) के विनिधान भारतीय रिज़र्व बैंक / क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. के पास आर्टीजीएस / एनडीएस के अंतर्गत मॉर्गन स्वरूप रखा गया है.
- ग) अन्य विनिधानों में आरआईडीएफ जमा योजना के अंतर्गत नावार्ड के पास रखे गए रु. 12039.18 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 7652.53 करोड़) का विनिधान शामिल है.
- घ) वर्ष के दौरान बैंक ने ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस लि. की 92.03% इक्विटी का अधिग्रहण / अंशग्रहण किया है. इसके फलस्वरूप जीटीएफएल बैंक की अनुषंगी हो गई है.
- ङ) वर्ष के दौरान, बैंक ने अपनी अनुषंगियों के कार्यकलापों को समुन्नत करने के लिए रु. 1176.30 करोड़ की अतिरिक्त पूंजी का निवेश किया है.
- च) बैंक के विदेश स्थित कार्यालय क्रेडिट लिंक नोट्स और संपारिवक ऋण, दायित्वों के क्षेत्र में ऋण-जाखिम उठाते हैं. यह विदेश स्थित कार्यालयों के निवेश संविभाग के अंतर्गत अपेक्षित है - जो केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित "विदेश स्थित कार्यालयों के लिए निवेश नीति" द्वारा अधिशासित होता है. बैंक ऐसे लिखतों को परिपक्वता अवधि तक रखना चाहता है. तुलन पत्र की तिथि को ऐसे संविभागों का कुल मूल्य रु. 1798.88 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 1799.29) था - जिसके विरुद्ध बैंक ने रु. 56 करोड़ का विवेकपूर्ण प्रावधान किया है.

2. रिपो लेनदेन / Repo Transactions

वर्ष के दौरान रिपो और प्रत्यावर्तित रिपो के अधीन बिक्री एवं क्रय की गई प्रतिभूतियों का ब्योरा निम्नानुसार है:

The details of securities sold and purchased under repos and reverse repos during the year are given below :

मदें / Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया राशि Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया राशि Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया राशि Daily Average outstanding during the year	वर्ष के अंत में शेष राशि Balance as on year end
रिपो के अधीन बिक्री की गई प्रतिभूतियाँ Securities sold under repos	0.00 (0.00)	17900.00 (11873.63)	1627.68 (325.38)	17500.00 (5000.00)
प्रत्यावर्तित रिपो के अधीन क्रय की गई प्रतिभूतियाँ Securities purchased under reverse repos	0.00 (0.00)	24480.00 (20512.05)	2296.11 (3707.28)	0.00 (0.00)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं / Figures in brackets are for Previous Year)

3. गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन एसएलआर) विनिधान संविभाग

Non-SLR Investment Portfolio

(a) गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन एसएलआर) विनिधानों की निर्गमकर्ता संरचना :

Issuer composition of Non SLR Investments:

बैंक के गैर सांविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन एसएलआर) विनिधानों की निर्गमकर्ता संरचना निम्नानुसार है :

The issuer composition of non-SLR investments of the Bank is given below :

सं. No.	निर्गमकर्ता / Issuer	सकल बकाया राशि Gross outstanding	निजी स्थापन की मात्रा Extent of Private Placement	'विनिधान श्रेणी से कम' प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'Below Investment Grade' Securities *	'बिना रेटिंग वाली' प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'Unrated' Securities *	'असूचीगत' प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'Unlisted' Securities *
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / PSUs @	16315.61 (5865.49)	828.16 (603.93)	94.00 (132.00)	137.40 (34.11)	393.10 (111.11)
(ii)	वित्तीय संस्थाएँ / FIs	1812.28 (1401.04)	919.29 (1398.36)	456.04 (255.90)	199.24 (108.65)	771.04 (404.54)
(iii)	बैंक / Banks	3786.33 (3507.06)	2259.57 (2313.53)	158.00 (125.13)	19.06 (0.00)	550.00 (60.00)
(iv)	निजी कारपोरेट Private Corporates	5131.00 (3701.90)	653.01 (757.49)	202.60 (143.59)	172.80 (80.07)	92.10 (110.27)
(v)	अनुषंगियाँ/ संयुक्त उद्यम Subsidiaries / Joint ventures **	4383.94 (2611.26)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
(vi)	अन्य / Others	15370.55 (11605.76)	284.48 (8337.63)	141.00 (538.82)	51.00 (513.20)	16.00 (1842.79)
(vii)	मूल्यहास के लिए रखा गया प्रावधान Provision held towards depreciation	770.73 (589.79)	0.00 लागू नहीं / NA	45.00 (0.92)	4.00 लागू नहीं / NA	26.00 लागू नहीं / NA
	योग / Total	46028.98	4944.51	1006.64	575.50	1796.24
	पिछला वर्ष/ Previous Year	(28102.72)	(13410.94)	(1194.52)	(736.03)	(2528.71)

@ 8.35% एसबीआई राइट इश्यू - भारत सरकार के बॉण्ड्स - रु. 9481.01 करोड़ (पिछले वर्ष निरंक) एवं आयल बॉण्ड्स रु. 4967.62 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 4969.05 करोड़) इसमें शामिल हैं. 8.35% SBI Right Issue Government of India Bonds - Rs. 9481.01 crore (Previous Year - Nil) and Oil Bonds Rs. 4967.62 crore (Previous Year Rs. 4969.05 crore) are included under this category.

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं / Figures in brackets are for Previous Year)

* इक्विटी, इक्विटी-सम्बद्ध लिखतों, आर्जित समर्थित प्रतिभूतिकृत लिखत, सरकारी प्रतिभूतियों और पास-थ्रू-सर्टिफिकेट में विनिधान को इन श्रेणियों के अंतर्गत इसलिए अलग-अलग विभक्त नहीं किया गया है क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उक्त मदे नहीं आती हैं.

** अनुषंगियाँ / संयुक्त उद्यमों में विनिधानों को विभिन्न वर्गों में इसलिए अलग-अलग विभक्त नहीं किया गया है क्योंकि भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रासंगिक दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उक्त मदे नहीं आती हैं.

* Investment in equity, equity linked instruments, asset backed securitised instruments, Govt. securities and pass through certificates have not been segregated under these categories as these are not covered under relevant RBI Guidelines.

** Investments in Subsidiaries/Joint Venture have not been segregated into various categories as these are not covered under relevant RBI Guidelines.





ख) अनर्जक गैर-साविधिक चलनिधि अनुपात (नॉन एसएलआर) विनिधान	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
	अवशेष	243.42	254.57
	वर्ष के दौरान परिवर्धन	24.18	19.13
	वर्ष के दौरान कमी	37.37	30.28
	इति शेष	230.23	243.42
	रखे गए कुल प्रावधान	201.32	208.68

18.5 डेरीवेटिव्स :

क) वायदा दर करार / ब्याज दर विनिमय

विवरण	31मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार	31मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार
i) विनिमय करारों की आनुमानिक मूल राशि	155928.42	186610.70
ii) प्रतिपक्षों द्वारा करार के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर होने वाली हानियाँ	1666.30	2415.53
iii) विनिमय में शामिल होने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपारिवर्क	निरंक	निरंक
iv) विनिमय से उद्भूत ऋण-जोखिम का केन्द्रीकरण	नगण्य	नगण्य
v) विनिमय - बही का उचित मूल्य	160.50	35.41

ख) बाजार (एक्सचेंज) में व्यापार किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स

क्रम सं.	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	बाजार (एक्सचेंज) में व्यापार किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स की वर्ष के दौरान आनुमानिक मूल राशि	निरंक	निरंक
2	31मार्च 2008 को बाजार (एक्सचेंज) में व्यापार किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स की बकाया आनुमानिक मूल राशि	निरंक	निरंक
3	बाजार (एक्सचेंज) में व्यापार किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स की आनुमानिक मूल राशि जो बकाया और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है	निरंक	निरंक
4	बाजार (एक्सचेंज) में व्यापार किए गए ब्याज-दर डेरीवेटिव्स का अंकित बाजार मूल्य जो बकाया और "अत्यधिक प्रभावी" नहीं है	निरंक	निरंक

ग) डेरीवेटिव्स में जोखिम - ऋण का प्रकटीकरण

(क) गुणात्मक प्रकटीकरण

- बैंक वर्तमान में काउंटर पर (ओटीसी) ब्याज दर और मुद्रा डेरीवेटिव्स का लेनदेन करता है. बैंक द्वारा जिन ब्याज दर डेरीवेटिव्स का लेनदेन किया गया उनमें, रुपया ब्याज दर विनिमय, विदेशी मुद्रा ब्याज दर विनिमय और वायदा दर करार शामिल हैं. बैंक द्वारा जिन मुद्रा डेरीवेटिव्स का लेनदेन किया गया उनमें, मुद्रा विनिमय, रुपया डालर विकल्प और परस्पर-मुद्रा विकल्प शामिल हैं. बैंक के ग्राहकों को उत्पादों के विकल्प - प्रस्ताव, उनके निवेशों पर नियंत्रण करने के लिए दिए जाते हैं और बैंक ऐसे निवेशों की रक्षा के लिए डेरीवेटिव्स संविदाएँ निष्पादित करता है. बैंक द्वारा डेरीवेटिव्स का प्रयोग व्यापार के साथ-साथ तुलनपत्र की मर्दों की प्रतिरक्षा के लिए भी किया जाता है. बैंक संरचना उत्पाद संविभाग के अधीन इन सामान्य मिश्रित लिखतों का भी लेनदेन करता है.
- डेरीवेटिव्स लेनदेन में बाजार जोखिम शामिल हैं अर्थात् ब्याज दरों/विनिमय दरों में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के कारण बैंक को संभाव्य हानि उठानी पड़ सकती है और यदि प्रतिपक्ष अपने दायित्वों का पालन नहीं करते हैं तो बैंक को ऋण जोखिम अर्थात् संभाव्य हानि उठानी पड़ सकती है. बोर्ड द्वारा अनुमोदित बैंक की "डेरीवेटिव्स नीति" बाजार जोखिम (हानि की कटौती के सतर्कता बिन्दु, आंशिक राशि सीमा, अवधि, आशोधित अवधि, पीवी 01, आदि)को नियंत्रित और व्यवस्थित करने के जोखिम मानदंडों को निर्धारित करती है. यह नीति ग्राहक पात्रता मानदंड (ऋण पात्रता निर्धारण, सम्पर्क अवधि आदि); भी निर्धारित करती है. प्रतिपक्षों द्वारा इन मानदंडों को पूरा करने, बाध्यताओं का पालन करने के दायित्व को ध्यान में रखते हुए समुचित प्रतिपक्षी ऋण - सीमा निर्धारित करने तथा प्रत्येक प्रतिपक्ष से आइएसडीए करार करने पर ही डेरीवेटिव लेनदेन करके ऋण जोखिम पर नियंत्रण किया जाता है.
- इन ऋण - जोखिमों के कुशल प्रबंधन का सर्वेक्षण बैंक की आस्ति-देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) करती है. बैंक के कोष का मध्य-कार्यालय और जोखिम नियंत्रण (एमओआरसी) विभाग, वर्तमान में बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी), डेरीवेटिव लेनदेन से सम्बद्ध बाजार जोखिम का स्वतंत्र रूप से अभिनिर्धारण, आकलन, नियंत्रण करता है, इन जोखिमों को नियंत्रित एवं व्यवस्थित करने में आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) की सहायता करता है तथा बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबी) को निर्धारित नीति के अनुपालन की नियमित अंतराल पर रिपोर्ट करता है.
- भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार डेरीवेटिव्स के लिए लेखा नीति तैयार की गई है.

b) Non Performing Non-SLR Investments

Particulars	Current Year	Previous Year
Opening Balance	243.42	254.57
Additions during the year	24.18	19.13
Reductions during the year	37.37	30.28
Closing balance	230.23	243.42
Total provisions held	201.32	208.68

18.5 Derivatives

a) Forward Rate Agreements / Interest Rate Swaps

Particulars	As at 31-Mar-2008	As at 31-Mar-2007
i) The notional principal of swap agreements	155928.42	186610.70
ii) Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfil their obligations under the agreements	1666.30	2415.53
iii) Collateral required by the Bank upon entering into swaps	Nil	Nil
iv) Concentration of credit risk arising from the swaps	Not Significant	Not Significant
v) The fair value of the swap book	160.50	35.41

b) Exchange Traded Interest Rate Derivatives

Sr. No.	Particulars	Current Year	Previous Year
1	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year	Nil	Nil
2	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on 31st March 2008	Nil	Nil
3	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective"	Nil	Nil
4	Marked-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective".	Nil	Nil

c) Disclosures on Risk Exposure in Derivatives

(A) Qualitative Disclosure

- The Bank currently deals in over-the-counter (OTC) interest rate and currency derivatives. Interest rate derivatives dealt with by the Bank are rupee interest rate swaps, foreign currency interest rate swaps and forward rate agreements. Currency derivatives dealt with by the Bank are currency swaps, rupee dollar options and cross-currency options. The products are offered to the Bank's customers to manage their exposures and the Bank enters into derivatives contracts to cover such exposures. Derivatives are also used by the Bank both for trading as well as hedging on-balance sheet items. The Bank also deals in a mix of these generic instruments, under the portfolio of Structured Products.
- Derivative transactions carry market risk i.e. the probable loss the Bank may incur as a result of adverse movements in interest rates / exchange rates and credit risk i.e. the probable loss the Bank may incur if the counterparties fail to meet their obligations. The Bank's "Policy for Derivatives" approved by the Board prescribes risk parameters to control and manage market risk (cut-loss triggers, open position limits, duration, modified duration, PV01 etc.). The policy also prescribes customer eligibility criteria (credit rating, tenure of relationship etc.); credit risk is controlled by entering into derivative transactions only with counterparties satisfying these criteria, setting appropriate counterparty exposure limits taking into accountability to honour obligations and entering into ISDA agreements with each counterparty.
- The Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank oversees efficient management of these risks. The Bank's Market Risk Management Department (MRMD), independently identifies measures and monitors market risk associated with derivative transactions, assists ALCO in controlling and managing these risks and reports compliance with policy prescriptions to the Risk Management Committee of the Board (RMCB) at regular intervals.
- The accounting policy for derivatives has been drawn-up in accordance with RBI guidelines.





ख) मात्रात्मक प्रकटीकरण : B) Quantitative Disclosures :

क्रम सं Sr. No.	विवरण Particulars	मुद्रा डेरिवेटिव्स Currency Derivatives		ब्याज दर डेरिवेटिव्स Interest Rate Derivatives	
		चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
(i)	डेरिवेटिव्स (आनुमानिक मूल राशि) Derivatives (Notional Principal Amount)				
	क/अ) प्रतिरक्षा के लिए / For hedging	1631.21	-	11201.98	7428.99
	ख/ब) व्यापार के लिए / For trading	214446.76	49938.77	144726.44	179181.71
(ii)	बाजार के बही- मूल्य के अनुसार अंकित स्थिति Marked to Market Positions				
	क/अ) आस्ति / Asset	3705.16	21.72	414.73	162.11
	ख/ब) देयता / Liability	37.43	-	463.89	108.79
(iii)	जमा ऋण जोखिम / Credit Exposure	10574.55	1517.60	2671.73	3059.23
(iv)	ब्याज दर (100* पीवी 01) में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभाव्य प्रभाव Likely impact of one percentage change in interest rate (100* PV01)				
	क/अ) प्रतिरक्षा डेरिवेटिव्स पर / on hedging derivatives	(11.56)	-	205.32	141.99
	ख/ब) व्यापार डेरिवेटिव्स पर / on trading derivatives	63.03	0.04	20.52	-3.38
v)	वर्ष के दौरान अनुपालन किए गए 100* पीवी 01 का अधिकतम एवं न्यूनतम Maximum and Minimum of 100* PV 01 observed during the year				
	क/अ) प्रतिरक्षा पर / on hedging	(7.45) & (13.32)	-	231.79 & 89.36	12.85 & - 0.24
	ख/ब) व्यापार पर / on trading	94.57 & 3.99	-0.65 & -0.23	42.65 & 1.75	40.82 & -4.12

घ) जहाँ अंतर्निहित आस्ति/देयता को बाजार-बही मूल्य के अनुसार अंकित नहीं किया गया है उनका मूल्य रु.12833.19 करोड़ है वहाँ डेरिवेटिव्स को प्रतिरक्षा के लिए उपयोग किया गया है और इस डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो के बाजार-बही मूल्य में कोई हानि नहीं हुई है.

d) The outstanding derivatives used for hedging where the underlying assets/liabilities have not been marked to market amounts to Rs. 12833.19 crore and there is no loss in the mark to market value of this derivative portfolio.

18.6 आस्ति - गुणवत्ता

(क) अनर्जक आस्तियाँ

विवरण	31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार
i) कुल अग्रिमों की निवल अनर्जक आस्तियाँ (%)	1.78%	1.56%
ii) अनर्जक आस्तियों का उतार-चढ़ाव (कुल)		
(क) अग्रशेष	9998.22	9628.14
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	7899.04	4963.87
(ग) वर्ष के दौरान कमी	5059.92	4593.79
(घ) इति शेष	12837.34	9998.22
iii) निवल अनर्जक आस्तियों का उतार-चढ़ाव		
(क) अग्र शेष	5257.72	4911.41
(ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन	5063.06	3538.50
(ग) वर्ष के दौरान कमी	2896.45	3192.19
(घ) इति शेष	7424.33	5257.72
iv) अनर्जक आस्तियों के प्रावधानों का उतार-चढ़ाव		
(क) अग्र शेष	4740.50	4716.73
(ख) वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	2835.98	1425.37
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का अपलेखन / प्रतिलेखन	2163.47	1401.60
(घ) इति शेष	5413.01	4740.50

18.6 Asset Quality

a) Non-Performing Asset

Particulars	As at 31-Mar-2008	As at 31-Mar-2007
i) Net NPAs to Net Advances (%)	1.78%	1.56%
ii) Movement of NPAs (Gross)		
(a) Opening balance	9998.22	9628.14
(b) Additions during the year	7899.04	4963.87
(c) Reductions during the year	5059.92	4593.79
(d) Closing balance	12837.34	9998.22
iii) Movement of Net NPAs		
(a) Opening balance	5257.72	4911.41
(b) Additions during the year	5063.06	3538.50
(c) Reductions during the year	2896.45	3192.19
(d) Closing balance	7424.33	5257.72
iv) Movement of provisions for NPAs		
(a) Opening balance	4740.50	4716.73
(b) Provisions made during the year	2835.98	1425.37
(c) Write-off / write-back of excess provisions	2163.47	1401.60
(d) Closing balance	5413.01	4740.50





ख) पुनर्संरचना के अधीन ऋण आस्तियों का ब्योरा

b) Details of Loan Assets subjected to Restructuring

मर्दे / Particulars	खातों की संख्या (सीडीआर) No. of A/cs. (CDR)	कारपोरेट ऋण पुनर्संरचना (सीडीआर) योजना के अधीन (क) Under Corporate Debt Restructuring (CDR) Scheme (A)	सीडीआर के अंतर्गत उत्सर्जित राशि Amount sacrificed under CDR	लघु और मध्यम उद्यम योजना के अधीन (ख) Under Small & Medium Enterprises Scheme (B)	सीडीआर और एसएमई योजना के अलावा (ग) Other than under CDR & SME Scheme (C)	योग Total क + ख + ग A+B+C
i) पुनर्संरचना, पुनर्निर्धारण, पुनःपरकामण के अधीन ऋण आस्तियों की कुल राशि Total amount of loan assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation	32 (13)	322.54 (78.52)	5.02 (11.37)	52.89 (327.76)	1045.97 (488.66)	1421.40 (894.94)
(ii) पुनर्संरचना, पुनर्निर्धारण, पुनःपरकामण के अधीन मानक आस्तियों की राशि The amount of Standard Assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation	25 (11)	288.53 (31.35)	2.99 (11.37)	18.88 (267.35)	1019.45 (327.02)	1326.86 (625.72)
(iii) पुनर्संरचना, पुनर्निर्धारण, पुनः परकामण के अधीन अवमानक आस्तियों की राशि The amount of Sub-Standard Assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation	5 (0)	26.09 (0)	1.90 (0)	0.04 (30.84)	26.02 (44.68)	52.15 (75.52)
(iv) पुनर्संरचना, पुनर्निर्धारण, पुनः परकामण के अधीन संदिग्ध आस्तियों की राशि The amount of Doubtful Assets subjected to restructuring, rescheduling, renegotiation	2 (2)	7.92 (47.17)	0.14 (0)	33.97 (29.57)	0.5 (116.96)	42.39 (193.7)

ग) आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) / पुनर्निर्माण कंपनी (आरसी) को विक्री की गई वित्तीय आस्तियों का ब्योरा

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i) खातों की संख्या	2	90
ii) प्रतिभूतिकरण कंपनी / पुनर्निर्माण कंपनी (एससी/आरसी) को विक्री किए गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर)	16.61	19.62
iii) समग्र प्रतिफल	19.87	33.00
iv) पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त प्रतिफल	निरंक	निरंक
v) निवल बही मूल्य से अधिक कुल लाभ / हानि	3.26	13.38

घ) क्रय की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्योरा :

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) (क) वर्ष के दौरान क्रय किए गए खातों की सं. (ख) कुल बकाया राशि	1 6.35	लागू नहीं लागू नहीं
2) (क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचनागत खातों की संख्या (ख) कुल बकाया राशि	निरंक निरंक	लागू नहीं लागू नहीं

ङ) विक्री की गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्योरा :

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1) विक्री किए गए खातों की सं.	निरंक	20
2) कुल बकाया राशि	निरंक	45.08
3) प्राप्त समग्र प्रतिफल	निरंक	11.61

च) मानक आस्तियों पर प्रावधान :

बैंक द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार मानक आस्तियों (पुनर्संरचनागत मानक आस्तियों के लिए प्रावधान सहित) पर किया गया प्रावधान निम्नानुसार है :

विवरण	31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार
मानक आस्तियों के लिए किए गए प्रावधान	2252.87	1713.93

e) Details of financial assets sold to Securitisation Company (SC) / Reconstruction Company (RC) for Asset Reconstruction

Particulars	Current Year	Previous Year
i) No. of Accounts	2	90
ii) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	16.61	19.62
iii) Aggregate consideration	19.87	33.00
iv) Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	Nil	Nil
v) Aggregate gain / (loss) over net book value	3.26	13.38

d) Details of non-performing financial assets purchased:

Particulars	Current Year	Previous Year
1) (a) No. of Accounts purchased during the year	1	N.A.
(b) Aggregate outstanding	6.35	N.A.
2) (a) Of these, number of accounts restructured during the year	Nil	N.A.
(b) Aggregate outstanding	Nil	N.A.

e) Details of non-performing financial assets sold:

Particulars	Current Year	Previous Year
1) No. of Accounts sold	Nil	20
2) Aggregate outstanding	Nil	45.08
3) Aggregate consideration received	Nil	11.61

f) Provision on Standard Assets:

The Provision on Standard Assets (including provision for restructured standard assets) held by the Bank in accordance with RBI guidelines is as under:

Particulars	As at 31-Mar-2008	As at 31-Mar-2007
Provision towards Standard Assets	2252.87	1713.93





छ) व्यवसाय अनुपात :

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
i. कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याज आय का प्रतिशत	7.32%	7.34%
ii. कार्यशील निधियों की तुलना में ब्याजेतर आय का प्रतिशत	1.30%	1.07%
iii. कार्यशील निधियों की तुलना में परिचालन लाभ का प्रतिशत	1.96%	1.86%
iv. आस्तियों पर प्रतिलाभ	1.01%	0.84%
v. प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा राशियाँ एवं अग्रिम जोड़कर) (रु. हजार में)	45600	35700
vi. प्रति कर्मचारी लाभ (रु. हजार में)	372.57	236.81

ग) Business Ratios

Particulars	Current Year	Previous Year
i. Interest Income as a percentage to Working Funds	7.32%	7.34%
ii. Non-interest income as a percentage to Working Funds	1.30%	1.07%
iii. Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.96%	1.86%
iv. Return on Assets	1.01%	0.84%
v. Business (Deposits plus advances) per employee (Rs. in thousands)	45600	35700
vi. Profit per employee (Rs. in thousands)	372.57	236.81

ज) आस्तियता प्रबंधन : जैसा कि प्रबंधन द्वारा संकलित किया है और लेखा परीक्षकों ने इन्हें स्वीकार किया है. / Asset Liability Management : As compiled by the Management and relied upon by the Auditors. 31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार आस्तियों और देयताओं की कुछ मर्दों की परिपक्वता का स्वरूप

ह) Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as at 31st March 2008

	14 दिन तक Upto 14 days	15 से 28 दिन 15 to 28 days	29 दिन से 3 मास 29 days to 3 months	3 मास से अधिक किंतु 6 मास तक Over 3 months & upto 6 months	6 मास से अधिक किंतु 1 वर्ष तक Over 6 months & upto 1 year	1 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष तक Over 1 year & upto 3 years	3 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष तक Over 3 years & upto 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 years	योग TOTAL
जमा राशियाँ * Deposits	66386.15 (56990.43)	6317.86 (5231.58)	22983.65 (17980.35)	25871.69 (18266.34)	36525.64 (40393.61)	118495.71 (120010.53)	93357.76 (95365.79)	167465.48 (81282.46)	537,403.94 (435521.09)
अग्रिम * Advances	78308.83 (56774.22)	12,467.60 (5477.79)	12,966.63 (16079.60)	11,380.72 (15482.72)	15,298.44 (13281.92)	168907.79 (144478.01)	43,212.08 (32195.00)	74,226.11 (53567.23)	416,768.20 (337336.49)
विनिधान * Investments	83.68 (656.34)	1,325.32 (3303.68)	3,729.36 (9569.63)	5,208.98 (3475.99)	6,274.24 (2647.09)	38,455.91 (27142.16)	33,888.13 (21411.21)	100535.65 (80942.78)	189,501.27 (149148.88)
उधार-राशियाँ * Borrowings	11,629.39 (9466.58)	5,726.92 (1658.72)	15,887.11 (8519.72)	4,142.76 (4361.37)	7,130.49 (3579.61)	5,860.76 (5304.65)	771.99 (5579.20)	577.99 (1233.48)	51,727.41 (39703.33)
विदेशी मुद्रा आस्तियाँ * Foreign Currency Assets *	29,826.39 (25077.27)	9,739.96 (3495.20)	4,285.54 (12064.98)	4,120.29 (10498.96)	4,406.49 (5345.62)	8,034.06 (10942.91)	7,861.81 (7867.62)	11,056.80 (3925.82)	79,331.34 (79218.38)
विदेशी मुद्रा देयताएँ Foreign Currency Liabilities	16,335.17 (16643.24)	8,157.90 (5457.66)	17,578.48 (17742.00)	7,513.62 (9268.26)	13,431.40 (10215.19)	11,628.58 (11007.09)	2,603.73 (6207.31)	1,301.36 (1573.32)	78,550.24 (78114.07)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े 31 मार्च 2007 के हैं)

Figures in brackets are as at 31st March 2007

'1 दिन' और '2 से 7 दिन' तथा '8 से 14 दिन' से सम्बद्ध आंकड़ों का पृथक संकलन नहीं किया गया है./Data has not been compiled for the bucket '1 Day' and '2 to 7 days' and '8 to 14' days separately.

बैंक ने खुदरा जमा राशियों, बचत बैंक जमा राशियों, चालू खाता जमा राशियों, नकदी ऋणों और मांग ऋणों का विभिन्न परिपक्वता श्रेणियों में प्रकटीकरण नहीं किया है.

The bank has not disclosed retail deposits, saving Bank deposits, current deposits, cash credit and demand loans under different maturity buckets.

18.7 ऋण-जोखिम से संबंधित क्षेत्र :

बैंक उन क्षेत्रों को ऋण प्रदान कर रहा है, जिनके आस्ति मूल्य में उतार-चढ़ाव होता रहता है. स्थायर संपदा और पूंजी बाजार के क्षेत्र ऐसे ही अस्थिर क्षेत्र हैं.

क. स्थावर संपदा क्षेत्र

विवरण	31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार
क) प्रत्यक्ष ऋण-जोखिम		
i) आवासीय बंधक	42116.80	33412.29
जिनमें से रु.15 लाख तक के व्यक्तिगत आवास ऋण	33103.18	26851.28
ii) वाणिज्यिक स्थावर संपदा	11958.38	6264.55
iii) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) तथा अन्य प्रतिभूतिकृत ऋण-जोखिमों में विनिधान :		
आवासीय	-	-
वाणिज्यिक स्थावर संपदा	-	0.08
अप्रत्यक्ष ऋण-जोखिम		
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) तथा आवास वित्तीय कंपनियों (एचएफसी) में निधि आयात और गैर-निधि आयात ऋण-जोखिम	3,795.36	1044.21
योग	57,870.54	40721.13

* इन आंकड़ों से भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत अपेक्षित रु.15 लाख तक के वैयक्तिक आवास - ऋणों के बदले रु.20 लाख तक के आवास-ऋणों के संबंध में सूचना मिलती है.

18.7 Exposures

The Bank has lending to sectors which are sensitive to asset price fluctuations. These sensitive sectors are real estate and capital markets.

a) Real Estate Sector

Particulars	As at 31-Mar-2008	As at 31-Mar-2007
Direct exposure		
i) Residential Mortgages	42116.80	33412.29
- Of which individual housing loans up to Rs.15 Lakhs	33103.18*	26851.28
ii) Commercial Real Estate	11958.38	6264.55
iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures:		
Residential	-	-
Commercial Real Estate	-	0.08
Indirect Exposure		
Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	3,795.36	1044.21
Total	57,870.54	40721.13

* The data has been reported for individual housing loan upto Rs.20 Lakhs as against Rs. 15 Lakhs as required by the RBI guidelines.





ख). पूंजी बाजार

विवरण	31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार
1) इक्विटी शेयरों, परिवर्तनशील बांडों, परिवर्तनशील डिबेंचर्स तथा इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में - ऐसे प्रत्यक्ष विनिधान जिनकी राशि का सिर्फ कारपोरेट-ऋण में विनिधान नहीं किया गया है,	5,352.53	2766.89
2) शेयरों/बांडों/डिबेंचर्स या अन्य प्रतिभूति के विरुद्ध दिए गए ऋण अथवा शेयरों (आइपीओ/इएसओपी सहित) परिवर्तनशील बांडों, परिवर्तनशील डिबेंचर्स तथा इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों में विनिधान के लिए बेजमानती (क्लीन) आधार पर व्यक्तियों को दिए गए अग्रिम	367.47	317.70
3) किसी अन्य प्रयोजन के लिए अग्रिम जहाँ शेयरों अथवा परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनशील डिबेंचर्स को अथवा इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंड की यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया गया है.	32.38	लागू नहीं
4) किसी अन्य प्रयोजन के लिए ऐसे अग्रिम जो शेयरों अथवा परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनशील डिबेंचर्स अथवा इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों द्वारा शेष प्रतिभूति के लिए संपाश्विक प्रतिभूत से अर्थात् जहाँ शेयरों/ परिवर्तनशील बांडों/परिवर्तनशील डिबेंचर्स/इक्विटी सम्बद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों के अतिरिक्त प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिम की राशि की पूर्ण - प्रतिभूति के रूप में अपर्याप्त है.	45.68	लागू नहीं
5) शेयर दलालों को प्रतिभूत और अप्रतिभूत अग्रिम और शेयर दलालों एवं बाजार - निवामकों (मार्केट मेकर्स) की ओर से जारी गारंटियाँ	277.37	181.90
6) संसाधनों को बढ़ाने की प्रवृत्ति से नई कंपनी की इक्विटी में प्रमोटर के अंशदान का हिस्सा पूरा करने के लिए कारपोरेटों को शेयरों/बांडों/ डिबेंचर्स या अन्य प्रतिभूतियों अथवा बेजमानती आधार पर संस्वीकृत ऋण	2,721.45	लागू नहीं
7) अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/शेयर निर्गमों के सापेक्ष कम्पनियों को दिए गए पूरक ऋण	-	लागू नहीं
8) शेयरों या परिवर्तनशील बांडों अथवा परिवर्तनशील डिबेंचर्स या इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों को प्राथमिक शेयर निर्गम के संबंध में बैंक ने जोखिम अंकन की प्रतिबद्धता अपनाई है.	-	लागू नहीं
9) शेयरदलालों को मार्जिन व्यापार के लिए वित्तपोषण	0.20	लागू नहीं
10) उद्यम - पूंजी निधियों से संबंधित ऋण - जोखिम	312.72	लागू नहीं
पूंजी बाजार में कुल ऋण जोखिम	9,109.80	3266.49

b) Capital Market

Particulars	As at 31-Mar-2008	As at 31-Mar-2007
1) Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt.	5,352.53	2766.89
2) Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds.	367.47	317.70
3) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security.	32.38	N.A.
4) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances.	45.68	N.A.
5) Secured and unsecured advances to stockbrokers and guarantees issued on behalf of stockbrokers and market makers.	277.37	181.90
6) Loans sanctioned to corporates against the security of shares/bonds/debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter's contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources.	2,721.45	N.A.
7) Bridge loans to companies against expected equity flows/issues.	-	N.A.
8) Underwriting commitments taken up by the Bank in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds.	-	N.A.
9) Financing to stockbrokers for margin trading.	0.20	N.A.
10) Exposures to Venture Capital Funds	312.72	N.A.
Total Exposure to Capital Market	9,109.80	3266.49

ग) वर्गवार-देशवार ऋण-जोखिम : प्रबंधन ने इनका संकलन किया है और लेखापरीक्षकों ने इन्हें स्वीकार किया है.

भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार, बैंक के देशवार ऋण-जोखिम का वर्गीकरण निम्न तालिका में सूचीबद्ध विभिन्न जोखिम वर्गों में किया गया है. नगण्य जोखिम श्रेणी वाले देश को छोड़कर, बैंक का देशगत जोखिम (कुल निधिक) - इसकी कुल ऋण आस्तियों के 1% से अधिक नहीं है. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार रु.12.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

क) Country-Risk Categorywise : As compiled by the management and relied upon by the auditors.

As per the extant RBI guidelines, the country exposure of the Bank is categorised into various risk categories listed in the following table. The country exposure (net funded) of the Bank for any country does not exceed 1% of its total assets except to a country in insignificant risk category. Provision of Rs. 12.50 crore has been made in accordance with RBI guidelines.

जोखिम वर्ग Risk Category	ऋण-जोखिम (निवल) Exposure (net)		किया गया प्रावधान Provision held	
	31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार As at 31-Mar-2008	31 मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार As at 31-Mar-2007	31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार As at 31-Mar-2008	31 मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार As at 31-Mar-2007
नगण्य / Insignificant	22208.55	17422.69	12.50	निरंक / Nil
कम / Low	5185.89	58.20.66	निरंक / Nil	निरंक / Nil
सामान्य / Moderate	4713.24	6425.83	निरंक / Nil	निरंक / Nil
अधिक / High	3314.57	3041.29	निरंक / Nil	निरंक / Nil
अत्यधिक / Very High	1015.84	1340.10	निरंक / Nil	निरंक / Nil
प्रतिबंधित / ऋण में शामिल न होने वाले Restricted / Off-Credit	19.50	19.57	निरंक / Nil	निरंक / Nil
योग / Total	36457.59	34070.14	12.50	निरंक / Nil





- घ) बैंक द्वारा अतिक्रमित एकल उधारकर्ता तथा समूह उधारकर्ता ऋण जोखिम सीमा का ब्योरा :
 द) Single Borrower and Group Borrower exposure limits exceeded by the Bank :

बैंक ने निम्नलिखित मामलों में यथोचित सीमा के अतिक्रमण में एकल उधारकर्ता ऋण-जोखिम लिए :

The Bank had taken single borrower exposure in excess of the prudential limit in the cases given below :

उधारकर्ता का नाम Name of the Borrower	ऋण-जोखिम की उच्चतम सीमा Exposure ceiling	संस्वीकृत सीमा (चरम स्तर) Limit Sanctioned (Peak Level)	सीमा के अतिक्रमण की अवधि Period during which limit exceeded	31.03.08 को बकाया Outstanding as on 31.03.08
रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. Reliance Industries Ltd.*	7040.04	8728.47	जुलाई 2007 से अगस्त 2007 July 2007 to August 2007	4360.83
	8080.95	9422.13	सितम्बर 2007 से 30.03.2008 तक / September 2007 to 30.03.2008	
	10589.29	9423.19	31.03.08 उच्चतम सीमा के भीतर / Within the ceiling on 31.03.2008	
इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि. Indian Oil Corporation Ltd.*	7040.04	8321.27	जुलाई 2007 से अगस्त 2007 July 2007 to August 2007	9345.97
	8080.95	10503.72	सितम्बर 2007 से 30.03.2008 तक / September 2007 to 30.03.2008	
	10589.29	10503.72	Within the ceiling on 31.03.2008 31.03.2008 की उच्चतम सीमा के भीतर	

**बोर्ड के अनुमोदन से / with the approval of the Board

ड.) **अनुषंगियों को जारी चुकोती आश्वासन पत्र:**

बैंक ने अपने सहयोगियों की ओर से चुकोती आश्वासन पत्र जारी किया है. 31 मार्च 2008 को चुकोती आश्वासन पत्रों की कुल बकाया राशि रु.341.23 करोड़ थी

घ.) **आरिश्तियों से आह्वार**

वर्ष के दौरान बैंक ने आरिश्तियों से निम्नलिखित राशि आहरित की है:

विवरण	31मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार
लेखा मानक 15 (संशोधित 2005) के संक्रमणीय दायित्व का कार्यान्वयन	4075.64
समाधान के अंतर्गत ड्राफ्टों के भुगतान के लिए	0.10

18.8 विविध

क) **भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंडों का प्रकटीकरण**

निरंक (पिछला वर्ष - निरंक)

ख) **ग्राहक - शिकायतों की स्थिति : इनका संकलन प्रबंधन ने किया है.**

विवरण	31मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार	31मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार
वर्ष के आरंभ में विचाराधीन शिकायतों की संख्या	454	322
वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	16461	16168
वर्ष के दौरान निवारण की गई शिकायतों की संख्या	15885	16036
वर्ष के अंत में विचाराधीन शिकायतों की संख्या	1030	454

ग) **बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय : इनका संकलन प्रबंधन ने किया है.**

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	0	0
वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों की संख्या	22	10
वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की संख्या	18	10
वर्ष के अंत में कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की संख्या	4	0

घ) बैंक को आपूर्तिकर्ताओं से वृष्टि, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत - उनकी स्थिति से सम्बद्ध चूकि कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, अतः वर्ष के अंत में, उक्त अधिनियम के अंतर्गत व्याज सहित भुगतान न की गई राशि के संबंध में न तो कोई प्रकटीकरण किया गया है और न ही विलम्बित भुगतान की स्थिति से व्याज -प्रावधान का इस समय अनुमान लगाना संभव है.

18.9 लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण की आवश्यकता

क) **प्रमुख लेखा नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन**

i) **लाभांश - गणना**

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बैंक ने कारपोरेट निकायों के शेयरों पर लाभांश - गणना नीति को परिवर्तित किया है. अब वसूली आधार के बजाय - लाभांश -प्राप्ति अधिकार के स्थापित हो जाने के बाद लाभांश की गणना प्रोद्भवन आधार पर की गई है. परिणामस्वरूप, लाभांश आय और वर्ष के लाभ में रु.4.68 करोड़ की वृद्धि हुई.

ii) **'परिपक्वता के लिए रखी गई प्रतिभूतियों' के प्रीमियम का परिशोधन**

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 11 जुलाई 2007 के सामान्य स्पष्टीकरण की अपेक्षानुसार, बैंक ने 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए, 'अर्जित आय' में सम्मिलित 'विनिधानों पर आय' में से सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रीमियम - परिशोधन को घटा दिया है. इसे पहले 'अन्य आय'

e) **Letter of Comfort issued for Subsidiaries:**

The Bank has issued letters of comfort on behalf of its subsidiaries. Outstanding letters of comfort as on 31st March 2008 aggregate to Rs. 341.23 crore.

f) **Withdrawal from Reserves:**

During the year, the bank has withdrawn following amount from the Reserves:

Particulars	As at 31-Mar-2008
Transitional liability on implementation of AS 15 (Revised 2005)	4075.64
On account of payment of drafts under reconciliation	0.10

18.8 Miscellaneous

a) **Disclosure of Penalties imposed by RBI:**

Nil (Previous year - Nil)

b) **Status of customer complaints: As compiled by the Management.**

Particulars	As at 31-Mar-2008	As at 31-Mar-2007
No. of complaints pending at the beginning of the year	454	322
No. of complaints received during the year	16461	16168
No. of complaints redressed during the year	15885	16036
No. of complaints pending at the end of the year	1030	454

c) **Awards passed by the Banking Ombudsman: As compiled by the Management**

Particulars	Current Year	Previous Year
No. of unimplemented Awards at the beginning of the year	0	0
No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	22	10
No. of Awards implemented during the year	18	10
No. of unimplemented Awards at the end of the year	4	0

d) The Bank has not received any intimation from the suppliers regarding their status under the Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006 and hence the disclosures relating to amount unpaid as at the end of the year together with interest payable as required under the said act has not been furnished and provision for interest, if any, on delayed payment is not ascertainable at this stage.

18.9 Disclosure Requirements as per Accounting Standards

a) **Significant changes in the principal accounting policies.**

i. **Dividend Accounting**

During the year the Bank has changed its accounting policy in respect of recognition of dividend on shares of corporate bodies from realisation basis to accrual basis where the right to receive the dividend is established. Consequently, the dividend income and the profit for the year are higher by Rs. 4.68 crore.

ii. **Amortisation of Premium on HTM Securities**

As required by RBI general clarification dated July 11, 2007, the Bank has deducted the amortisation of premium on Government securities, from "Income on investments" included in "Interest earned" which was earlier





में शामिल किया गया था और 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए इसकी राशि रु.1020.22 करोड़ रही (31 मार्च 2007 को समाप्त वर्ष के लिए यह राशि रु.1036.79 करोड़ थी). चालू वर्ष के वर्गीकरण के अनुरूप बनाने के लिए विगत वर्ष के आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत किया गया है.

iii. विदेशी मुद्रा ओटीसी विकल्पों का बाजार-बढ़ी के अनुसार लाभ/हानि

विदेशी मुद्रा ओटीसी विकल्पों का - बाजार-बढ़ी मूल्य के अनुसार लाभ-हानि की लेखा नीति को बैंक ने परिवर्तित कर दिया है. इस नई लेखा नीति के अनुसार - विक्री किए गए विकल्पों पर प्राप्त प्रीमियम का शेष और क्रय किए गए विकल्पों पर प्रदत्त प्रीमियम को - विदेशी मुद्रा ओटीसी विकल्पों के एमटीएम मूल्य का पता लगाने के लिए किया गया है. लेखा नीति में इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप - इस वर्ष के लाभ में रु.133.80 करोड़ की वृद्धि हुई है.

iv. खंड सूचना

वर्ष के दौरान, बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप अपने प्राथमिक व्यवसाय खंडों को कोष,कारपोरेट/शोक बैंकिंग तथा खुदरा बैंकिंग व्यवसाय के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया है. बैंक अब तक बैंकिंग और राजकोषीय परिचालन को प्राथमिक व्यवसाय के रूप में वर्गीकृत करता आया है.

v) कर्मचारी - हितलाभ

- I. बैंक अब तक पूर्ववर्ती लेखामानक 15(1995) के अनुसार कर्मचारी 'सेवानिवृत्ति हितलाभ' के लिए देयता का आकलन करता था. बैंक ने 01 अप्रैल 2007 से लेखा मानक 15 (संशोधित - 2005) 'कर्मचारी - हितलाभ' योजना को अंगीकार किया है. परिणामस्वरूप उक्त तिथि को रु.4256.70 करोड़ का अतिरिक्त दायित्व प्रोद्भूत हुआ है. इसमें से रु.3723.74 करोड़ पेंशन निधि से संबंधित हैं और रु.351.64 करोड़ (रु.181.06 करोड़ के आस्थगित कर आस्ति को छोड़कर) दीर्घवधि कर्मचारी हितलाभ से संबंधित है.
- II. बैंक ने अतिरिक्त दायित्व को राजस्व और अन्य आरक्षितियों के नामे प्रभारित करने के विकल्प का प्रयोग किया है. तदनुसार, रु.4075.64 करोड़ का संक्रमणीय दायित्व (रु.181.06 करोड़ की आस्थगित कर आस्ति को छोड़कर) को राजस्व और अन्य आरक्षितियों में अंतरण करके लेखे में लिया गया है.
- III. लेखा मानक 15 (संशोधित 2005) के अभिग्रहण के परिणामस्वरूप कर पूर्व लाभ रु.192.69 करोड़ से अधिक हो गया है.

ख) अवधि - पूर्व मर्दे : देशी कार्यालय

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मूल्यहरास	36.70	(17.47)
परिचालन व्यय	13.33	16.38
व्यय किया गया ब्याज	-	264.76
अन्य आय	3.31	2.42

ग) कर्मचारी - हितलाभ

i. नियत हितलाभ योजनाएँ

निम्न तालिका में लेखा मानक - 15 (संशोधित 2005) की अपेक्षानुसार नियत हितलाभ पेंशन योजना, ग्रेच्युटी योजना की स्थिति प्रदर्शित है :

विवरण	पेंशन योजनाएँ	ग्रेच्युटी
नियत हितलाभ - दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन		
01 अप्रैल 2007 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का आरंभ	15929.00	3527.00
वर्तमान सेवा लागत	423.14	126.15
व्याज लागत	1290.00	285.00
वास्तविक हानियाँ (लाभ)	219.62	(72.97)
प्रदत्त हितलाभ	(1051.76)	(321.00)
31 मार्च 2008 को नियत हितलाभ दायित्व योजना का इतिशेष योजना आस्तियों में परिवर्तन	16810.00	3544.18
01 अप्रैल 2007 को योजना आस्तियों का आरंभिक उचित मूल्य योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	12205.26	3527.00
नियोजक का अंशदान	976.42	269.72
प्रदत्त हितलाभ	884.14	5.00
वास्तविक लाभ	(1051.76)	(321.00)
31 मार्च 2008 को योजना आस्तियों के उचित मूल्य का इतिशेष	70.74	63.46
दायित्व के वर्तमान मूल्य तथा योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान		
31 मार्च 2008 को निधिक दायित्व का वर्तमान मूल्य	13084.80	3544.18
31 मार्च 2008 को योजना आस्तियों का उचित मूल्य कमी/ (अधिशेष)	13084.80	3544.18
लेखे में नहीं ली गई विगत सेवा लागत	3725.20	निरंक
निवृत्त देयता / (आस्ति)	निरंक	निरंक
तुलनपत्र के लेखे में ली गई राशि देयताएँ	3725.20	निरंक
आस्तियाँ	निरंक	निरंक
तुलनपत्र में चिन्हित निवृत्त देयता/ (आस्ति)	3725.20	निरंक

included in "Other income" amounting to Rs. 1020.22 crore for the year ended March 31, 2008 (Rs. 1036.79 crore for the year ended March 31, 2007). Prior year figures have been reclassified to conform to the current classification. This change in accounting procedure does not have any impact on the net profit for the year.

iii. Mark-to-Market gains / losses of Forex OTC options

The Bank has changed the accounting policy in respect of accounting of Mark-to-Market (MTM) gains / losses in case of forex OTC options, whereby the balance in premium received on options sold and premium paid on options bought have been considered from this year to arrive at MTM value for forex OTC options. Consequent to this change in the accounting policy, the profit for the year is higher by Rs. 133.80 crore.

iv. Segment Reporting

During the year, the Bank has reclassified its primary segments as Treasury, Corporate/Wholesale Banking and Retail Banking business in line with the directions issued by RBI. The Bank had hitherto been classifying Banking and Treasury operations as primary segments.

v. Employee Benefits

- I. The Bank had hitherto been measuring the liability for employee retirement benefits as per the erstwhile AS 15 (1995) "Accounting for Retirement Benefits". The Bank has adopted AS 15 (Revised 2005) "Employee Benefits", effective from 1st April 2007. Consequently an additional obligation of Rs. 4256.70 crore has accrued as on that date. Out of this, Rs. 3723.74 crore pertains to pension benefits and Rs. 351.64 crore (Net of deferred tax assets of Rs. 181.06 crore) pertains to long term employee benefits.
- II. The Bank has exercised the option of charging the additional obligation to Revenue & Other Reserves. Accordingly, the transitional liability of Rs. 4075.64 crore (net of deferred tax assets of Rs. 181.06 crore) has been set off against transfer from Revenue & Other Reserves.
- III. Consequent to the adoption of AS-15 (Revised 2005) profit before tax for the year is higher by Rs. 192.69 crore.

b) Prior Period Items: Domestic Offices

Particulars	Current year	Previous year
Depreciation	36.70	(17.47)
Operating expenses	13.33	16.38
Interest expended	-	264.76
Other income	3.31	2.42

c) Employee's Benefits

i. Defined Benefit Plans

The following table sets out the status of the defined benefit Pension Plan and Gratuity Plan as required under AS 15 (Revised 2005)

Particulars	Pension Plans	Gratuity
Change in the present value of the defined benefit obligation		
Opening defined benefit obligation at 1st April 2007	15929.00	3527.00
Current Service Cost	423.14	126.15
Interest Cost	1290.00	285.00
Actuarial losses (gains)	219.62	(72.97)
Benefits paid	(1051.76)	(321.00)
Closing defined benefit obligation at 31st March 2008	16810.00	3544.18
Change in Plan Assets		
Opening fair value of plan assets at 1st April 2007	12205.26	3527.00
Expected Return on Plan assets	976.42	269.72
Contributions by employer	884.14	5.00
Benefit Paid	(1051.76)	(321.00)
Actuarial Gains	70.74	63.46
Closing fair value of plan assets at 31st March 2008	13084.80	3544.18
Reconciliation of present value of the obligation and fair value of the plan assets		
Present Value of Funded obligation at 31st March 2008	16810.00	3544.18
Fair Value of Plan assets at 31st March 2008	13084.80	3544.18
Deficit/(Surplus)	3725.20	Nil
Unrecognised Past Service Cost	Nil	Nil
Net Liability/(Asset)	3725.20	Nil
Amount Recognised in the Balance Sheet		
Liabilities	3725.20	Nil
Assets	Nil	Nil
Net Liability / (Asset) recognised in Balance Sheet	3725.20	Nil





विवरण	पेंशन योजनाएँ	ग्रेच्युटी
लाभ और हानि खाते में चिन्हित निवल लागत		
वर्तमान सेवा लागत	423.14	126.15
ब्याज लागत	1290.00	285.00
योजना -आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	(976.42)	(269.72)
वर्ष के दौरान चिन्हित निवल वास्तविक हानियाँ (लाभ)	148.88	(136.43)
नियत लाभ योजनाओं की कुल लागत अनुसूची 16 "कर्मचारी को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" में चिन्हित किया गया है.	885.60	5.00
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ और वास्तविक प्रतिलाभ का समाधान		
योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिलाभ	976.42	269.72
योजना आस्तियों पर वास्तविक लाभ / (हानि)	70.74	63.46
योजना आस्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	1047.16	333.18
तुलनपत्र में अभिज्ञानित निवल देयता / (आस्ति) के प्रारंभिक और अंतिम शेष का समाधान		
01 अप्रैल 2007 की स्थिति के अनुसार निवल प्रारंभिक देयता	3723.74	निरंक
लाभ और हानि खाते में शामिल व्यय	885.60	5.00
नियोजितों का अंशदान	884.14	5.00
तुलनपत्र के लेखों में ली गई निवल देयता / (आस्ति)	3725.20	निरंक

बैंक को अगले वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी नियत लाभ पेंशन योजना, ग्रेच्युटी योजना में क्रमशः रु.652.76 करोड़ तथा रु.43.20 करोड़ के अंशदान करने की आशा है.

31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार ग्रेच्युटी निधि और पेंशन निधि की योजना - आस्तियों के अधीन किए गए विनिधान निम्नानुसार हैं.

आस्तियों की श्रेणी	ग्रेच्युटी निधि	पेंशन निधि
	योजना आस्तियों का %	योजना आस्तियों का %
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	39.45%	-
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	24.59%	-
सार्वजनिक क्षेत्र के बांड	15.11%	-
बैंक में मियादी जमा रसीद/सावधि जमा रसीद	16.54%	-
बैंक की जमा राशियाँ	0.94%	100.00%*
अन्य	3.37%	-
योग	100.00%	100.00%

* बैंक में रखी गई

मुख्य वास्तविक प्राक्कलन :

विवरण	पेंशन और ग्रेच्युटी योजनाएँ	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बट्टा दर	8.00%	8.15%
योजना आस्ति पर प्रतिलाभ की प्रत्याशित दर	8.00%	8.00%
वेतन वृद्धि	5.00%	4.00%

भावी वेतन वृद्धि का पूर्वानुमान, वास्तविक मूल्य का प्रतिफलन, मुद्रास्फीति का समावेशन, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य सम्बद्ध कारणों यथा नियोजन - बाजार में आपूर्ति और मांग की स्थिति के आधार पर किया गया है. इस प्रकार के अनुमान सुदीर्घ अवधि के लिए हैं और अतीत के सीमित अनुभव /सन्निकट भविष्य की अपेक्षाओं पर आधारित नहीं हैं. अनुभवजन्य साक्ष्य भी यही संकेत करते हैं कि दूरगामी अवधि के दौरान - सतत उच्च वेतनवृद्धि करते रहना संभव नहीं है लेखापरीक्षकों ने इस प्रसंग में बैंक द्वारा किए गए प्रतिवेदन पर भरोसा किया है.

ii) कर्मचारी भविष्य निधि

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के लेखा मानक बोर्ड द्वारा संशोधित लेखा मानक - 15 के कार्यान्वयन संबंधी दिशा-निर्देशों के संदर्भ में, बैंक द्वारा स्थापित कर्मचारी भविष्य निधि नियत लाभ योजना की परिधि में आएगा क्योंकि बैंक को निर्धारित न्यूनतम प्रतिलाभ को पूरा करना है. वर्ष के अंत में ऐसी कोई कमी नहीं बची थी जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया हो. तदनुसार, भविष्य निधि के संबंध में अन्य संबंधित प्रकटीकरणों का उल्लेख नहीं किया गया है. रु.344.60 करोड़ की राशि को लाभ और हानि खाते में कर्मचारियों के भुगतान और उनके लिए प्रावधान शीर्ष के अंतर्गत शामिल बैंक की भविष्य निधि योजना पर किए गए व्यय के रूप में अभिज्ञान में लिया गया है.

iii) अन्य दीर्घावधि कर्मचारी - हितलाभ

रु. 133.40 करोड़ की राशि को लाभ और हानि खाते में "कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान" शीर्ष के अन्तर्गत शामिल दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभों पर किए गए व्यय के रूप में अभिज्ञान में लिया गया है.

Particulars	Pension Plans	Gratuity
Net Cost recognised in the Profit and Loss Account		
Current Service Cost	423.14	126.15
Interest Cost	1290.00	285.00
Expected return on plan assets	(976.42)	(269.72)
Net actuarial losses (Gain) recognised during the year	148.88	(136.43)
Total costs of defined benefit plans included in Schedule 16 "Payments to and provisions for employees"	885.60	5.00
Reconciliation of expected return and actual return on Plan Assets		
Expected Return on Plan Assets	976.42	269.72
Actuarial Gain/ (loss) on Plan Assets	70.74	63.46
Actual Return on Plan Assets	1047.16	333.18
Reconciliation of opening and closing net liability/ (asset) recognised in Balance Sheet		
Opening Net Liability as at 1st April 2007	3723.74	Nil
Expenses as recognised in profit and loss account	885.60	5.00
Employers Contribution	884.14	5.00
Net liability/(Asset) recognised in Balance Sheet	3725.20	Nil

The Bank expects to contribute Rs. 652.76 crore and Rs. 43.20 crore to its defined benefit Pension Plan and Gratuity Plan respectively during the next financial year.

Investments under Plan Assets of Gratuity Fund & Pension Fund as on 31st March 2008 are as follows:

Category of Assets	Gratuity Fund	Pension Fund
	% of Plan Assets	% of Plan Assets
Central Govt. Securities	39.45%	-
State Govt. Securities	24.59%	-
Public Sector Bonds	15.11%	-
FDR / TDR with Bank	16.54%	-
Bank Deposits	0.94%	100.00% *
Others	3.37%	-
Total	100.00%	100.00%

* Held with the Bank

Principal actuarial assumptions:

Particulars	Pension and Gratuity Plans	
	Current year	Previous year
Discount Rate	8.00%	8.15%
Expected Rate of return on Plan Asset	8.00%	8.00%
Salary Escalation	5.00%	4.00%

The estimates of future salary growth, factored in actuarial valuation, take account of inflation, seniority, promotion and other relevant factors such as supply and demand in the employment market. Such estimates are very long term and are not based on limited past experience / immediate future. Empirical evidence also suggests that in very long term, consistent high salary growth rates are not possible, which has been relied upon by the auditors.

ii. Employees Provident Fund

In terms of the guidance on implementing the AS-15 (Revised 2005) issued by the Institute of the Chartered Accountants of India, the Employees Provident Fund set up by the Bank is treated as a defined benefit plan since the Bank has to meet the specified minimum rate of return. As at the year end, no shortfall remains unprovided for. Accordingly, other related disclosures in respect of Provident Fund have not been made and an amount of Rs. 344.60 crore is recognised as an expense towards the Provident Fund scheme of the Bank included under the head "Payments to and provisions for employees" in Profit and Loss Account.

iii. Other Long term Employee Benefits

Amount of Rs. 133.40 crore is recognised as an expense towards Long term Employee Benefits included under the head "Payments to and provisions for employees" in Profit and Loss account.





वर्ष के दौरान, विभिन्न दीर्घावधि कर्मचारी-हितलाभ योजना के लिए किए गए प्रावधानों का विवरण :

क्रम सं.	दीर्घावधि कर्मचारी - हितलाभ	राशि
1	सेवानिवृत्ति के समय अवकाश नकदीकरण के साथ अर्जित अवकाश का (नकदीकरण)	88.00
2	अवकाश यात्रा और गृह यात्रा रियायत (नकदीकरण / अर्जन)	25.12
3	रुण अवकाश	18.40
4	रजत जयंती अवार्ड	1.22
5	अधिवर्षिता पर पुनर्निर्धारण व्यय	3.73
6	आकास्मिक अवकाश	(2.02)
7	सेवानिवृत्ति अवार्ड	(1.05)
	योग	133.40

घ. खंड सूचना : प्रबंधन द्वारा संकलन किया गया है और लेखापरिक्षको द्वारा स्वीकार किया गया है.

1. खंड अभिनिर्धारण

क) प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

भारतीय रिजर्व बैंक के तत्कालीन दिशा-निर्देशों के अनुपालन में बैंक ने अब तक (i) बैंकिंग परिचालनों और (ii) राजकोषीय परिचालनों को प्राथमिक खंड के रूप में वर्गीकृत किया था. भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 18 अप्रैल 2007 के परिपत्र सं. बीपी.बीसी.81/21.04.018/2006-07 के जरिये अपने दिशा-निर्देशों को आशोधित किया है, जिनकी अपेक्षानुसार बैंक ने निम्नांकित खंडों का अभिनिर्धारण/पुनर्वर्गीकरण प्राथमिक खंडों के रूप में किया है.

- राजकोष
- कारपोरेट / थोक बैंकिंग
- खुदरा बैंकिंग
- अन्य बैंकिंग व्यवसाय

बैंक की वर्तमान लेखा-निर्धारण और सूचना पद्धति में उपरोक्त खंडों से सम्बद्ध आंकड़ा संग्रहण और निष्कर्षण की पृथक् प्रक्रिया सम्मिलित नहीं है. तथापि, रिपोर्ट करने की वर्तमान संगठनात्मक और प्रबंधकीय संरचना, उनमें सन्निहित जोखिम और प्रतिलाभ के आधार पर वर्तमान मूल - खंडों को निम्नवत पुनर्संयोजित किया गया है :

क) **राजकोष** - राजकोष खंड में समस्त विनिधान पोर्टफोलियो और विदेशी विनिमय और डेजीवेटिव संविदाएँ शामिल हैं. राजकोष खंड का राजस्व मूलतः व्यापार - परिचालनों के शुल्क और इससे होने वाले लाभ / हानि तथा विनिधान पोर्टफोलियो की ब्याज आय पर आधारित है.

ख) **कारपोरेट / थोक बैंकिंग** - कारपोरेट / थोक बैंकिंग खंड के अंतर्गत कारपोरेट लेखा समूह, मध्य कारपोरेट लेखा समूह और तनावग्रस्त आस्ति समूह की ऋण - गतिविधियाँ सम्मिलित हैं. इनके द्वारा कारपोरेट और संस्थागत ग्राहकों को ऋण और लेन-देन सेवाएँ प्रदान की जाती हैं. इनके अंतर्गत विदेश स्थित कार्यालयों के गैर - राजकोष परिचालन भी शामिल हैं.

ग) **खुदरा बैंकिंग** - खुदरा बैंकिंग खंड के अंतर्गत राष्ट्रीय बैंकिंग समूह की शाखाएँ आती हैं. इन शाखाओं के कार्यकलापों में राष्ट्रीय बैंकिंग समूह से सम्बद्ध कारपोरेट ग्राहकों को ऋण उपलब्ध कराने सहित - वैयक्तिक बैंकिंग गतिविधियाँ शामिल हैं. एजेंसी व्यवसाय और एटीएम भी इसी समूह में आते हैं.

घ) **अन्य बैंकिंग व्यवसाय** - जो खंड उपर्युक्त (क) से (ग) के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं हुए हैं उन्हें इस प्राथमिक खंड के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है

प्रबंधन का अभिमत है कि उपर्युक्त पुनर्वर्गीकरण, भारतीय रिजर्व बैंक के संशोधित दिशा-निर्देशों की अपेक्षाओं को पूरा करता है तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक - 17 - "खंड सूचना" की अपेक्षाओं के अनुरूप है.

ख) गौण (भौगोलिक खंड)

- i) देशी परिचालन - भारत में परिचालित शाखाएँ/कार्यालय
- ii) विदेशी परिचालन - भारत से बाहर परिचालित शाखाएँ/ कार्यालय तथा भारत में परिचालित समुद्रपारीय बैंकिंग इकाइयाँ

ग) अंतर-खंडीय अंतरणों का मूल्य-निर्धारण

खुदरा बैंकिंग संसाधन-संग्रहण की प्राथमिक इकाई है. राजकोषीय एवं कारपोरेट/थोक बैंकिंग खंड खुदरा बैंकिंग खंड से निधियाँ प्राप्त करता है, बाजार से सम्बद्ध निधि अंतरण मूल्य-निर्धारण (एमआरएफटीपी) 01 अप्रैल 2006 से शुरू किया गया है, जिसके अधीन निधीकरण केन्द्र (फंडिंग सेंटर) नामक एक पृथक् इकाई तैयार की गई है. निधीकरण केन्द्र (फंडिंग सेंटर) उन निधियों को आनुमानिक रूप से खरीदता है, जो व्यवसाय इकाइयों में जमागणियों या उधारगणियों के रूप में उद्भूत होती हैं और आस्ति तैयार करने में लगी व्यवसाय इकाइयों को इन निधियों का आनुमानिक विक्रय करता है.

घ) व्यय, आस्तियों और देयताओं का आबंटन

कारपोरेट केन्द्र की संस्थापनाओं में किए गए व्यय जो सीधे कारपोरेट/थोक बैंकिंग एवं खुदरा बैंकिंग परिचालनों अथवा राजकोषीय परिचालन खंड से संबंधित हैं, तदनुसार आबंटित किए गए हैं. सीधे संबंध न रखने वाले व्यय प्रत्येक खंड के कर्मचारियों की संख्या/सीधे संबंध रखने वाले व्यय के अनुपात के आधार पर आबंटित किए गए हैं.

बैंक के पास ऐसी सामान्य आस्तियाँ और देयताएँ हैं जिन्हें किसी खंड के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है अतः इन्हें अनाबंटित श्रेणी में रखा गया है.

Details of Provisions made for various long Term Employees' Benefits during the year;

Sr. No.	Long Term Employees' Benefits	Amount
1	Privilege Leave (Encashment) incl. leave encashment at the time of retirement	88.00
2	Leave Travel and Home Travel Concession (Encashment/Availment)	25.12
3	Sick Leave	18.40
4	Silver Jubilee Award	1.22
5	Resettlement Expenses on Superannuation	3.73
6	Casual Leave	(2.02)
7	Retirement Award	(1.05)
	Total	133.40

d) **Segment Reporting: As compiled by the Management and relied upon by the auditors**

1. Segment identification

A) Primary (Business Segment)

In compliance with the then prevailing RBI directions, the Bank had hitherto been classifying (i) Banking Operations and (ii) Treasury Operations as the primary segments. The RBI vide their circular no. BP.BC.81/21.04.018/2006-07 dated 18th April 2007, has modified its directions, requiring the Banks to identify / reclassify the following segments as primary segments:

- Treasury
- Corporate / Wholesale Banking
- Retail Banking
- Other Banking Business

The present accounting and information system of the Bank does not support the capturing and extraction of the data in respect of the above segments separately. However, based on the present internal organisational and management reporting structure and the nature of their risk and returns, the existing primary segments have been regrouped as under:

a) **Treasury** - The Treasury Segment includes the entire investment portfolio and trading in foreign exchange contracts and derivative contracts. The revenue of the treasury segment primarily consists of fees and gains or losses from trading operations and interest income on the investment portfolio.

b) **Corporate / Wholesale Banking** - The Corporate / Wholesale Banking segment comprises the lending activities of Corporate Accounts Group, Mid Corporate Accounts Group and Stressed Assets Management Group. These include providing loans and transaction services to corporate and institutional clients and further include non treasury operations of foreign offices.

c) **Retail Banking** - The Retail Banking Segment comprises of branches in National Banking Group, which primarily includes personal Banking activities including lending activities to corporate customers having Banking relations with branches in the National Banking Group. This segment also includes agency business and ATM's

d) **Other Banking Business** - Segments not classified under (a) to (c) above are classified under this primary segment.

The Management is of the opinion that the above reclassification meets the requirements of the revised RBI guidelines and also is in compliance with the requirements of the Accounting Standard-17 - "Segment Reporting" issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

B) Secondary (Geographical Segment)

- i) Domestic Operations - Branches/Offices having operations in India
- ii) Foreign Operations - Branches/Offices having operations outside India and Offshore Banking Units having operations in India

C) Pricing of Inter-segmental transfers

The Retail Banking segment is the primary resource mobilising unit. The Corporate/Wholesale Banking and Treasury segments are recipient of funds from Retail Banking. Market related Funds Transfer Pricing (MRFTP) is followed under which a separate unit called Funding Centre has been created. The Funding Centre notionally buys funds that the business units raise in the form of deposits or borrowings and notionally sell funds to business units engaged in creating assets.

D) Allocation of Expenses, Assets and Liabilities

Expenses incurred at Corporate Centre establishments directly attributable either to Corporate/Wholesale and Retail Banking Operations or to Treasury Operations segment, are allocated accordingly. Expenses not directly attributable are allocated on the basis of the ratio of number of employees in each segment/ ratio of directly attributable expenses.

The Bank has certain common assets and liabilities which cannot be attributed to any segment and the same are treated as unallocated.





2) खंड परिणाम / Segment Results

भाग क : प्राथमिक (व्यवसाय खंड)

Part A : Primary (Business segments)

व्यवसाय खंड Business Segments	राजकोष Treasury	कार्पोरेट/शोक बैंकिंग Corporate/Wholesale Banking	खुदरा बैंकिंग Retail Banking	अन्य बैंकिंग परिचालन Other Banking Operations	योग Total
गजस्व Revenue #	13982.33	15662.77	27654.45	—	57299.55
परिणाम Result #	1230.76	4961.26	5617.52	—	11809.54
अनाबंटित व्यय Unallocated Income / (Expenses) - net #	—	—	—	—	(1370.64)
परिचालन लाभ Operating Profit #	—	—	—	—	10438.90
कर Tax #	—	—	—	—	(3709.78)
असाधारण लाभ Extraordinary Profit #	—	—	—	—	—
निवल लाभ Net Profit #	—	—	—	—	6729.12
अन्य सूचना : Other Information :					
खंड आस्तियाँ Segment Assets *	192471.76	430917.27	93369.89	—	716758.92
अनाबंटित आस्तियाँ Unallocated Assets *	—	—	—	—	4767.39
कुल आस्तियाँ Total Assets *	192471.76	430917.27	93369.89	—	721526.31
खंड देयताएँ Segment Liabilities *	179609.11	211301.94	307151.05	—	698062.10
अनाबंटित देयताएँ Unallocated Liabilities *	—	—	—	—	23464.21
कुल देयताएँ Total Liabilities *	179609.11	211301.94	307151.05	—	721526.31

भाग ख : द्वितीयक (भौगोलिक खंड)

Part B : Secondary (Geographic Segments)

	देशी Domestic		विदेशी Foreign		योग Total	
	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछला वर्ष Previous Year
गजस्व Revenue #	51493.43	40198.44	6151.81	3809.15	57645.24	44007.59
आस्तियाँ Assets *	632865.94	513812.16	88660.37	52753.08	721526.31	566565.24

* 31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार
As at 31st March 2008

31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए
For the year ended 31st March 2008

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या BP.BC.81/21.04.018/2006-07 दिनांक 18.04.2007 के अनुसार फॉरमेट में परिवर्तन किये जाने के कारण पिछले वर्ष के आंकड़े नहीं दिये गये हैं।
In view of the revision in the format, previous years figures have not been disclosed in view of RBI circular no. BP.BC.81/21.04.018/2006-07 dt. 18.04.2007.





ड संबंधित पक्ष प्रकटीकरण : (जैसा कि प्रबंधन द्वारा इनका अभिनिर्धारण किया गया है और लेखापरीक्षकों ने इन्हें स्वीकार किया है.)

1. संबंधित पक्ष

क. अनुषंगियाँ

I. देशी बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. स्टेट बैंक ऑफ बिकानेर एंड जयपुर
2. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
3. स्टेट बैंक ऑफ इंदौर
4. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
5. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
6. स्टेट बैंक ऑफ सांगर
7. स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर
8. एसबीआई कॉमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि

II. विदेशी बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआई इंटरनेशनल (मॉरीशस) लि.
2. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कनाडा)
3. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)
4. इंडियन ओशन इंटरनेशनल बैंक लि.
5. कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया एतएलसी, मास्को (##)
6. पीटी बैंक इंडो मोनेक्स

III. देशी गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआई फेक्टर्स एंड कॉमर्शियल सर्विसेज प्रा. लि.
2. एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
3. एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड
4. एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्रा. लि.
5. एसबीआई कैप सिव्यूरिटीज लि.
6. एसबीआई कैम्प वेंचर्स लि.
7. एसबीआई कैप ट्रस्टीज कं. लि.
8. एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स सर्विसेज प्रा. लि. (##)
9. एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्रा. लि. (##)
10. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. (##)
11. ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस लि.

IV. विदेशी गैर-बैंकिंग अनुषंगियाँ

1. एसबीआई कैप (यूके) लि.
 2. एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट (इंटरनेशनल) लि. (##)
- ## ये कंपनियाँ संयुक्त रूप से नियंत्रित हैं.

ख. संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियाँ

1. जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि.
2. सी-एज टेकनोलॉजीज लि.

ग. सहयोगी

i. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
2. अरुणाचल प्रदेश रुरल बैंक
3. कावेरी कल्पतरु ग्रामीण बैंक
4. छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक
5. डेक्कन ग्रामीण बैंक
6. इलाहाबाद देहाती बैंक
7. मेघालय रुरल बैंक (पूर्व का बैंक नानकिनडांग री खासी जैनटिया)
8. कृष्णा ग्रामीण बैंक
9. लंगपी देहांगी रुरल बैंक
10. मध्य भारत ग्रामीण बैंक
11. मालवा ग्रामीण बैंक
12. मारवाड़ गंगानगर बिकानेर बैंक
13. मिजोरम रुरल बैंक
14. नागालैंड रुरल बैंक
15. पर्वतीय ग्रामीण बैंक
16. पूर्वांचल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
17. समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
18. सांगर ग्रामीण बैंक
19. उत्कल ग्राम्य बैंक
20. उत्तरांचल ग्रामीण बैंक
21. वनांचल ग्रामीण बैंक
22. विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

ii. अन्य

1. एसबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड
2. क्लियरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
3. नेपाल एसबीआई बैंक लि.
4. बैंक ऑफ भूटान

e) Related Party Disclosures : As identified by the Management and relied upon by the Auditors.

1. Related Parties

A. SUBSIDIARIES

I. DOMESTIC BANKING SUBSIDIARIES

1. State Bank of Bikaner & Jaipur
2. State Bank of Hyderabad
3. State Bank of Indore
4. State Bank of Mysore
5. State Bank of Patiala
6. State Bank of Saurashtra
7. State Bank of Travancore
8. SBI Commercial and International Bank Ltd.

II. FOREIGN BANKING SUBSIDIARIES

1. SBI International (Mauritius) Ltd.
2. State Bank of India (Canada)
3. State Bank of India (California)
4. Indian Ocean International Bank Ltd.
5. Commercial Bank of India LLC, Moscow (##)
6. PT Bank Indo Monex

III. DOMESTIC NON-BANKING SUBSIDIARIES

1. SBI Factors & Commercial Services Pvt. Ltd.
2. SBI Capital Markets Limited
3. SBI DFHI Limited
4. SBI Mutual Funds Trustee Company Pvt. Ltd.
5. SBI CAP Securities Ltd.
6. SBI CAPS Ventures Ltd.
7. SBI CAP Trustees Co. Ltd.
8. SBI Cards & Payment Services Pvt. Ltd.(##)
9. SBI Funds Management Pvt. Ltd. (##)
10. SBI Life Insurance Company Ltd. (##)
11. Global Trade Finance Ltd.

IV. FOREIGN NON-BANKING SUBSIDIARIES

1. SBI CAP (UK) Ltd.
 2. SBI Funds Management (International) Ltd.(##)
- ## These entities are jointly controlled.

B. JOINTLY CONTROLLED ENTITIES

1. GE Capital Business Process Management Services Pvt. Ltd
2. C-Edge Technologies Ltd.

C. ASSOCIATES

i. Regional Rural Banks

1. Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank
2. Arunachal Pradesh Rural Bank
3. Cauvery Kalpatharu Grameena Bank
4. Chhattisgarh Gramin Bank
5. Deccan Grameena Bank
6. Ellaquai Dehati Bank
7. Meghalaya Rural Bank (Formerly known as Ka Bank Nongkyndong Ri Khasi Jaintia)
8. Krishna Grameena Bank
9. Langpi Dehangri Rural Bank
10. Madhya Bharat Gramin Bank
11. Malwa Gramin Bank
12. Marwar Ganganagar Bikaner Bank
13. Mizoram Rural Bank
14. Nagaland Rural Bank
15. Parvatiya Gramin Bank
16. Purvanchal Kshetriya Gramin Bank
17. Samastipur Kshetriya Gramin Bank
18. Saurashtra Gramin Bank
19. Utkal Gramya Bank
20. Uttaranchal Gramin Bank
21. Vananchal Gramin Bank
22. Vidisha Bhopal Kshetriya Gramin Bank

ii. Others

1. SBI Home Finance Limited
2. Clearing Corporation of India Ltd.
3. Nepal SBI Bank Ltd.
4. Bank of Bhutan





5. यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्रा. लि.
6. एस. एस. वेंचर्स सर्विसेज लि.

घ. बैंक के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

1. श्री ओ.पी. भट्ट, अध्यक्ष
2. श्री टी. एस. भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक 31 जनवरी 2008 तक
3. श्री योगेश अग्रवाल, प्रबंध निदेशक 30 जून 2007 तक
4. श्री एस. के. भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक 8 अक्टूबर 2007 से

2 वर्ष के दौरान जिन पक्षों से लेन-देन किए गए

लेखा मानक (एस) 18 के अनुच्छेद 9 के अनुसार "सरकार - नियंत्रित उद्यम" रूप में संबंधित पक्ष के संबंध में कोई प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है. पुनः लेखा मानक 18 के अनुच्छेद 5 के अनुसार प्रमुख प्रबंधन कार्मिक तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के संबंधियों के बारे में बैंकर-ग्राहक संबंध की प्रकृति वाले लेन-देनों का प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है. अन्य विवरण निम्नानुसार हैं. :

1. सी-एज टेकनोलॉजीज लि.
2. जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा.लि.
3. बैंक ऑफ भूटान
4. नेपाल एसबीआई बैंक लि.
5. एसबीआई होम फाईनेंस लि.
6. एस एस व्हेंचर्स सर्विसेज लि.
7. श्री ओ.पी.भट्ट,
8. श्री टी.एस. भट्टाचार्य (31.01.2008 तक)
9. श्री योगेश अग्रवाल, (30.06.2007 तक)
10. श्री एस.के. भट्टाचार्य, प्रबंध निदेशक (08.10.2007 से)

3. लेनदेन और शेष राशियाँ

3. Transactions and Balances :

विवरण Particulars	सहयोगी/ संयुक्त उद्यम Associates/ Joint Ventures	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक Key Management Personnel	योग Total
जमा-राशियाँ / Deposits #	62.56 (295.37)	- (0.00)	62.56 (295.37)
अन्य देयताएँ Other Liabilities #	0.01 (1.76)	- (0.00)	0.01 (10.76)
विनिधान Investments #	35.45 (35.45)	- (0.00)	35.45 (35.45)
संदत्त व्याज / Interest paid *	3.16 (6.59)	- (0.00)	3.16 (6.59)
लाभांश के रूप में अर्जित आय Income earned by way of dividend*	2.94 (0.50)	- (0.00)	2.94 (0.50)
अन्य आय Other Income*	0.01 (0.00)	- (0.00)	0.01 (0.00)
अन्य व्यय / Other expenditure*	- (1.66)	- (0.00)	- (1.66)
प्रबंधन संविदाएँ Management contracts *	- (0.65)	0.54 (0.15)	0.54 (0.80)

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार

* 31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए

(Figures in brackets are for Previous Year)

As at 31st March 2008

* For the year ended on 31st March 2008





च) **पट्टे:**

1 अप्रैल 2001 को या उसके पश्चात् वित्तीय पट्टों पर दी गई आस्तियाँ : इन वित्तीय पट्टों का ब्योग नीचे दिया गया है

विवरण	31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार
पट्टों में किए गए सकल विनिधान	43.29	164.73
प्रायः न्यूनतम पट्टा भुगतानों का वर्तमान मूल्य		
1 वर्ष से कम	8.91	8.91
1 से 5 वर्ष तक	9.67	15.04
5 वर्ष और उससे अधिक	—	—
योग	18.58	23.95
अर्जित न की गई वित्तीय आय का वर्तमान मूल्य	3.76	5.00

बैंक ने लिए गए परिचालित पट्टों और मंजूर किए गए परिचालन पट्टों को समेकित नहीं किया है। तदनुसार, इनके संबंध में कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया है।

छ) **प्रति शेयर उपार्जन**

बैंक ने लेखा मानक 20, "प्रति शेयर उपार्जन" के अनुसार प्रत्येक इक्विटी शेयर पर मूल और कम किए गए आय की सूचना दी है। वर्ष के दौरान, कर के पश्चात् निवल लाभ को बकाया इक्विटी शेयरों की भांति औसत संख्या से अलग करके प्रति शेयर "मूल आय" की गणना की गई है। वर्ष के दौरान कोई भी कम किए गए मूल्य के संभाव्य इक्विटी शेयर बकाया नहीं हैं।

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
मूल और कम किए गए		
मूल प्रति शेयर आय की गणना के लिए प्रयुक्त भांति औसत इक्विटी शेयरों की सं.	53,14,45,447	52,62,98,878
जोड़े : इएसपीएस योजना के कारण जारी किए जाने वाले संभावित इक्विटी शेयरों की संख्या	5,09,911	---
कम किए गए प्रति शेयर आय की गणना के लिए प्रयुक्त भांति औसत शेयरों की संख्या	53,19,55,358	---
निवल लाभ	6729.12	4,541.31
प्रति शेयर मूल आय (₹.)	126.62	86.10
कम की गई प्रति शेयर आय (₹.)	126.50	86.10
प्रति शेयर नाममात्र मूल्य (₹.)	10.00	10.00

ज) **आय पर कर का लेखाकरण**

- वर्ष के दौरान, आस्थगित कर समायोजन के द्वारा लाभ और हानि खाते में ₹ 219.43 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 19.83 करोड़) जमा किया गया।
- वर्ष के दौरान, प्रतिभूतियों के "देय" आधार पर ब्याज के कर-निर्धारण से सम्बद्ध आस्थगित कर देयता में समायोजन द्वारा ₹ 125.53 करोड़ का "अग्रिम खाते में प्रदत्त कर" में प्रत्यावर्तन किया गया, इसके पूर्व यह प्रत्यावर्तन विशेषज्ञों की राय के अनुसार "अग्रिम खाते में प्रदत्त कर" में नामे द्वारा किया गया था।
- वर्ष के दौरान ₹ 181.06 करोड़ (पिछले वर्ष निरंक) को गजस्व और आगक्षितियों के नामे कर समायोजित किया गया। इसे दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ (पेंशन को छोड़कर) के तहत ₹ 532.70 करोड़ के संक्रमणीय दायित्व पर आस्थगित कर दायित्व के माध्यम से समायोजित किया गया।
- बैंक की बकाया निवल आस्थगित कर आस्ति ₹ 42.05 करोड़ है (पिछले वर्ष - आस्थगित कर देयता ₹ 483.68 करोड़ थी), इसे क्रमशः अन्य आस्तियाँ - अन्य और अन्य देयताएँ - अन्य में जोड़ दिया गया है। प्रमुख मदों में आस्थगित कर आस्तियाँ और देयताओं का अलग-अलग विवरण निम्नवत है :

विवरण	31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर आस्तियाँ		
वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	195.44	---
दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	181.06	---
एक्जिट विकल्प के लिए प्रदत्त अनुग्रह राशि	145.44	143.38
अन्य	118.88	97.51
योग	640.82	240.89

f) **Leases:**

Assets given on Financial Leases on or after 1st April 2001: The details of finance leases are given below:

Particulars	As at 31-Mar-2008	As at 31-Mar-2007
Gross investment in the leases	43.29	164.73
Present value of minimum lease payments receivable		
Less than 1 year	8.91	8.91
1 to 5 years	9.67	15.04
5 years and above	—	—
Total	18.58	23.95
Present value of unearned finance income	3.76	5.00

The Bank has not compiled the data on the operating leases taken and operating leases granted. Accordingly, no disclosure for the same is made.

g) **Earning per Share**

The Bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with Accounting Standard 20 - "Earnings per Share". "Basic earnings" per share is computed by dividing net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding during the year.

Particulars	Current Year	Previous Year
Basic and diluted		
Weighted average no of equity shares used in computing basic earning per share	53,14,45,447	52,62,98,878
Add: Potential number of equity shares that could arise on account of ESPS scheme	5,09,911	---
Weighted average number of shares used in computing diluted earning per share	53,19,55,358	---
Net profit	6,729.12	4,541.31
Basic earnings per share (Rs.)	126.62	86.10
Diluted earnings per share (Rs.)	126.50	86.10
Nominal value per share (Rs.)	10.00	10.00

h) **Accounting for Taxes on Income**

- During the year, Rs. 219.43 crore [Previous Year Rs. 19.83 crore] has been credited to Profit and Loss Account by way of adjustment of deferred tax.
- During the year, Rs 125.53 crore was reversed to "tax paid in advance account" by an adjustment to deferred tax liability in respect of taxation of interest on securities on "due" basis, as the same was earlier created by debit to "tax paid in advance account" based on an expert's opinion.
- During the year Rs. 181.06 crore (previous year Nil) has been netted off by debit to Revenue and other Reserve by way of adjustment of deferred tax on Transitional Liability of Rs. 532.70 crore towards long term employee benefits (other than pension)
- The Bank has outstanding net deferred tax asset of Rs. 42.05 crore (Previous Year-Deferred tax liability of Rs. 483.68 crore), which has been included in other assets-others and other liabilities- others respectively. The break up of deferred tax assets and liabilities into major items is given below:

Particulars	As at 31-Mar-2008	As at 31-Mar-2007
Deferred Tax Assets		
Provision for wage revision	195.44	---
Provision for long term employees' benefits	181.06	---
Ex-gratia paid under Exit option	145.44	143.38
Others	118.88	97.51
Total	640.82	240.89





विवरण	31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार
आस्थगित कर देयताएँ		
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास	103.00	103.27
प्रतिभूतियों पर व्याज	495.77	621.30
योग	598.77	724.57
निवल आस्थगित कर आस्तियाँ/(देयताएँ)	42.05	(483.68)

झ. संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में विनिधान

संयुक्त रूप से नियंत्रित निम्नलिखित कंपनियों के विनिधानों में रु.15.70 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष रु.15.70 करोड़) का बैंक का हिस्सा शामिल है :

क्रम सं.	कंपनी का नाम	राशि	मुख्यालय	धारिता
1	जीई कैपिटल बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा.लि.	10.80	भारत	40%
		(10.80)		
2	सी-एज टेक्नोलॉजीज लि.	4.90	भारत	49%
		(4.90)		

(कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)

लेखा मानक 27 की अपेक्षा के अनुसार, संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियों में बैंक के हिस्से से संबंधित आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय की कुल राशि निम्नानुसार प्रकट की गई है:

विवरण	31 मार्च 2008 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार
देयताएँ		
पूँजी और आरक्षितियाँ	63.21	52.13
जमा राशियाँ	—	—
उधार-राशियाँ	0.35	0.21
अन्य देयताएँ एवं प्रावधान	27.05	20.60
योग	90.61	72.94
आस्तियाँ		
भारतीय रिज़र्व बैंक में नकद और जमा राशियाँ	0.01	0.01
बैंकों में जमा राशियाँ और माँग तथा अल्प सूचना पर प्रायः धनराशि	2.04	3.66
विनिधान	2.62	2.47
अग्रिम	—	—
अचल आस्तियाँ	15.03	19.79
अन्य आस्तियाँ	70.91	47.01
योग	90.61	72.94
पूँजी प्रतिबद्धताएँ	निरंक	निरंक
अन्य आकस्मिक देयताएँ	निरंक	निरंक
आय		
अर्जित व्याज	5.69	0.04
अन्य आय	61.63	65.85
योग	67.32	65.89
व्यय		
व्यय किया गया व्याज	—	—
परिचालन व्यय	49.81	38.25
प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय	6.43	10.07
योग	56.24	48.32
लाभ	11.08	17.57

ज) आस्तियों की अपसामान्यता

बैंक प्रबंधन की दृष्टि में, वर्ष के दौरान, आस्तियों की अपसामान्यता का कोई ऐसा मामला नहीं है जिस पर लेखा मानक 28 - "आस्तियों की अपसामान्यता" लागू हो।

Particulars	As at 31-Mar-2008	As at 31-Mar-2007
Deferred Tax Liabilities		
Depreciation on Fixed Assets	103.00	103.27
Interest on securities	495.77	621.30
Total	598.77	724.57
Net Deferred Tax Assets/(Liabilities)	42.05	(483.68)

i) **Investments in jointly controlled entities**

Investments include Rs. 15.70 crore (Previous Year Rs.15.70 crore) representing Bank's interest in the following jointly controlled entities

Sr. No.	Name of the Company	Amount	Country of Residence	Holding %
1	GE Capital Business Process Management Services Pvt. Ltd.	10.80	India	40%
		(10.80)		
2	C - Edge Technologies Ltd.	4.90	India	49%
		(4.90)		

(Figures in brackets relate to previous year)

As required by AS 27, the aggregate amount of the assets, liabilities, income and expenses related to the Bank's interests in jointly controlled entities are disclosed as under:

Particulars	As at 31-Mar-2008	As at 31-Mar-2007
Liabilities		
Capital & Reserves	63.21	52.13
Deposits	—	—
Borrowings	0.35	0.21
Other Liabilities & Provisions	27.05	20.60
Total	90.61	72.94
Assets		
Cash and Balances with RBI	0.01	0.01
Balances with Banks and money at call and short notice	2.04	3.66
Investments	2.62	2.47
Advances	—	—
Fixed Assets	15.03	19.79
Other Assets	70.91	47.01
Total	90.61	72.94
Capital Commitments	Nil	Nil
Other Contingent Liabilities	Nil	Nil
Income		
Interest earned	5.69	0.04
Other income	61.63	65.85
Total	67.32	65.89
Expenditure		
Interest expended	—	—
Operating expenses	49.81	38.25
Provisions & contingencies	6.43	10.07
Total	56.24	48.32
Profit	11.08	17.57

j) **Impairment of Assets**

In the opinion of the Bank's Management, there is no impairment to the assets during the year to which Accounting Standard 28 - "Impairment of Assets" applies.





ट) प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ और आकस्मिक आस्तियाँ

क) प्रावधानों का अलग-अलग विवरण

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कर भुगतान हेतु प्रावधान		
चालू कर	3823.50	3014.61
अनुषंगी लाभ कर	105.00	88.50
आस्थगित कर	(219.43)	(19.83)
अन्य कर	0.70	0.49
विनिधानों पर मूल्यहास के लिए प्रावधान	(88.68)	379.23
अलाभकारी आस्तियों पर प्रावधान	2000.94	1429.50
मानक आस्तियों पर प्रावधान	566.97	589.19
अन्य आस्तियों के लिए प्रावधान	189.43	(23.06)
योग	6378.43	5458.63

ख) अस्थायी प्रावधान

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अथशेष	निरंक	निरंक
वर्ष के दौरान परिवर्धन	निरंक	निरंक
वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी	निरंक	निरंक
इति शेष	निरंक	निरंक

ग) आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों का विवरण

क्रम सं.	विवरण	संक्षिप्त विवरण
1	बैंक के विरुद्ध ऐसे दावे जो ऋण के रूप में अभिस्वीकृत नहीं हैं।	व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में बैंक विभिन्न कार्यवाहियों में एक पक्ष है। बैंक को ऐसी उम्मीद नहीं है कि इन कार्यवाहियों के परिणाम का तात्त्विक प्रतिकूल प्रभाव बैंक की वित्तीय स्थितियों, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर पड़ेगा।
2	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयताएँ	बैंक अपने निजी खाते और ग्राहकों की अंतर-बैंक सहभागिता से विदेशी विनिमय संविदा, मुद्रा विकल्प, वायदा दर करार, मुद्रा विनिमय तथा ब्याज दर विनिमय करता है। वायदा विनिमय संविदाओं की प्रतिबद्धता विदेशी मुद्रा को भविष्य में संविदागत दर पर खरीदने या बेचने के लिए है। मुद्रा विनिमयों की प्रतिबद्धताएँ पूर्व निर्धारित दरों के आधार पर एक मुद्रा के विपरीत दूसरी मुद्रा की ब्याज / मूल राशि के रूप में विनिमय नकदी प्रवाह के लिए हैं। ब्याज दर विनिमय की प्रतिबद्धताएँ अचल विनिमय एवं अस्थायी ब्याज दर नकदी प्रवाह के लिए हैं। आनुमानिक राशियाँ, जिन्हें आकस्मिक देयताओं के रूप में दर्ज किया गया है, संविदाओं के ब्याज अंश के परिकलन हेतु न्यूनतम मापदंड के रूप में प्रयुक्त विशिष्ट राशियाँ हैं।
3	ग्राहकों, बिलों एवं हुंडियों, परांकनों तथा अन्य दायित्वों की ओर से दी गई गारंटियाँ	अपनी वाणिज्यिक बैंकिंग कार्यवाहियों के एक भाग के रूप में बैंक अपने ग्राहकों की ओर से प्रलेखी ऋण और गारंटी प्रदान करता है। प्रलेखी ऋण से बैंक के ग्राहकों की ऋण अवस्थिति बढ़ती है। गारंटियाँ सामान्यतः बैंक की ओर से अटल आश्वासन होती हैं कि यदि ग्राहक अपने वित्तीय या निष्पादन दायित्वों को पूर्ण करने में असफल होता है तो बैंक ऐसी स्थिति में उनका भुगतान करेगा।
4	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है।	बैंक विभिन्न कर निर्धारण मामलों, जिनसे सम्बद्ध अपीलें विचाराधीन हैं, का एक पक्ष है। बैंक की ओर से इन पर प्रतिवाद किया जा रहा है और इनके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। पुनः बैंक ने व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में शेरयों का अभिदान करने की प्रतिबद्धता की है।

क) Provisions, Contingent Liabilities & Contingent Assets

a) Break-up of Provisions

Particulars	Current Year	Previous Year
Provision for Taxation		
Current Tax	3823.50	3014.61
Fringe Benefit Tax	105.00	88.50
Deferred Tax	(219.43)	(19.83)
Other Tax	0.70	0.49
Provision for Depreciation on Investments	(88.68)	379.23
Provision on Non-Performing Assets	2000.94	1429.50
Provision on Standard Assets	566.97	589.19
Provision for Other Assets	189.43	(23.06)
Total	6378.43	5458.63

b) Floating Provisions

Particulars	Current Year	Previous Year
Opening Balance	Nil	Nil
Addition during the year	Nil	Nil
Draw down during the year	Nil	Nil
Closing Balance	Nil	Nil

c) Description of Contingent Liabilities and Contingent Assets

Sr. No.	Particulars	Brief Description
1	Claims against the Bank not acknowledged as debts	The Bank is a party to various proceedings in the normal course of business. The Bank does not expect the outcome of these proceedings to have a material adverse effect on the Bank's financial conditions, results of operations or cash flows.
2	Liability on account of outstanding forward exchange contracts	The Bank enters into foreign exchange contracts, currency options, forward rate agreements, currency swaps and interest rate swaps with inter-Bank participants on its own account and for customers. Forward exchange contracts are commitments to buy or sell foreign currency at a future date at the contracted rate. Currency swaps are commitments to exchange cash flows by way of interest/principal in one currency against another, based on predetermined rates. Interest rate swaps are commitments to exchange fixed and floating interest rate cash flows. The notional amounts that are recorded as contingent liabilities, are typically amounts used as a benchmark for the calculation of the interest component of the contracts.
3	Guarantees given on behalf of constituents, acceptances, endorsements and other obligations	As a part of its commercial Banking activities, the Bank issues documentary credits and guarantees on behalf of its customers. Documentary credits enhance the credit standing of the customers of the Bank. Guarantees generally represent irrevocable assurances that the Bank will make payment in the event of the customer failing to fulfil its financial or performance obligations.
4	Other items for which the Bank is contingently liable.	The Bank is a party to various taxation matters in respect of which appeals are pending. These are being contested by the Bank and not provided for. Further, the Bank has made commitments to subscribe to shares in the normal course of business.





घ) ऊपर उल्लिखित आकस्मिक देयताएँ यथास्थिति, न्यायालय/पंचाट/ न्यायालय के बाहर समझौता, अपीलों के निपटान, राशि के माँगे जाने, संविदागत बाध्याता, संबंधित पक्षों द्वारा माँग प्रस्ताव के अंतरण और उसे उद्भूत करने के दायित्व पर आधारित हैं।

ड) आकस्मिक देयताओं के लिए किए गए प्रावधानों का उतार-चढ़ाव

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
अवशेष	71.90	63.38
वर्ष के दौरान परिवर्धन	19.90	12.76
वर्ष के दौरान कमी	14.36	4.24
इति शेष	77.44	71.90

18.10 विचाराधीन वेतन करार

सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ द्वारा ऑल इंडिया यूनियन्स ऑफ वर्कमैन के साथ किया गया आठवाँ द्विपक्षीय समझौता 31 अक्टूबर 2007 को कालातीत हो गया. नए समझौते के विचाराधीन कार्यान्वयन की पृष्ठभूमि में, लेखे में रु. 575 करोड़ का प्रावधान किया गया है - जो दिनांक 1 नवम्बर 2007 से प्रभावी होने वाले वेतन - संशोधन के कारण बैंक की अनुमानित देयता से संबंधित है.

18.11 प्रस्तावित विलय

दिनांक 25 अगस्त 2007 को हुई केंद्रीय बोर्ड की बैठक द्वारा समायोजन - योजना के अनुमोदन के पश्चात्, बैंक द्वारा पूर्णतः धारित सहायक बैंक - “बैंक ऑफ सागर” का बैंक में विलय होना है. प्रासंगिक योजना का अनुमोदन, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा किया जाना बाकी है. इन अनुमोदनों के विचाराधीन होने के कारण, उक्त योजना को इन लेखों में कोई स्थान नहीं दिया गया है.

18.12 एक्जिट विकल्प

बैंक ने अपने कर्मचारियों की पात्रता के अनुरूप एक्जिट विकल्प योजना कार्यान्वित की. वर्ष के दौरान, एक्जिट विकल्प के अधीन कुल 140.00 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 478.30 करोड़ रुपये) की अनुग्रह अदायगी को लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया गया है.

18.13 अंतर कार्यालय खाता /सरकारी खाता/उचंती खाता

शाखाओं, नियंत्रक कार्यालयों और कारपोरेट केंद्र के प्रतिष्ठानों के बीच लेन-देन का समायोजन 31 दिसम्बर 2007 तक की अवधि के लिए किया गया है. बकाया प्रविष्टियों के समायोजन / समाप्ति के लिए कदम उठाए जा रहे हैं. इसके अतिरिक्त, विदेशी मुद्रा, स्वर्ण, मुद्रा - लेन-देनों और सरकारी लेन-देनों के समायोजन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं. इन प्रयासों का यदि बैंक के वित्तीय विवरण पर कोई प्रभाव पड़ा है तो उसे ज्ञात नहीं किया जा सका है.

18.14 पेंशन निधि में अतिरिक्त अंशदान

भारत सरकार, बैंक की पेंशन निधि नियमावली में यह उल्लिखित है कि बैंक वेतन का 10% पेंशन निधि में अंशदान करेगा. भारत सरकार ने सुझाव दिया है कि बैंक निधि की नियमावली के अनुसार निधि में अंशदान करे. फिर भी, लेखा मानक 15 (संशोधित 2005) के अनुरूप और बीमाकिक मूल्यों के अनुसार पर्याप्त विवेकपूर्ण प्रावधान करने के लिए बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान पेंशन निधि में रु. 546 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 864 करोड़) का अतिरिक्त अंशदान किया।

18.15 पिछले वर्ष के आंकड़ों का चालू वर्ष के आंकड़ों से मिलान करने की दृष्टि से उन्हें यथावश्यक और यथानिर्धारणवश, पुनर्समूहित एवं पुनर्वर्गीकृत कर दिया गया है. जिन मामलों में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों / लेखा मानकों के अनुसार प्रकटीकरण पहली बार किया गया है उनके विगत वर्ष के आंकड़े नहीं दिए गए हैं.

d) The contingent liabilities mentioned above are dependent upon the outcome of Court/ arbitration/out of Court settlements, disposal of appeals, the amount being called up, terms of contractual obligations, devolvement and raising of demand by concerned parties, as the case may be.

e) Movement of provisions against contingent liabilities

Particulars	Current Year	Previous Year
Opening balance	71.90	63.38
Additions during the year	19.90	12.76
Reductions during the year	14.36	4.24
Closing balance	77.44	71.90

18.10 Pending Wage Agreement

The Eighth Bipartite Settlement entered into by the Indian Banks' Association on behalf of the member Banks with the All India Unions of Workmen expired on 31st October 2007. Pending the execution of a new agreement a provision of Rs. 575 crore has been made in the accounts for the Bank's estimated liability in respect of wage revision to be effective from 1st November 2007.

18.11 Proposed Merger

Pursuant to a Scheme of Amalgamation approved by the Central Board at its meeting held on 25th August 2007, State Bank of Saurashtra, a wholly owned subsidiary of the Bank is to be merged with the Bank. The relevant scheme is yet to be approved by the Government of India, RBI and other authorities. Pending such approvals no effect has been given to the said scheme in these Accounts.

18.12 Exit Option

The Bank had implemented an Exit Option Scheme for its eligible employees. The ex-gratia payments under exit option aggregating to Rs. 140.00 crore (previous year Rs. 478.30 crore) have been charged to the Profit & Loss Account during the year.

18.13 Inter Office Accounts / Government Accounts/ Suspense Accounts

Inter Office transactions between branches, controlling offices and local head offices and corporate centre establishment have been reconciled upto 31st December 2007. Further, pipeline transitions in respect of foreign exchange, gold, currency transactions and Government transactions are under reconciliation. Steps for adjustment / elimination of outstanding entries are in progress. These balances are subject to reconciliation, the ultimate effect of which is not expected to be material.

18.14 Additional Contribution to Pension Fund

The Bank's Pension fund rules state that the bank shall contribute 10% of salary to the Pension Fund. The Government of India, have advised the Bank to contribute to the Pension Fund in accordance to the funds rules. However, in order to comply with the Accounting Standard 15 (Revised 2005), and to make adequate prudential provisions in accordance with the actuarial valuations, the Bank has made an additional contribution of Rs.546 crore (previous year Rs.864 crore) to the Pension Fund during the financial year.

18.15 Previous year's figures have been regrouped and reclassified, wherever necessary and determinable, to make them comparable with current year's figures. In cases where disclosures have been made for the first time in terms of RBI guidelines / Accounting Standards, previous year's figures have not been mentioned.



**भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA****31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण****CASH FLOW STATEMENT FOR THE PERIOD ENDED 31ST MARCH 2008**(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2008 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2008 (चालू वर्ष current year)	31.3.2007 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2007 (पिछला वर्ष previous year)
क परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES	(8,568,654)	(17,640,724)
ख विनिधान कार्यकलापों से नकदी प्रवाह B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES	(27,980,117)	(2,965,555)
ग वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	193,711,165	94,941,131
नकदी एवं नकदी समतुल्यों में निवल परिवर्तन NET CHANGE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS	157,162,394	74,334,852
घ वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य D. CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR	519,686,900	445,600,011
ङ विदेशी विनिमय दर में परिवर्तनों का प्रभाव E. EFFECT OF FOREIGN EXCHANGE RATE CHANGES	(2,185,944)	(247,963)
च वर्ष की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी समतुल्य F. CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR	674,663,350	519,686,900
क परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES		
कर पूर्व निवल लाभ / Net Profit before Taxes	104,389,003	76,250,791
समायोजन / Adjustment for :		
मूल्यह्रास शुल्क / Depreciation charges	6,799,791	6,023,923
पट्टाकृत आस्तियों सहित अचल आस्तियों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of fixed assets including leased assets	(110,409)	(74,720)
विनिधानों के विक्रय पर लाभ / Profit on sale of investments	(16,498,391)	(5,677,812)
विनिधानों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि / Loss on revaluation of investments	7,035,007	6,407,190
अलाभकारी आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for NPAs	20,009,363	14,295,031
मानक आस्तियों पर प्रावधान / Provision on Standard Assets	5,669,669	5,891,898
विनिधानों पर मूल्यह्रास / Depreciation on Investments	(886,815)	3,877,142
अन्य आस्तियों पर प्रावधान (अन्य प्रावधान सहित) Provision on other assets (including Other Provision)	2,244,563	(230,556)
अनुषंगियों / संयुक्त उद्यमों / क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर प्रावधान / Provision on Subsidiary/JVs/ RRBs	(350,260)	(84,943)
अनुषंगियों से प्राप्त लाभांश (विनिधान कार्यकलाप) Dividends from Subsidiaries (Investing Activities)	(1,974,055)	(5,981,203)
एसबीआई बांडों पर संदत्त ब्याज (वित्तपोषण कार्यकलाप) Interest paid on SBI Bonds (Financing Activity)	17,114,085	8,474,287
	143,441,551	109,171,028
घटाएँ : प्रत्यक्ष कर / Less: Direct Taxes	(42,355,383)	(42,821,253)
उप योग / SUB TOTAL	101,086,168	66,349,775





(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2008 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2008 (चालू वर्ष current year)	31.3.2007 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2007 (पिछला वर्ष previous year)
समायोजन / Adjustment for		
जमाराशियों में वृद्धि/(कमी) / Increase/(Decrease) in Deposits	1,018,828,515	554,750,341
उधार - राशियों में वृद्धि/(कमी) / Increase/(Decrease) in Borrowings	120,240,761	90,620,909
विनिधानों में (वृद्धि)/कमी / (Increase)/Decrease in Investments	(374,636,388)	84,874,735
अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी / (Increase)/Decrease in Advances	(814,326,390)	(769,650,607)
अन्य देयताओं और प्रावधानों में वृद्धि/(कमी) Increase/(Decrease) in Other Liabilities & Provisions	130,153,951	(32,521,510)
अन्य आस्तियों में (वृद्धि)/कमी / (Increase)/Decrease in Other Assets	(189,915,271)	(12,064,367)
परिचालन कार्यकलापों द्वारा प्रदत्त निवल नकदी NET CASH PROVIDED BY OPERATING ACTIVITIES	(8,568,654)	(17,640,724)
ख विनिधान कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES		
अनुषंगियों / संयुक्त-उद्यमों में विनिधान (वृद्धि) / कमी (Increase) / Decrease in Investments in Sub/ JVs	(17,718,648)	(2,338,227)
ऐसे विनिधानों पर अर्जित आय Income earned on such Investments	1,974,055	5,981,203
अचल आस्तियों में (वृद्धि)/कमी (Increase) / Decrease in Fixed Assets	(12,235,524)	(6,608,531)
विनिधान कार्यकलापों में से निवल नकदी NET CASH FROM IN INVESTING ACTIVITIES	(27,980,117)	(2,965,555)
ग वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
शेयर पूंजी / Share Capital	1,051,715	—
शेयर प्रीमियम / Share Premium	165,883,942	—
गौण ऋणो का निर्गम / Issue of Subordinated Debts	60,235,000	17,388,000
गौण बांड निर्गम Issue of Subordinated Bonds	9,027,000	94,429,000
गौण बांड मोचन Redemption of Subordinated Bonds	(16,752,000)	—
बांडों पर संदत्त ब्याज / Interest Paid on Bonds	(17,114,085)	(8,474,287)
संदत्त लाभांश कर सहित Dividends paid including tax thereon	(8,620,407)	(8,401,582)
वित्तपोषण कार्यकलापों द्वारा प्रदत्त निवल नकदी NET CASH PROVIDED BY FINANCING ACTIVITIES	193,711,165	94,941,131





(000 को छोड़ दिया गया है)
(000s omitted)

	31.3.2008 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2008 (चालू वर्ष current year)	31.3.2007 को समाप्त वर्ष Year ended 31.3.2007 (पिछला वर्ष previous year)
घ वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्य		
D. CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
हाथ नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा स्वर्ण सम्मिलित हैं) Cash in hand (including foreign currency notes and gold)	25,301,193	20,802,305
भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ Balances with Reserve Bank of India	265,463,057	195,724,734
बैंकों में जमाराशियाँ तथा माँग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	228,922,650	229,072,972
योग / Total	519,686,900	445,600,011
ङ विनिमय उतार-चढ़ाव - नकदी प्रवाह		
E. EXCHANGE FLUCTUATION CASH FLOWS		
गौण बांड पुनर्मूल्यन Revaluation of Subordinated Bonds	(1,291,723)	—
विदेशी मुद्रा विनिमय आरक्षिति Foreign Currency Translation Reserve	(894,221)	(247,963)
योग / Total	(2,185,944)	(247,963)
च वर्ष की समाप्ति पर नकदी एवं नकदी समतुल्य		
F. CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR		
हाथ नकदी (इसमें विदेशी करेंसी नोट तथा स्वर्ण सम्मिलित हैं) Cash in hand (including foreign currency notes and gold)	32,203,111	25,301,193
भारतीय रिज़र्व बैंक में जमाराशियाँ Balances with Reserve Bank of India	483,143,047	265,463,057
बैंकों में जमाराशियाँ तथा माँग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	159,317,192	228,922,650
योग / Total	674,663,350	519,686,900

हस्ताक्षरकर्ता:

अनंत सी. कलिता
अरुण रामनाथन
डॉ. देवा नंद बलोधी
डॉ. (श्रीमती) वसंता भरुचा
प्रो. मो.सलाहुद्दीन अंसारी
श्री सुमन कुमार बेरी
श्रीमती श्यामला गोपीनाथ

निदेशक

एस. के. भट्टाचार्य
प्रबंध निदेशक और मुख्य ऋण
एवं जोखिम अधिकारी

ओम प्रकाश भट्ट
अध्यक्ष

SIGNED BY:

Ananta C. Kalita
Arun Ramanathan
Dr. Deva Nand Balodhi
Dr. (Mrs.) Vasantha Bharucha
Prof. Md. Salahuddin Ansari
Suman Kumar Bery
Smt. Shyamala Gopinath

S.K. Bhattacharyya
Managing Director
and Chief Credit & Risk Officer

Directors

O. P. Bhatt
Chairman

कोलकाता
2 मई, 2008

Kolkata
2nd May, 2008





लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,

भारत के राष्ट्रपति,

1. भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 41(1) के अंतर्गत नियुक्त हम, भारतीय स्टेट बैंक के अग्रोहस्ताक्षरी लेखापरीक्षक बैंक के तुलनपत्र, लाभ और हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरण के बारे में केंद्र सरकार को एतद्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।
2. हमने भारतीय स्टेट बैंक के 31 मार्च 2008 के संलग्न तुलनपत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि खाते तथा नकदी प्रवाह विवरण की लेखापरीक्षा की है। उक्त वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित के लेखे शामिल हैं:
 - i) केन्द्रीय कार्यालय, चौदह स्थानीय प्रधान कार्यालय, कारपोरेट लेखा समूह (केन्द्रीय), मध्य-कारपोरेट समूह (केन्द्रीय), तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन समूह (केन्द्रीय), और बयालीस शाखाएँ जिनकी लेखापरीक्षा हमने की है;
 - ii) 8171 भारतीय शाखाएँ जिनकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों ने की;
 - iii) विदेश स्थित 35 शाखाएँ, जिनकी लेखापरीक्षा स्थानीय लेखापरीक्षकों ने की; तथा
 - iv) 2306 अन्य भारतीय शाखाएँ जिनकी अलेखापरीक्षित विवरणियाँ शाखा प्रबंधकों द्वारा प्रमाणित की गई हैं। इन अलेखापरीक्षित शाखाओं का हिस्सा अग्रिमों में 0.81%, जमा राशियों में 2.16%, ब्याज आय में 0.53% तथा ब्याज व्यय में 1.35% है।

ये वित्तीय विवरण बैंक-प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी अपने लेखापरीक्षा-कार्य के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अभिमत प्रस्तुत करना है।

3. हमने अपना लेखापरीक्षा-कार्य भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी लेखापरीक्षा की योजना इस प्रकार बनाएं और निष्पादित करें, ताकि हम समुचित रूप से इस बारे में आश्वस्त हो जाएं कि वित्तीय विवरणों में विषयवस्तु सम्बन्धी कोई गलत विवरण नहीं दिए गए हैं। लेखापरीक्षा के अंतर्गत वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत राशियों और प्रकटीकरणों के समर्थन में दिए गए साक्ष्य की परीक्षण आधार पर जांच की जाती है। लेखापरीक्षा के अंतर्गत प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त लेखा-सिद्धांतों तथा प्रमुख आकलनों का निर्धारण तथा समग्र वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी किया जाता है। हमें विश्वास है

REPORT OF THE AUDITORS

To

The President of India,

1. We, the undersigned Auditors of State Bank of India, appointed under Section 41(1) of the State Bank of India Act, 1955, do hereby report to the Central Government upon the Balance Sheet, Profit & Loss Account and the Cash Flow Statement of the Bank.
2. We have audited the attached Balance Sheet of State Bank of India as at 31st March 2008, the Profit & Loss Account and the Cash Flow Statement of the Bank for the year ended on that date annexed thereto. Incorporated in the said financial statements are the accounts of:
 - i) The Central Office, fourteen Local Head Offices, Corporate Accounts Group (Central), Mid-Corporate Group (Central), Stressed Assets Management Group (Central) and forty two branches audited by us;
 - ii) 8171 Indian Branches audited by other auditors;
 - iii) 35 Foreign Branches audited by the local auditors; and
 - iv) 2306 other Indian Branches, the unaudited returns of which are certified by the Branch Managers. These unaudited branches account for 0.81% of advances, 2.16% of deposits, 0.53% of interest income and 1.35% of interest expenses.

These financial statements are the responsibility of the Bank's Management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

3. We conducted our audit in accordance with the auditing standards generally accepted in India. Those standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by Management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.





कि हमारा लेखापरीक्षा कार्य हमारे अभिमत के लिए एक समुचित आधार प्रदान करता है।

4. तुलनपत्र और लाभ एवं हानि खाता बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची के क्रमशः “क” और “ख” फार्मों में तैयार किए गए हैं और ये भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 तथा उसके अंतर्गत बने विनियमों के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित जानकारी देते हैं।
5. अपना अभिमत परिवर्तित किए बिना, हम वित्तीय विवरण की अनुसूची 18 की टिप्पणी 18.14 के प्रति ध्यान आकृष्ट करते हैं। वर्ष के दौरान, बैंक ने लेखा मानक 15 (संशोधित) के प्रावधानों के अनुपालन में पेंशन निधि में रु. 546 करोड़ का अतिरिक्त अंशदान किया है, हालांकि यह अंशदान भारत सरकार द्वारा जारी उन दिशा - निर्देशों के अनुकूल नहीं हैं कि ऐसे अंशदान करने से पूर्व भारतीय स्टेट बैंक पेंशन नियमावली, 1955 में संशोधन नहीं किया गया है।
6. हमारी राय में और जहाँ तक हमें जानकारी है तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर और जैसा कि उपर्युक्त अनुच्छेद 2 के साथ पठित, बैंक की बहियों में दिखाया गया है, हम रिपोर्ट करते हैं कि :
 - क) (i) प्रमुख लेखा नीतियों के विवरण एवं लेखा-टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर तुलनपत्र पूर्ण एवं सही है, जिसमें समस्त आवश्यक जानकारी शामिल है तथा उसे इस प्रकार तैयार किया गया है कि वह 31 मार्च 2008 को बैंक के कामकाज का सही और सटीक चित्र दर्शाता है;
 - (ii) प्रमुख लेखा नीतियों के विवरण एवं लेखा-टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर लाभ एवं हानि खाता इसी दिनांक को समाप्त वर्ष के लाभ का सही शेष दर्शाता है; तथा
 - (iii) नकदी प्रवाह विवरण, संदर्भाधीन तिथि को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह का सही एवं सटीक चित्र प्रस्तुत करता है, तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुरूप है।
 - (ख) हमने जहाँ भी कोई जानकारी और स्पष्टीकरण माँगा है, हमें वह जानकारी और स्पष्टीकरण दिया गया है और हमने उसे संतोषजनक पाया है;
 - (ग) हमारी जानकारी में आए बैंक के लेन-देन बैंक के अधिकार-क्षेत्र में ही हैं; तथा
 - (घ) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से उचित पाई गई हैं।

4. The Balance Sheet and the Profit & Loss Account have been drawn up in Forms ‘A’ and ‘B’ respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949 and these give information as required to be given by virtue of the provisions of the State Bank of India Act, 1955, and Regulations there under.
5. Without qualifying our opinion, we draw attention to note 18.14 of schedule 18 to the financial statement. The bank has made additional contribution of Rs. 546 crores during the year towards pension fund to comply with the provisions of AS 15 (revised) which is not in accordance with the directions issued by Government of India, to the extent that no amendments have been made to the SBI Pension Rules, 1955 before making such contribution.
6. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and as shown by the books of the Bank, read with paragraph 2 above, we report that:
 - (a) (i) the Balance Sheet, read with the Principal Accounting Policies and the Notes to Accounts, is a full and fair Balance Sheet containing all the necessary particulars and is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the affairs of the Bank as at 31st March 2008;
 - (ii) the Profit and Loss Account, read with the Principal Accounting Policies and the Notes to Accounts, shows a true balance of Profit for the year ended on that date; and
 - (iii) the Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date, and are in conformity with the Accounting Principles generally accepted in India.
 - (b) where we have called for any information and explanations, such information and explanations have been given to us and we have found them to be satisfactory;
 - (c) the transactions of the Bank which have come to our notice have been within the powers of the Bank; and
 - (d) the returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purpose of our audit.





सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक STATUTORY CENTRAL AUDITORS

कृते एम. एम. निसीम एंड कं.
For M. M. Nissim & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

संजय खेमानी Sanjay Khemani
भागीदार Partner, स.सं. M. No. 044577

कृते एस. के. मित्तल एंड कं.
For S. K. Mittal & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

एस. के. मित्तल S. K. Mittal
भागीदार Partner, स.सं. M. No. 008506

कृते लक्ष्मीनिवास एंड जैन
For Laxminiwas & Jain
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

लक्ष्मीनिवास शर्मा Laxminiwas Sharma
भागीदार Partner, स.सं. M. No. 014244

कृते खंडेलवाल जैन एंड कं.
For Khandelwal Jain & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

पंकज जैन Pankaj Jain
भागीदार Partner, स.सं. M. No. 048850

कृते विनय कुमार एंड कं.
For Vinay Kumar & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

वी. के. अग्रवाल V. K. Agrawal
भागीदार Partner, स.सं. M. No. 013795

कृते वी. के. जिंदल एंड कं.
For V. K. Jindal & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

वी. के. जिंदल V. K. Jindal
भागीदार Partner, स.सं. M. No. 070666

कृते आर. जी. एन. प्राइस एंड कं.
For R. G. N. Price & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

पी. एम. वीरमणि P M Veeramani
भागीदार Partner, स.सं. M. No. 023933

कृते डी. पी. सेन एंड कं.
For D. P. Sen & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

एस. के. नायक S.K. Nayak
भागीदार Partner, स.सं. M. No. 058711

कृते जैन कपिला एसोसिएट्स
For Jain Kapila Associates
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

डी. के. कपिला D K Kapila
भागीदार Partner, स.सं. M. No. 016905

कृते दत्ता सिंगला एंड कं.
For Datta Singla & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

राजीव दत्ता Rajiv Datta
भागीदार Partner, स.सं. M. No. 011546

कृते दत्त सरकार एंड कं.
For Dutta Sarkar & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

जी. सी. मुखर्जी G.C. Mukherjee
भागीदार Partner, स.सं. M. No. 017630

कृते ए. के. साबत एंड कं.
For A. K. Sabat & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

ए. के. साबत A. K. Sabat
भागीदार Partner, स.सं. M. No. 030310

कृते जी. एम. कपाडिया एंड कं.
For G. M. Kapadia & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

अतुल एच. शाह Atul H Shah
भागीदार Partner, स.सं. M. No. 039569

कृते वर्धमान एंड कं.
For Vardhaman & Co.
सनदी लेखाकार Chartered Accountants

वी भास्करन V. Baskaran
भागीदार Partner, स.सं. M. No. 012202

कोलकाता,
2 मई, 2008

Kolkata
2nd May, 2008

